खण्ड-240, अंक-6
शनिवार, 25 फाल्गुन, शक संवत् 1884
(16 मार्च, 1963 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 240 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय					पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	..	..	..	..	४९१–४९४
उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६३ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)		..	..	..	४९५
शनिवार को केवल विनिश्चित विधायी कार्य लेने के संबंध में श्री अध्यक्ष का सुझाव					४९५
कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं ..					४९५–४९७
१९६३–६४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २६—श्रम और सेवायोजन (स्वीकृत)			..	..	४९७–५५९
अनुदान संख्या ५—अन्य कर और शुल्क (स्वीकृत)			..	..	५५९–५६०

विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, १६ मार्च, १९६३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में १० १/२ बज दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३१७

अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
कन्हैयाल ल, श्री
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाथ छन्नन गुरु)
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री

चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिन्हा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवाई, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रमान, श्री (उपनाम-बक्श)
जुगलकिशोर, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाई लाल, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री

भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महावीरप्रस द, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री

राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअवतारसिंह, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुक्मसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा

विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजपाल सिंह, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरिदत्त कांडपाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्द बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा वन मंत्री, श्री अलगू राय शास्त्री भी उपस्थित थे ।

उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६३ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन*

श्री जगनप्रसाद रावत (जिला आगरा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से, उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६३ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता हूं । आपसे निवेदन है कि इसकी प्रतियां अभी छपी नहीं हैं, बाद को जब छप कर आ जायेंगी, उन्हें यहां प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष—

सोमवार या मंगल तक यह बंट जायेंगी ।

शनिवार को केवल विनिचश्ति विधायी कार्य लेने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का सुझाव

श्री अध्यक्ष—

आज के एजेन्डे में जो और तीन मदें हैं, उसके संबंध में मेरा ऐसा विचार है कि शनिवार के दिन हम चूंकि एक अर्जेन्सी के कारण यहां बैठते हैं अतः इस दिन दैनिक कार्य की जो चीजें हैं न ली जायं तो उचित होगा । आज जो मेरे पास कार्य-स्थगन आदि की सूचनायें आयी हैं । उनको मैंने ले तो लिया है, मगर इस संबंध में भविष्य के लिये मैं विभिन्न दलों के नेताओं से परामर्श कर लूंगा । मैं ऐसा समझता हूं कि शनिवार के दिन हम केवल अपना वही कार्य करें जिस कार्य के लिये हमने उस दिन बैठना निश्चित किया हो, और यह सब कार्य न करें ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

यह कार्य तो दैनिक महत्व के कार्य से भी ज्यादा महत्व के होते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

तो वह सोमवार को भी आ सकते हैं । फिर मैंने तो कहा है कि मैं आपके नेताओं से बात कर लूंगा । मैंने तो अभी अपनी व्यक्तिगत राय बतायी है ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

आप विभिन्न नेताओं से बात करने के बाद ही यह तय करें ।

श्री अध्यक्ष—

वह तो मैंने स्वयं ही कहा है ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

मेरे सामने दो कामरोको प्रस्ताव हैं । एक माननीय कल्पनाथ सिंह तथा माननीय रियासत हुसैन का है जिसमें उन्होंने कहा है "दारुल उलूम देवबन्द, जिला सहारनपुर एक मुस्लिम शिक्षण संस्था है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त है । गत सप्ताह इस संस्था की तलाशी ली गयी ....." इसमें कोई निश्चित तिथि नहीं बतलायी गयी है । दूसरी बात जो ध्यान में रखना है वह यह है कि अगर आर्डिनरी प्रासेज आफ ला में मैजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर कोई अपने आदेश जारी करते हैं और उस सिलसिले में कोई कार्यवाही होती है तो उसके लिये सरकार की जिम्मेदारी कहीं डाइरेक्टली नहीं आती है और कार्य-स्थगन प्रस्ताव किसी ऐसे विषय पर नहीं लाया जा सकता जो कृत्य लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित हो और आर्डिनरी प्रासेज आफ ला से होता हो । उसके साथ ही इसमें लिखा है " .... इस तलाशी में कहा जाता है कि यह

---

*छापा नहीं गया ।

[श्री अध्यक्ष]

देखने की कोशिश की गयी कि इस संस्था में विदेशी मुद्रा रखी है" तो यह शंका थी कि वहां विदेशी मुद्रा है या नहीं, यह देखने के लिये तलाशी ली गयी । कानून में सब बराबर हैं । मैं समझता हूं कि यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं लिया जा सकता ।

इसी तरह से माननीय झारखंडेराय जी और सुरजनराम जी का कार्य-स्थगन प्रस्ताव है कि पुलिस वालों ने किसी रिक्शा वाले को इतना मारा कि उसकी कनपटी फट गयी जो आज समाचार-पत्रों में भी निकला है, और वह अस्पताल में दाखिल है । पुलिस का अनुदान परसों या उससे अगले दिन आनेवाला है, उस समय इस पर बहस हो सकती है । जब अनुदान नजदीक हो तो कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं लिया जा सकता है ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---

उसकी दोनों कनपटियां टूट गई हैं । इसे नियम ५२ में ले लें ।

श्री अध्यक्ष---

मैं आशा करता हूं कि माननीय पुलिस मंत्री जी इस पर प्रकाश डालेंगे । मैं इसे उनके पास भेज दूंगा ।

बाकी जो नियम ५२ के अन्तर्गत हैं उनमें से एक पब्लिक सर्विस कमीशन का है । वह एक आटोनामस बाडी है । वह जब चाहे अपना काम कर सकती है, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है । दूसरी सूचना है, एक उद्घाटन हुआ है किसी डिस्पेंसरी का, यह कोई लोक महत्व की बात नहीं है। दूसरे अगर आना था तो यह परसों आ जाना चाहिये था । अविलम्बनीय नहीं मालूम होता है । एक सूचना मालगुजारी वसूल करने के बारे में है । मालगुजारी तो कानून के अन्तर्गत सरकार वसूल करेगी ही । आप ने कहा है कि ओला गिरा है, इसलिये किसानों को कठिनाई है । ओला-वृष्टि और ऐसी बातों के संबंध में माननीय माल मंत्री जी दो, एक दिन में अपना बयान देंगे । कानून के अन्तर्गत जो कुछ उन्हें रिलीफ दी जा सकती है, वह दी जायगी, ऐसा मेरा विश्वास है । लेकिन मालगुजारी तो सरकार वसूल करेगी ही । ऐसी स्थिति में मैं इसे अस्वीकार करता हूं ।

एक माननीय मुकटबिहारी लाल तथा जगन्नाथ राव जी का है । उन्होंने लिखा है कि समाचार है कि उत्तर प्रदेश इंडियन शुगर मिल्स आदि, आदि . . .। समाचार पर एक इनडैफिनिट बात है । यह बात हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिये कि नियम ५२ में दो बातें आवश्यक हैं । एक तो आपको डैफीनिट इंफर्मेशन हो, डैफीनिट बात हो और इस संबंध में एक डैफीनिट पालिसी हमें गवर्नमेंट की मालूम हो । जब तक ये दो चीजें न हों तो नियम ५२ में कोई विषय नहीं आ सकता है ।

*श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)---

देवबन्द की दारुलउलूम एक ऐसी संस्था है जिसकी ख्याति राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय है । जहां उसका संबंध एक विशेष मजहब के मानने वाले लोगों से है, वहीं दूसरी तरफ उसका संबंध हमारे राष्ट्रीय नेताओं से भी रहा है, जैसे मौलाना मदनी, अबुलकलाम आजाद, मौलाना हिफजुर्रहमान, वगैरह । अगर ऐसी शिक्षा संस्था की तलाशी होती है तो कोई विशेष कारण रहा होगा ।

श्री अध्यक्ष---

यह तो आप भाषण दे रहे हैं । आप उस प्वाइंट पर आ जाइये ।

श्री कल्पनाथसिंह---

वहीं मैं आ रहा हूं । आज राष्ट्रीय आपात के अवसर पर राष्ट्रीय भावनायें जागृत हैं और उन्हें इस तलाशी से ठेस पहुंची है । हम सरकार का और माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट

करना चाहते थे । आप कृपया इस पर विचार कर लें और सोमवार को रूलिंग दे दें । वह शिरोधार्य होगी ।

श्री अध्यक्ष---

मैंने इस पर खूब विचार कर लिया है । एक बात जो हमारे संविधान ने निश्चित कर दी है वह यह है कि कोई व्यक्ति कानून के परे नहीं है, चाहे कितना मुकद्दस क्यों न हो, कितना ही पवित्र क्यों न हो, कितना ही श्रेष्ठ और प्रतिष्ठित क्यों न हो । यह मानते हुये भी कि यह संस्था ऐसी है जिसका संबंध हमारे नेताओं से रहा है, शिक्षा संस्था है, विशेष समुदाय की है, किन्तु यदि स्थानीय ऐडमिनिस्ट्रेशन को शंका है तो वह तलाशी ले सकते थे । कानून का रास्ता खुला है । अगर आप समझते हैं कि किसी ने आपके ऊपर मेलाफाइडी इत्तिला देकर यह कार्यवाही कराई तो आप उसके विरुद्ध कानून में कार्यवाही कर सकते हैं । इन सब को बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने उसे अस्वीकार किया है ।

श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)---

सन् ४७ के बाद यह तीसरा या चौथा मौका है कि उसकी बेइज्जती की गई है, देवबन्द की संस्था की । उसकी पिछली हैसियत इस बात की शाहिद है कि किस तरह से उसने देश का साथ दिया । ३, ४ वाकये हो चुके हैं और कोई जुर्म साबित नहीं हुआ । तो उन अथारीटीज के खिलाफ कार्यवाही की जाय जो ऐसा करती हैं ।

श्री अध्यक्ष---

ये सब बातें ठीक होते हुए भी हम अपने नियम के पाबन्द हैं । पहले तो यह बात देखने की है कि हमारे नियम क्या हैं और कार्य-स्थगन प्रस्ताव का क्या उद्देश्य है ? अगर उसके अन्दर नहीं आता है तो मजबूरी है, और तरीके हैं लाने के । अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पूछ सकते हैं, नियम ५० में विवाद कर सकते हैं । हमारे नियमों में इसकी गुंजाइश है । इस वक्त अगर नहीं आता तो नहीं आता ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

मैं एक सुझाव देता हूं । अनेकों बार आपने ऐसा किया है कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव को आपने दफा ५२ में ले लिया है और संबंधित मंत्री से सदन को सूचना दिलाई है । यह बहुत महत्व का सवाल है और आप इसे दफा ५२ में स्वीकार कर लें । इससे प्रदेश की जनता को काफी लाभ होगा ।

१९६३-६४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान---
अनुदान संख्या २६---श्रम और सेवायोजन

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है कि पहले जब श्रम के बारे में यहां कोई विवाद होता था तो कुछ लिटरेचर माननीय सदस्यों को मिलता था जिससे बहस करने में आसानी होती थी । आज तीसरी पंचवर्षीय योजना की परियोजनायें और प्रगति संबंधित किताबें हमारे बीच में बांटी गई हैं । कोई भी साहित्य श्रम के संबंध में नहीं दिया गया है । इसलिये आप स्वयं व्यवस्था करें कि हमारी बहस कैसी होगी ?

श्री अध्यक्ष---

उपनेता सदन मौजूद हैं । मैं सरकार का ध्यान अवश्य आकृष्ट करूंगा कि यथाशक्ति जो संबंधित लिटरेचर हो वह सदस्यों को मिल जाया करे तो ठीक होगा, इस वास्ते कि उससे उन्हें सरकारी दृष्टिकोण जानने को मिलता है ।

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)--

मान्यवर, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १६६३-६४ के लिये अनुदान संख्या--२६--श्रम और सेवायोजन के अन्तर्गत २,७१,००,४०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

मान्यवर, इसके पहले कि मैं इस ग्रांट के संबंध में माननीय सदन में अपनी बात निवेदन करूं, माननीय नरसिंह नारायण पांडेय जी ने जो प्रश्न उपस्थित किया है, उसके संबंध में एक शब्द कह देना चाहता हूं । आशा है आप मुझे उसके संबंध में दो शब्द कहने की आज्ञा देंगे ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

आप बजट के संबंध में कब बतायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह विवाद का प्रश्न नहीं है । वे बतलाना चाहते हैं कि अमुक पुस्तिका में, अमुक साहित्य में उसके संबंध में जिक्र किया गया है ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

इस वर्ष वित्तीय साधनों को जुटाने के लिये और खर्चों को तरह-तरह से कम करने के लिये जो निर्णय लिये गये उनमें एक निर्णय यह भी था कि विभागों की जो वार्षिक रिपोर्ट स होती है उन सब को मिलाकर एक ही पुस्तिका में छाप दिया जाय। प्लानिंग विभाग की जो पुस्तिका माननीय सदस्यों को बांटी गयी है उसमें यह चीज पूरी डिटेल में तो नहीं आ सकी है लेकिन यथाशक्ति इस बात की कोशिश की गयी है कि श्रम विभाग का लेखा-जोखा माननीय सदस्यों के सामने रखा जा सके । हमें इसका अफसोस है कि पूरा विवेचन हम माननीय सदस्यों के सामने न रख सके । हमें खुशी होती और आसानी होती यदि हम ऐसा कर सकते । मुझे आशा है कि इस सभी के बावजूद भी माननीय सदस्य मेरी बातों को सुनकर और अपने अनुभव के आधार पर इस बजट का विवेचन कर हमें अपना सहयोग प्रदान करेंगे ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

फिर कृषि विभाग की डायरी और कलेंडर क्यों छापा गया ?

श्री अध्यक्ष--

एक जगह गलती हो गयी और दूसरी जगह अगर अक्लमंदी दिखा दी गयी तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिये ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

मैंने तो इस कमी के लिये स्वयं ही क्षमा मांगी है । श्रीमन्, विभाग की यह ग्रांट दो कार्यों से संबंध रखती है । एक तो श्रम के कानूनों को पालन कराने के साथ-साथ मालिकों और मजदूरों के संबंधों को ठीक बनाये रखने के लिये तथा श्रम संबंधी कार्यकलापों से संबंधित है। इसका दूसरा भाग वह है जिसके द्वारा हम उत्तर प्रदेश में कुशल कर्मचारी, कुशल कारीगर बनाने के लिये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का संचालन करते हैं । इसके संबंध में भी इस ग्रांट में रुपया रखा गया है। साथ ही रोजगार के दफ्तरों पर जो खर्चा होता है उसका संबंध भी इस ग्रांट से है । इसके अतिरिक्त इस ग्रांट के दो हिस्से विभिन्न मदों में दूसरी जगहों पर भी दिखाये गये हैं लेकिन वे इसी ग्रांट का एक हिस्सा है । इंस्पेक्शन आफ बोयलर्स से संबंधित मद फूड एण्ड सिविल सप्लाई की ग्रांट नंबर १५ में शामिल की गयी है । क्योंकि कम्पट्रोलर जनरल ने उसी जगह (मस्लेनियस हेड) में उसका एलोकेशन किया । इसीलिये उसको पहले की भांति नहीं दिखाया गया है । मैं यह इसलिये कह रहा हूं जिससे माननीय सदस्यों को यह भ्रम न हो कि इस मद में कोई रुपया क्यों नहीं दिखाया गया है ।

दूसरी बात यह है कि इस विभाग में ओल्ड एज पेंशन का भी काम होता है । इस वर्ष भी उसमें १६ लाख रुपया रखा गया है लेकिन उस रुपये को यहां न दिखा कर ग्रांट नंबर ५१ में

पेंशन की जो जनरल ग्रांट है, वहां पर दिखाया गया है और उसके बारे में जो शासकीय खर्चा होता है वह ग्रांट नंबर १५ में कम्ट्रोलर जनरल के आदेशानुसार डाल दिया गया है। चौथा हमारा जो डेवलपमेंट का कैपिटल खर्चा है इमारतों के बनाने का, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वगैरह का---उसे पी० डबल्यू० डी० के ग्रांट में दिखलाया गया है। श्रीमन, अब श्रम विभाग ने गत वर्ष इस सम्बन्ध में जो जो कार्यवाही की है उससे मैं माननीय सदस्यों को संक्षेप में अवगत करा देना चाहता हूं। उनका संक्षेप में वर्णन इस प्रकार है---

हमारे उत्तर प्रदेश में शुगरवेज बोर्ड, टेक्सटाइल बेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने का जो सिलसिला था साथ ही जूट वेज बोर्ड की सिफारिशें लागू होने वाली थीं। इस तरह से तीन वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने की कार्यवाही की गयी और त्रिदलीय समिति ने जो निर्णय किे उनको लागू करने की चेष्टा की गयी और बहुत मात्रा में हमें उसमें सफलता भी मिली है। जहां तक टेक्सटाइल वेज बोर्ड की सिफारिशों का सवाल है उसकी कुछ सिफारिशें ऐसी थीं जो मालिकों को तुरन्त लागू करना था जिन्हें त्रिदलीय समिति ने अपनी जुलाई, १९६० की नैनीताल की बैठक में ले लिया था। जिन शेष बातों पर विचार करने की आवश्यकता रह गई थी उन बातों के सम्बन्ध में माननीय श्रम मन्त्री ने मालिकों और मजदूरों से बातचीत की और वह मामला डाक्टर सम्पूर्णानन्द के आर्बिट्रेशन में गया। आर्बिट्रेटर के एवार्ड के इम्पलिमेंटेशन का जो सिलसिला है उसके कई हिस्से हैं। एक हिस्सा तो वह है जो तनख्वाहों से ताल्लुक रखता है, एक हिस्सा काम करने की शर्तों से ताल्लुक रखता है और एक हिस्सा वह है जो मजदूरों को मुआवजा, बुढ़ापे व छंटनी का मुआवजा देने व ग्रेचुइटी देने से ताल्लुक रखता है। डाक्टर सम्पूर्णानन्द एवार्ड के मुताबिक सुपरवाइजरी कमेटी बननी थी उद्योगों की देखरेख करने के लिये कि इस एवार्ड के लागू होने के सिलसिले में क्या क्या हो रहा है। वह कमेटी बन गई है और अब तक उसकी ५-६ मीटिंग्स भी हो चुकी हैं। सुपरवाइजरी कमेटी ने अपनी सिफारिश भी की थी और विभाग उन सिफारिशों को लागू कराने के लिये निरन्तर प्रयत्नशील रहा है और उसी के फलस्वरूप उनकी काफी सिफारिशें आज लागू भी हो गयी हैं। सुपरवाइजरी कमेटी की सिफारिशों का दूसरा हिस्सा था कि डाक्टर सम्पूर्णानन्द एवार्ड की मर्यादा का पालन ठीक से हो रहा है या नहीं इसकी देखरेख करने के लिये एक-एक टुकड़ी में एक मिल कमेटी बनाने का निश्चय किया गया था, लेकिन कई कारणों से मिल कमेटी बनने का काम नहीं हो सका। ट्रेड यूनियन के आपसी झगड़े के कारण एक ट्रेड यूनियन की मेम्बरशिप के सम्बन्ध में भी पूरी जांच नहीं हो सकी, यह भी मिल कमेटी न बनने के कारण है। हमारी चेष्टा रही है कि वह काम भी शीघ्रातिशीघ्र पूरा हो। क्योंकि मैं यह मानता हूं कि ये मिल कमेटी बन जायें तो स्थानीय रूप से ही सुपरवाइजरी कमेटी की सिफारिशों के अनुसार स्थिति की ठीक प्रकार से देख रेख हो सके और मालूम होता रहे कि डाक्टर सम्पूर्णानन्द एवार्ड का इम्पलिमेंटेशन ठीक हो रहा है या नहीं।

जहां तक शुगर वेज बोर्ड का ताल्लुक है उसकी अधिकांश सिफारिशें करीब-करीब सभी मिलें मान चुकी हैं। लेकिन एक फैक्टरी अभी ऐसी है जिससे बातचीत चल रही है और आशा की जाती है कि वहां भी वह शीघ्र सभी सिफारिशें पूरी तरह से लागू कर देगी। शुगर वेज बोर्ड के साथ ही कुछ मिलों में मिल मालिकों और मजदूरों के बीच कुछ पदों के निर्धारण के सिलसिले में झगड़े की बात भी है। मजदूरों को इस बात की शिकायत है कि जिस पद के वे हकदार हैं वह उन्हें नहीं मिलता। करीब-करीब १० हजार व्यक्तियों के झगड़े इस तरह से जगह-जगह सूबे में उठे। इसके लिये एक कमेटी द्वारा मूल सिद्धान्त का निरूपण करने की सिफारिश चीनी उद्योग त्रिदलीय समिति ने किया। इसमें मिल मालिक, मजदूर और सरकार के प्रतिनिधि थे।

इस समिति ने निश्चय कर दिया कि किन सिद्धान्तों पर काम होना चाहिये और फिर वह सारे मामले कन्सिलियेशन के लिये भेज दिये गये सब जगह की तो मेरे पास

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

सूचना नहीं है लेकिन लखनऊ रीजन के स्थानीय अधिकारी ने बताया कि बहुत बड़ी मात्रा में यानी ९० प्रतिशत से ऊपर ये फिटमेंट के केसेज समझौते से तय हो रहे हैं, उन सिद्धान्तों के आधार पर और त्रिदलीय समिति की सिफारिश के आधार पर जिसे सरकार ने लागू किया था और मैं समझता हूं कि अगर यह प्रगति लखनऊ रीजन में है तो आशा है कि शेष क्षेत्रों में भी अच्छी प्रगति हो रही होगी। यह तो बात रही शुगर वेज बोर्ड के निर्णयों के लागू होने की। इसी तरह से जूट वेज बोर्ड का मामला है, हमारे यहां ३ बड़ी-बड़ी मिलें हैं। २ मिलों में तो वह पूरा-पूरा लागू हो गया है और तीसरी मिल में उन्होंने कुछ इंसटालमेंट्स में पिछला पैसा देना स्वीकार किया है और आशा है कि वह शीघ्र पूरा पैसा दे देंगे। एक गाजियाबाद की जूट फैक्टरी है कि जो रस्सियां बनाती है, उन का ख्याल था कि उन पर जूट वेज बोर्ड का फैसला लागू नहीं होता लेकिन केन्द्रीय सरकार ने कहा कि यह फैसला उन पर भी लागू होगा, अब हमने आज्ञा दे दी है और आशा है कि शीघ्र ही वहां पर भी उक्त वेज बोर्ड की सिफारिशें लागू हो जायेंगी।

हमने जो अलग-अलग उद्योगों को लेकर त्रिदलीय समितियां बनाई हैं गत वर्ष में जैसे कि चीनी की हैं, कपड़े की है और दूसरे उद्योगों की हैं या जो आम त्रिदलीय समिति हैं उन सब की बैठकें हुई हैं और मुझे यह कहने में खुशी है कि इन समितियों के निर्णयों को काफी मात्रा में लागू करने में सफलता भी प्राप्त हुई है और मालिक मजदूरों ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय चीनी आक्रमण के संकट को सामने रखते हुये दिया है। जो त्रिदलीय सम्मेलन लखनऊ में हुआ था माननीय श्रम मंत्राणी जी की अध्यक्षता में, उसमें बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय हुये जिन से कि यह सदन अवगत है। उत्पादन की वृद्धि के सम्बन्ध में जो निर्णय हुआ उस के सम्बन्ध में हमारे सामने थोड़ी सी कठिनाई कानपुर में आई, वहां पर कुछ लूम्स बन्द हो रहे थे, उसके कुछ कारण रहे हैं। मैं उनकी चर्चा नहीं करता, क्योंकि हमारी श्रम मंत्राणी जी कोशिश कर रही हैं कि जो लूम्स बन्द हैं वह खुलें। अभी हाल में स्वदेशी काटन मिल में जहां लगभग १२ सौ लूम्स बन्द हुये थे वहां के शीघ्र ही २०० लूम्स फिर से चलेंगे। मालूम हुआ है कि उनके पास कुछ पैसे की, बिक्री न होने के कारण से, कठिनाई है और बहुत बड़ी मात्रा में गोदाम में पड़ी हुई गांठों की बात बताते हैं, लेकिन वह बराबर यह विश्वास दिला रहे हैं कि बन्दी के कारण किसी भी मजदूर को बेकार नहीं रहने दिया जायगा और हर मजदूर को जो बन्दी के कारण बेकार हुये हैं वे उन्हें अवश्य काम देंगे और जबतक कि वह कोई आल्टरनेटिव काम न सीख लें तबतक उनके उस वेतन में कमी नहीं की जायगी जो कि उन को उस वक्त मिलता था जब वह इस बन्दी से पहले काम करते थे। मालिकों का कहना है कि ऐसा कोई मजदूर बाकी नहीं है जो बेकार हो। फिर भी सेफगार्ड के लिये निश्चय कराया गया और स्वयं श्रम मन्त्राणी जी ने उनसे बातचीत की। बाकी स्थिति यह है कि कानपुर की २ अन्य मिलों में कुछ लूम्स बन्द हो रहे थे लेकिन अब उनका कपड़ा निकल रहा है और फिर वह लूम्स धीरे-धीरे चालू हो रहे हैं। इस तरह से बराबर बन्द लूम्स की संख्या घट रही है। सब का सहयोग इस दिशा में होता है। कानपुर के कुछ मिल मालिक और स्वदेशी काटन मिल वालों ने हमें बताया कि अब हम चूंकि डिफेंस का बहुत सा कपड़ा बनाते हैं, उसमें सूत अधिक लगता है, धागा अधिक लगता है बनिस्बत धोतियां वगैरह के बनाने में और बनिस्बत दूसरे कपड़ों के इसलिये वह जितना सूत है उसके मुताबिक ही लूम्स चला सकते हैं लेकिन वह सचेष्ट हैं अधिक से अधिक बन्दी को कम करने के लिये। आशा है कि अगर अधिक आर्थिक कठिनाइयां नहीं आई जिन पर कि वह हावी न हो सकें और बाजार की स्थिति ठीक रही तो धीरे-धीरे बन्दी खत्म होगी और सब लूम्स चालू होकर मजदूरों को काम मिलेगा, जितनों को मिलता था उतनों को तो मिल ही रहा है, मिलेगा ही, लेकिन और भी अधिक मजदूरों को काम मिले और अधिक उत्पादन हो यह हमारी इच्छा है।

जहां तक श्रम कानून की व्यवस्था का सम्बन्ध है उसमें कंसीलियेशन और ऐडजुडिकेशन कराने के सम्बन्ध में काफी परिवर्तन एक माने में किया है। अधिक से अधिक मुकदमे

अदालतों में जायं, ज्यादा फैसलों को कंसीलियेशन बोर्ड से करा सकें। इन आदेशों के निकलने के बाद हमारे यहां पिछले साल के मुकाबले में इस साल में बहुत कम मामले ऐसे रह गये जो वर्ष के अन्तर्गत जिनमें कंसीलियेशन हो जाना चाहिये था नहीं हो पाया। और सालों के मुकाबले में काफी तेजी से कंसीलियेशन का काम हुआ है, इसी प्रकार से लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्राइब्युनल ने काफी तेजी से काम किया है और आशा की जाती है कि जो उनको आदेश दिये गये हैं कि शीघ्रातिशीघ्र इन मुकदमों को निपटाया करें उनको करने में कम से कम समय लगेगा और जो मजदूरो को कठिनाइयां होती थीं उनको कम करेंगे। मैं प्रदेश के मजदूरों को अवश्य धन्यवाद देता हूं कि काफी कठिनाइयों के बावजूद, कष्टों के बावजूद जिस खुले हृदय से उन्होंने देश का साथ दिया है इस संकट के समय में उत्पादन को बढ़ाया, झगड़े कम करे और हड़ताल की बात की नहीं वह सचमुच इन सब बातों के लिये बधाई के पात्र हैं। मैं मानता हूं जो कुछ हम उनके लिये करना चाहते हैं आज की स्थितियों में कभी-कभी वैसा करने में कभी-कभी कठिनाइयां होती हैं लेकिन उनकी सद्भावना से ऐसा लगता है कि समय आने वाला है जब उनके सौभाग्य का उदय पूरी तरह से हो सकेगा और हम सब मिलकर एक नये समाज की रचना, जिसको हम करना चाहते हैं, पूरी करेंगे और जिन्होंने अधिक से अधिक सहयोग और सहायता दी है, उसके बदले नहीं बल्कि जो उनका अधिकार है इस समाज के ऊपर, उस कर्त्तव्य को पूरा करने में समाज की कामयाबी होगी। खेतिहर मजदूरों के सम्बन्ध में मैं बाद में कहूंगा।

जहां तक औद्योगिक मजदूरों का सम्बन्ध है इनके सम्बन्ध में दो बातें कहना चाहता हूं। हाउसिंग की व्यवस्था जितनी पहले थी उसको बढ़ाया जा रहा है और हम आशा करते हैं कि उस काम को और आगे बढ़ायेंगे। यद्यपि रुपये की कमी है लेकिन हाउसिंग का प्रोग्राम काफी तेजी से चल रहा है और चलता रहेगा। उसी प्रकार हमारे जो श्रम हितकारी कार्य थे पैसे की कमी से थोड़ा असर उन पर पड़ा है लेकिन जितने हमारे पास श्रम हितकारी केन्द्र थे उनको बढ़ाने का निश्चय किया गया है और इस साल उनकी संख्या और भी बढ़ेगी। प्रदेश में दूसरी योजना के अन्तर्गत ६५ श्रम हितकारी केन्द्र थे जिनकी संख्या अब बढ़ कर ६८ हो जायगी और जो हमारे पास क्षय रोग की चिकित्सा तथा दूसरी चिकित्सा का प्रबन्ध था उसको बढ़ाने का प्रयास किया है और इस बजट में भी कुछ प्रयास है जिससे उन अस्पतालों को अधिक सुसज्जित किया जाय, बढ़ाया जाय ताकि क्षय रोग से पीड़ित श्रमिकों की अधिक से अधिक सेवा कर सकें। इसी प्रकार से श्रम हितकारी सेंटरों, हाबी सेंटर्स, जहां पर बच्चे जवान और आपस में बैठकर मनोविनोद कर सकें तथा श्रमिक और उनके बच्चों को अपनी पसन्द के मुताबिक कोई कला सीखने का एक मौका देने की चेष्टा की गई है। बजट में इसका प्रावीजन है और पहले से भी ५ हाबी सेंटर्स प्रदेश में कई स्थानों पर चलते थे।

जहां तक खेतिहर मजदूरों का सम्बन्ध है उस दिशा में हमारी नजर गई है और न्यूनतम वृद्धि करने के आदेश १९६१ में सरकार ने निकाले थे। पहले न्यूनतम वेतन १ रुपया था तो कहीं १.५० और कहीं १.३९ न० पै० कर दिया गया है। सूबे के विभिन्न इलाकों में थोड़ा फर्क रह गया है। लेकिन न्यूनतम वेतनों की पहले से कुछ वृद्धि की गई है। इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि खेतिहर मजदूरों के लिये हम कितने ही अच्छे कानून क्यों न बना दें, नियम क्यों न बना दें, लेकिन उन नियमों से खेतिहर मजदूरों को यथासम्भव लाभ तभी मिल सकता है जब वह अपने अधिकारों और कर्त्तव्यों के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहें। उनमें इच्छा है आगे जाने की। वह करना चाहते हैं कुछ ज्यादा लेकिन हम जानते हैं कि सदन में अधिकांश लोग उन क्षेत्रों से आते हैं जो किसानों के क्षेत्र हैं, मजदूरों के क्षेत्र हैं। गांव में उनकी क्या समस्या है, सामाजिक और आर्थिक समस्या और कैसे उन समस्याओं के बोझ से दबकर वह अपने हकों की रक्षा नहीं कर पाते, कैसे उनका संगठन कमजोर है, जातियों में बटा कटा है, क्या कठिनाइयां उनकी आती हैं, अपनी समस्याओं को हल करने के लिये कैसे वह कोई कदम नहीं उठा पाते हैं, यह सदन को बतलाने की जरूरत नहीं है। जिन सदस्यों

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

को उनमें दिलचस्पी है तो उनके द्वारा खेतिहर मजदूरों का समुचित रूप से संगठित करने के प्रयास की आवश्यकता है ताकि उनको सरकार द्वारा और इस सदन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को प्राप्त करने का अवसर मिल सके। जब तक उनका संगठन मजबूत नहीं होता तब तक उनको सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्थाओं से लाभ मिलने वाला नहीं है। लिहाजा जो भी खेतिहर मजदूरों में दिलचस्पी रखते हैं वे उनकी इस बड़ी कमी को दूर करने की चेष्टा करेंगे। बहुत लोगों को ख्याल होता है कि हम उनके लिये मकानों की क्या व्यवस्था कर रहे हैं? बहुत से लोग कहते हैं कि उनके लिये हम श्रम हितकारी क्षेत्रों में क्या कार्य कर रहे हैं? इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर दूं कि उनके इस तरह के कामों का जो सम्बन्ध है वह योजना विभाग का है, प्लानिंग विभाग का है, हरिजन वेलफेयर विभाग का है। वहां के मकान बनाने के लिये तमाम सुविधायें और पैसा मिलता है, ग्रांट इन ऐड मिलती है, शिक्षा के लिये मदद मिलती है, वह हमारे विभाग का हिस्सा नहीं है। इसलिये पूरे तौर से मैं कह नहीं सकता।

मेरा कहना यह नहीं है कि जितना किया जा रहा है वह आखिरी चीज है, अधिक न किया जाय। बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जहां तक श्रम विभाग द्वारा उनके वेतन निर्धारित करने तथा काम के घंटों को नियत करने तथा दूसरी चीजों को करने का सम्बन्ध है वे तभी सम्भव हो सकती हैं जब इस माननीय सदन के सदस्य और वह लोग जो उनके साथ में दिलचस्पी रखते हैं सब मिलकर काम करें और उनका एक मजबूत संगठन बनाने में योग दें।

श्रम विभाग का दूसरा हिस्सा जैसा मैंने कहा प्रशिक्षण का काम है, डायरेक्टोरेट आफ ट्रेनिंग ऐंड एम्पलायमेंट। जहां तक हमारे रोजगार दफ्तरों का सवाल है वे आज उत्तर प्रदेश के हर जिले में खुल गये हैं। उत्तराखंड के तीन जिलों को छोड़ कर जो अभी हाल में बने हैं पैसे की कमी के कारण इस वर्ष भी वह काम शुरू नहीं कर रहे हैं। इसलिये बजट में उसका कोई प्राविधान नहीं किया गया है। एम्पलायमेंट एक्सचेंज से जो सेवा मिलती है उसके सम्बन्ध में मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। एम्पलायमेंट एक्सचेंज रोजगार को पैदा नहीं कर सकता। एम्पलायमेंट एक्सचेंज के पास जो मांग आती है उसमें एम्पलायर अपनी शर्तें रखता है कि उसे किस तरह का आदमी चाहिये। उन शर्तों के अन्दर हमारे यहां जो लोग रजिस्टर होते हैं उनको उनके पास भेज देते हैं और काम में जुटाना उनका काम होता है। समय-समय पर शिकायतें मिलती हैं, कहीं-कहीं कभी होती होगी लेकिन जहां तक उनके कामों का सम्बन्ध है यह विभाग पूरे तौर से सचेष्ट है और स्वयं जाकर कई बार उन स्थानों पर जा कर देखने के आदेश हैं और उन चीजों को सरकार के ध्यान में लावें। हमने चेष्टा की कि इस विभाग के कार्यकर्ताओं को स्पष्ट कर दें कि यह सेवा विभाग है, पुलिस विभाग नहीं है। इस विभाग द्वारा लोगों की सेवा का आधार तभी बन सकता है जब उनमें नम्रता हो। जो आदमी आया हुआ है वह दुख में डूबा हुआ है। बेकारी और भूख से परेशान है। जहां तक हो सके यथासम्भव मानवीय मूल्यों द्वारा उसके दुख को दूर करने की चेष्टा की जाय और यही इस विभाग का धर्म है। बार-बार अधिकारियों से कहा गया और मैं उम्मीद करता हूं कि सबका सहयोग इस माननीय सदन की देखरेख में हमें मिलेगा क्योंकि हमने यह कह रखा है और एक सर्कुलर अथवा आदेश भेज दिया है कि कोई एम० एल० ए०, एम० पी०, सामाजिक कार्यकर्ता अथवा अखबार वाला यदि हमारे एम्पलायमेंट एक्सचेंज को आकर देखने पहुंचता है तो अधिकारियों का कर्त्तव्य है कि हर चीज उनको दिखायें और समझायें। और यह न पूछें कि आप कौन हैं? हमने अपने रोजगार दफ्तरों के कार्यकर्ताओं से कह दिया है कि यदि आप के विभाग की कार्यप्रणाली को समझने की जनता और उसके प्रतिनिधियों में इच्छा है तो उस इच्छा को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस अधिकार को मैं उम्मीद करता हूं कि सदन के माननीय सदस्य इस्तेमाल करेंगे और एम्पलायमेंट एक्सचेंज को देखने के बाद उनके जो अनुभव हों उनको लिखकर वे यदि हम लोगों के पास भेजेंगे तो हम उनके बड़े अनुगृहीत होंगे क्योंकि उनके भेजने से इस विभाग की कमियों को दूर करने का अच्छा अवसर मिलेगा।

एम्पलायमेंट एक्सचेंज के साथ-साथ उसके सिस्टर डिपार्टमेंट ट्रेनिंग का जहां तक सम्बन्ध है उसमें जो इंस्टीट्यूटस् हमें इस साल उत्तर प्रदेश में खोलने थे उन सबको हम पिछले वर्ष नहीं खोल सके स्थान के अभाव के कारण। २९ जगह ऐसे इंस्टीट्यूट्स खोलने थे जिसके लिये सब जगह इमारतें नहीं मिल सकीं क्योंकि ऐसा होता है कि बड़ी-बड़ी मशीनें, बिजली का सामान वगैरह सब रखना पड़ता है ताकि काम हो सके। चूंकि ऐसे मकानात सब जगह नहीं मिल सके इसलिये कुशल कारीगरों की आवश्यकता को देखते हुये हमने उस काम को जितना सम्भव हुआ शुरू किया और यहां तक किया कि अगर कहीं पर हमारी किराये की इमारत चलती थी और नयी इमारत बनवा ली तो हमने किराये की इमारत में ही काम चलने दिया और उस नयी इमारत में उन जिलों के लड़के ले लिये जिनमें हमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खोलने थे। उदाहरण के लिये फतेहपुर और रायबरेली में हमें ट्रेनिंग सेंटर्स खोलने थे, लेकिन वहां हम जगह नहीं पा सके। तो इन जिलों के लड़कों को इलाहाबाद में जहां बड़ा इंस्टीट्यूट हमने खोल रखा है फिलहाल उसमें ले आये हैं और उधर उन जिलों में जमीन एक्वायर करने और इमारतें बनाने का काम भी जारी रखा और ज्यों ही ये इमारतें बन जायेंगी वे लड़के वहां से यहां आ जायेंगे ताकि समय न खराब हो और कुशल कारीगर बनाने की जो आवश्यकता आज है वह अधिक से अधिक पूरी हो सके।

मान्यवर, इसी डायरेक्टरेट आफ ट्रेनिंग ऐंड इम्पलायमेंट में इस इमरजेंसी के काल में दो काम खास हुये जिनकी चर्चा मैं इन माननीय सदन के सामने करना चाहता हूं। केन्द्रीय सरकार ने यकायक यह मांग की कि उनको काफी (श्रमिक) लेबर कोर के लिये जिसको वे पूर्वी क्षेत्र में सेनाओं की सहायता के लिये भेजना चाहते थे दो दिन के अन्दर चाहिये। हमारे डायरेक्टोरेट ने और उसके अधिकारियों ने जगह-जगह से जितने आदमी उन्होंने मांगे थे उतने पूरे दे दिये और उनको गाड़ी में बैठा कर एक अफसर के साथ उस जगह पहुंचा दिया जहां वे पूर्वी क्षेत्र में उनको चाहते थे। बड़ी तेजी से काम हुआ। बधाई आई केन्द्रीय सरकार से उन अधिकारियों के नाम। इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार ने इच्छा प्रकट की थी कि हम इस प्रदेश में जो आज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स चल रहे थे उनके अन्दर ही कुछ और अधिक लड़कों को उनकी जो सिखाने की योजना है उसमें भी उनका हाथ बटायें, जैसे टरनर, फिटर, कारपेंटर ब्लैकस्मिथ, वगैरह। उन्होंने कहा कि ६ महीने आप ट्रेनिंग दे दें और उस ६ महीने की ट्रेनिंग के लिये वह ढाई हजार लड़के चाहते थे। हमने उनके सामने लड़के तो बहुत पेश किये लेकिन फौज वालों के जो फिजिकल स्टैण्डर्ड हैं उनको हम पूरा नहीं कर सके और करीब १,०१२ लड़के जो उनके स्टैण्डर्ड के अन्दर आये उनको उन्होंने छांट लिया लेकिन जितनी सीट्स कही थीं हमने उतने लड़के पूरा करने के लिये सिविलियन कह कर भरती करा दिये ताकि ये कुशल कारीगर भी काम आ सकें और आवश्यकता पड़ने पर उनसे यथासम्भव सहयोग मिल सके। उस काम को करने के लिये भी हमने इस वर्ष अपनी बचतों से पैसा पूरा कर लिया, कोई अधिक पैसा नहीं लिया। आने वाले साल में अगर वह योजना चलती रही तो लगभग साढ़े १३ लाख रुपये साल और खर्च होंगे। हमने कैपिटल खर्चा और नहीं बढ़ाया, शिफ्ट थर्ड कर दी और सिखाने वाले लोग भी कम से कम लिये, जो ऐडमिस्ट्रेटिव स्टाफ था उसी का सहयोग लेकर काम पूरा किया। जो ये दो काम हुये, एक तो दो दिन की नोटिस पर लेबर को सप्लाई करने का और दूसरे और लोगों को काम सिखाने का, इनमें आप सबकी कृपा से यह सफल हुआ है, यह सूचना आपको देना चाहता था।

मान्यवर, इस सूबे में श्रमिकों और मालिकों के बीच में यथासमय बहुत से झगड़े आते रहते हैं, हमारी चेष्टा रही है कि मिलजुल कर, समितियों में बैठकर, हम उन झगड़ों को निपटायें। हमारी यह भी इच्छा है कि मालिक और मजदूरों के झगड़ों को यथासम्भव बातचीत करके अन्यथा आर्बीट्रेशन द्वारा दोनों पक्षों द्वारा स्वीकृति द्वारा झगड़ों का निपटारा हुआ करे। लेकिन इसमें हमें काफी सफलता नहीं मिली है। जितने भी मजदूर यूनियन झगड़े लाते हैं वे इस तरह फैसले

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

के लिये तैयार रहते हैं लेकिन कहीं-कहीं और काफी मात्रा में मालिक इस तरह से फैसला लेने में हिचकिचाते हैं, जिसको हम समझ नहीं पाये हैं। लेकिन हम यह आशा करते है कि जितने भी उद्योगपति हैं वे अपना पुनीत कर्त्तव्य समझेंगे और उन्हें समझना चाहिये कि सुखी और सन्तुष्ट मजदूर उनकी सब से बड़ी पूंजी है। सुखी और सन्तुष्ट मजदूर उद्योग के लिये ही नहीं बल्कि देश के लिये भी एक बहुत बड़ी पूंजी है।

मान्यवर, जैसा तरीका हमने अपनाया है उसमें एक बात याद रखनी है बातचीत से समझाने का हमने तरीका अपनाया है। जोर-जब्र का राज्य और डंडे का राज्य चलाना न तो संभव है और न मुनासिब ही है। अब अगर इस भारतवर्ष में जिसमें शंकराचार्य महाराज ने समझाकर ही सारे धर्म को बदल दिया और महात्मा बुद्ध ने सारे भारतवर्ष में धर्म का प्रचार कर दिया।

"वादे वादे जायते तत्वबोधः"

जिस देश में यह परम्परा रही है उसमें यह चीज अन्यथा सम्भव नहीं है। हम आखिरी दम तक चेष्टा करते रहें और समझाते रहे हैं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो मालिक आर्बीट्रेशन से इंकार करे, उसके मजदूरों का केस अगर बिल्कुल गलत नहीं है तो उसको एडजुडिकेशन में जाना चाहिये। जब अधिक से अधिक केसेज एडजूडिकेशन में जाने लगें तो मालिक भी उसको समझेंगे। हमारी नीति में समझाने का पहला कदम है। फिर उक्त लीवर लगाने का तरीका है, जिसे हम धीरे-धीरे लगायेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि आप सभी का सहयोग हमारे साथ हो। मैं स्थिति साफ कर दूं कि जो कुछ मैं सदन में कह रहा हूं वह यही है कि मालिक को आर्बीट्रेशन को मानना चाहिये तो यह बात अब मेरे अकेले की आवाज नहीं रहेगी, बल्कि सदन क सभी माननीय सदस्यों की आवाज रहेगी और इस तरह पंचों की राय होगी और उसको उद्योगपति स्वीकार करेंगे। इसके बाद मैं कहूंगा कि भूलों से हम ऊपर नहीं हैं, गलतियों से हम ऊपर नहीं हैं, फिर भी हमने यथाशक्ति यथासंभव चेष्टा की है कि श्रमिकों का अधिक से अधिक कल्याण हो। मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन इस ग्रांट का अनुमोदन करे और अपनी राय तथा विचार विमर्श से हमें अनुगृहीत करे।

श्री अध्यक्ष---

(श्री संत सिंह यूसुफ से) मैं एक बात अर्ज कर दूं कि आपने नियम ५३ में एक सूचना दी थी, वह इसी विषय के संबंध में थी। उसके संबंध में भी जो कुछ कहना हो आज ही कह लीजिये।

श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)---

इसमें मुझे २-४ मिनट और दे दिये जायं।

श्री अध्यक्ष---

हां, मैं आपको समय दूंगा।

श्री संतसिंह यूसुफ---

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २६---श्रम और सेवायोजन के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य---विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

पहली बात तो यह है कि मेरा यह पक्का विश्वास है कि जो हमारी राष्ट्र की नीति है कि सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी इस देश में बने और दूसरे आज की हालत में देश की नीति है कि इस वक्त सुरक्षा मजबूत हो, दोनों दृष्टिकोणों से हमारी लेबर नीति पूंजीपतियों के पक्ष में है और मजदूरों के विरोध में है। मैं इसलिये यह कह रहा हूं कि एक तरफ पूंजीपतियों के मुनाफे दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। कानपुर को मिलों ने लाखों रुपया मुनाफा १९६०-६१ में कमाया है, जिसके हिसाब से मुनाफे और कारखाने बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ मजदूर की हालत

गिर रही है। कुछ मिलों ने झगड़ा करके जबरदस्ती बोनस लिया। लेकिन म्योर मिल और विक्टोरिया मिल दोनों ने चार गुना पहले के मुकाबले में मुनाफा कमाया.....

श्री अध्यक्ष--

जरा माइक से दूर रहिये।

श्री संतसिंह यूसुफ--

मजदूरों ने एक राय से हड़ताल के लिये बैलेट दिया और वोट दिया कि हम स्ट्राइक करेंगे। उसके बाद मंत्राणी जी से मिले। उन्होंने आश्वासन दिया ४ नये पैसे, १ लाख ३५ हजार रुपया मालिक दे रहे थे, उन्होंने कहा कि इकन्नी के लिये कोशिश करेंगे। हमने कहा इकन्नी के लिये कोशिश कीजिये, फिर लड़ाई का चक्कर पैदा हो गया। चीन के हमले की वजह से हम लोगों ने विक्टोरिया मिल और म्योर मिल दोनों का नोटिस वापस ले लिया। जब मजदूरों ने अपना नोटिस वापस ले लिया तो सरकार की यह मारल रेस्पांसिबिलिटी थी कि इस डिस्प्यूट को तय करती। डिप्टी मिनिस्टर जी ने बहाना कर दिया कि ऐडजुडिकेशन में चला गया। अरे, भले आदमी, जब बातचीत हो रही थी तब भी ऐडजुडीकेशन में था। ऐडजुडिकेशन में आपने भेजा था। हमने कहा कि उसको वापस कर लें। नहीं किया।

खाली यही नहीं। एक तरफ प्राफिट बढ़ रहा है, दूसरी तरफ महंगायी बढ़ रही है। महंगाई का न्युट्रलाइजेशन नहीं होता है। कानपुर के और बम्बई के टेक्सटाइल वर्कर्स में महंगाई में ४० रुपये का फर्क है। बिन्दबासिनी प्रसाद रिपोर्ट में बुनियादी बात यह थी कि कानपुर और बम्बई का वर्क लोड और वेजेज एक होना चाहिए। कानपुर में वर्क लोड वीविंग और स्पिनिंग दोनों में ज्यादा है और वेजेज कम हैं। बम्बई में ९५ परसेंट न्युट्रलाइजेशन है, अहमदाबाद में ९८ परसेंट, कानपुर में ५०-५२ परसेंट, अहमदाबाद में ९८ परसेंट, कानपुर में ५०-५२ परसेंट न्युट्रलाइजेशन है जिसका नतीजा यह है कि ४०-४५ रुपये माहवार बम्बई और कानपुर के वर्कर में फर्क है। वेज बोर्ड के अवार्ड के मुताबिक डियरनेस का मामला नैशनल ट्राइबुनल के पास जाना चाहिए, नहीं भेजा।

श्री मैनेजरसिंह--

एक व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहता हूं। माननीय संत सिंह यूसुफ ने कटौती का प्रस्ताव पेश नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

कर दिया।

श्री संतसिंह यूसुफ--

बम्बई में टेक्सटाइल वेज बोर्ड की यह रिकमेंडेशन थी कि डी० एफ० ए० का मामला एक कमीशन के सामने जाय। लेकिन सरकार ने उसे कमीशन में नहीं भेजा। संपूर्णानन्द जी ने अपने अवार्ड में खुद लिखा है कि इन इंडस्ट्रीज ने खुद काफी प्राफिट कमाया है लेकिन चूंकि यह मामला मेरे सुपुर्द नहीं है इसलिए मैं इसके बारे में नहीं कहता हूं। तो अब यह कौन करेगा? जहां इतना प्राफिट है एम्प्लायर्स को वहां वर्कर्स की वेजेज दूसरी जगह के उनके साथियों की वेजेज के मुकाबिले में इतनी कम हैं और गवर्नमेन्ट के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। टेक्सटाइल्स के अलावा बाकी कारखानों में भी यही चलता है। बिजली घर को ले लीजिए। श्रीमन्, मैं जो यहां बात कह रहा हूं वह केवल मेरी आवाज नहीं है बल्कि वह जितने लेबर के अन्दर काम करने वाले सज्जन हैं इन्क्लूडिंग आई० एन० टी० यू० सी०, सबकी यह यूनानिमस ओपिनियन है। बिजली का सरकारी कारखाना है। इसमें मैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में कोई भेद नहीं पाता। पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर से चार जूते और आगे है इस मामले में। चार कदम आगे ही है, पीछे नहीं है। बिजली के नेता जो कांग्रेस के ही नेता हैं अर्जुन अरोड़ा, राजाराम शास्त्री, हामिद खां, इन सब लोगों का लेटर इस अखबार में निकला है। उनका कहना है कि

[श्री सन्तसिंह यूसुफ]

बिजलीघर में १०-१५ गुना प्राफिट बढ़ा है, लेकिन वेज रिवीजन नहीं हो रहा है। बुनियादी सिद्धान्त सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी का यह है कि देश की पैदावार बढ़े, मुनाफा बढ़े तो उससे चीजें सस्ती होनी चाहिए और वर्कर्स की वेजेज बढ़नी चाहिए। लेकिन न चीजें सस्ती होती हैं, न वर्कर्स की वेज बढ़ती है। प्राफिट लेकर के एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा और चौथा कारखाना वह खोलते जा रहे हैं। लाखपति से करोड़पति और करोड़पति से अरबपति बनने की धुन उनको होती है। उनकी तो बात कुछ समझ में आती है लेकिन आपकी बात समझ में नहीं आती है कि आप यह धन बटोर कर उसका क्या करेंगे ? अगर वह वर्कर्स को आप नहीं दें तो फिर समाजवाद का फायदा क्या ? इसी के लिये इस आर्टिकिल में लिखा है कि वेज रिवीजन होना चाहिये क्योंकि प्राफिट बढ़ गए हैं। और यह हालत केवल इसी में नहीं है। रोडवेज में भी यही हालत है और पी० डब्ल्यू० डी० की हालत भी यही है। पी० डब्ल्यू डी० में तो एक बार हद हो गई कि यह समाजवाद के मिनिस्टर हैं या क्या हैं ? यहां एक बार पी० डब्ल्यू० डी० के मिनिस्टर साहब बोले कि जहां सस्ता लेबर हमको मिलेगा वहां से करेंगे, १७ रुपये, २० रु० पर लेबर भर्ती करेंगे। यह अच्छा समाजवाद है? यही तो पूंजीपति भी कहता है कि जहां सस्ता लेबर मिलेगा, वहां करेंगे, जितनी चमड़ी उसकी उधेड़ सकेंगे, उतनी उधेड़ेंगे। आप भी अगर यही बात कहें तो यह कुछ मुनासिब नहीं मालूम होता। तमाम डिपार्टमेंट्स में जहां तक वर्कर्स की वेजेज और उनके महंगाई भत्ते वैगरह का प्रश्न है, कहीं कुछ नहीं किया गया है। न्यूट्रलाइजेशन में कहीं कुछ हुआ भी है लेकिन बाकी चीजों के बारे में कुछ नहीं हुआ है। इस समय मैं ज्यादा डीटेल्स में नहीं जाना चाहता, करीब-करीब सभी जगह एक सी ही हालत है। मैंने माननीया मंत्राणी जी से भी एक बार कहा, नन्दा जी से भी एक बार कहा कि भाई यह जो कानून है, लेबर लाज हैं, इनको सरकारी कारखानों में क्यों नहीं लागू करते ? सरकारी वर्कशाप है, फैक्ट्री ऐक्ट वहां नहीं है, पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट वहां नहीं है। उनमें आपस में वह डिस्प्यूट सेटिल नहीं करते और कंसीलिएशन में भी नहीं जाने देते क्योंकि सरकारी मामला है। तो खुद सेटिल नहीं करते हैं और कोर्ट में जाने नहीं देना चाहते हैं, यह डबुल रोल क्यों प्ले करते हैं ? अगर ऐडजूडिकेशन से तय होना है तो आप उन केसेज को आर्बिट्रेशन में भेजिए। आर्बिट्रेशन से जल्दी तय होगा इसलिये मैं कहता हूं कि आरबिट्रेशन में भेजिए। मैं तो आपसे कहता हूं कि यहां पर इतने मिनिस्टर्स बैठे हैं, मैं उनको ही आरबिट्रेटर मान लूंगा। यदि किसी केस में सरकारी आदमी भी होंगे, तो भी मैं मान लूंगा। लेकिन आप उसको शुरू तो कीजिए। सरकारी कारखानों में यह जो लेबर लाज का इम्पलिमेन्टेशन नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं रहा है ? इसके लिये एक हाई पावर कमीशन बना। मगर सरकार उसकी बात कहां सुनती है। सरकार तो इस कान से सुनती है और उस कान से निकाल देती है। यहां पर बहस खत्म हुई और कपड़ा झाड़कर उठ खड़े हुए। लेबर लाज का इम्पलिमेन्टेशन कहीं किसी डिपार्टमेन्ट में नहीं है। वेजेज की हालत और कानून की हालत तथा सिक्योरिटी आफ सर्विस की हालत आज संतोषजनक नहीं है। मैं प्राइवेट कारखानों की बात नहीं करता हूं, वह तो उन लोगों ने अपने पर्सनल मुनाफे के लिये बनाये हैं। आप देखें कि १५-१५, २०-२० साल से मजदूर टेम्पोरेरी हैं और सब्सीट्यूट पर हैं। जब चाहे निकाल दीजिए और जब चाहे रख लीजिये। मैं माननीय बहुगुणा जी से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूं कि उनका जो एटीट्यूड है, वह दूसरा है और उसको वह कृपया बदल लें। वह केवल लेबर के मिनिस्टर ही नहीं हैं, बल्कि वह लेबरके लीडर भी रहे हैं और वह इस चीज को अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं यदि वह जानते हैं और नहीं करते हैं तो मैं उनसे कहूंगा कि वे क्यों कुर्सी पर बैठे हैं, उसको छोड़ें और हमारे साथ आ जायें। इसलिये सिक्योरिटी आफ सर्विस पर आपको ध्यान देना चाहिए और जो हालत इन्डस्ट्री में मजदूरों की है, उसको सुधारना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक बार ट्रांस्पोर्ट के मिनिस्टर साहब से मैंने पूछा कि आपके यहां पर कितने इम्प्लाईज टेम्पोरेरी हैं और कितने परमानेन्ट हैं ? तो यह पता चला कि ११ हजार कर्मचारियों में से ८ हजार कर्मचारी टेम्पोरेरी हैं और केवल ३ हजार परमानेन्ट हैं। जब कि यह एक मुनाफे के विभाग है और परमानेन्ट विभाग है। यह हालत आज सरकारी मामलों की है। मैंआपसे पूछता हूं कि

यह कैसा समाजवाद है। आप को इसको सुधारना चाहिए। मेरा यह कहने का मतलब नहीं है कि आप पूंजीपतियों को जब्त कर लें, बल्कि मेरा यह कहना है कि जो गैप है, वह कम होना चाहिये नीचे वालों को आपको ऊपर उठाना चाहिये। आपको कायदे कानून ऐसे बनाने चाहिए कि निम्न वर्ग के लोग अपने पैरों पर अपने आप खड़े हो सकें। आपको ऊपर वालों को टैक्सेशन के जरिये से नीचे लाना चाहिए। मैं अपने बहुगुणा जी से कहता हूं कि वे डालमियां और पद्मपत को बदलें, डन्डेबाजी से नहीं, बल्कि कानून के द्वारा। मैं तो यह कहता हूं कि यह सरकार के लिये एक सुनहरा अवसर है। आपको डिफेन्स के नाम पर ऐसे कानून पास करने चाहिएं कि जितना मुनाफा है, वह सब नेशनल डिफेन्स में जायगा, हम देश के अन्दर डिफेन्स इन्डस्ट्री को बनायेंगे। तो मैं इसका वेलकम करता। आज भी आप से कहता हूं कि जितना डिफेन्स के लिये पैसा निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों ने दिया है और जितना काम उन्होंने किया है उतना आज उच्च वर्ग और धनी वर्ग की ओर से नहीं हुआ है। आगे भी वे करते रहेंगे। आप चाहें तो प्राइवेट इम्पलाईज के इन्टरेस्ट में उनके मुनाफे के लिये आप इस इमर्जेन्सी को समाप्त कीजिये। हम उसकी तानाशाही के खिलाफ गर्दन नहीं झुकायेंगे। इसलिये मैं आपसे फिर यह अनुरोध करूंगा कि आप कर्मचारियों के लिये सिक्योरिटी आफ सर्विस पर ध्यान दें।

एक बात मैं और कह देना चाहता हूं कि जो अभी हमारी सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने ट्रिपारट्राइट कान्फरेन्स जो लेबर के सिलसिले में बनाई हैं, उसमें जब तक इमर्जेन्सी की हालत है, तब तक मजदूर हड़ताल न करें और उत्पादन को बढ़ायें। यही उसका मतलब है। तीसरे जो मुकदमे हैं आर्बिट्रेशन में खुद तय कर लिये जायं। उसका इनडोर्समेन्ट हमारे बहुगुणा जी ने अपनी इनफार्मेशन दिलाकर किया। मेरा दावा है कि तीनों चीजों को सैबोटाज किया गया। गुलजारी लाल नन्दा की मैं बहुत इज्जत करता हूं, वह कभी-कभी साफ-साफ बात कह देते हैं--हमारे मिनिस्टर छिपाने की बात करते हैं उन्होंने कहा है कि एम्पलायर्स जुरिस्डिक्शन रेजोल्यूशन को तोड़ रहे हैं और जो शुरुआत में झगड़े कम हुए थे वह फिर बढ़ने लगे हैं औ यह १०० परसेंट सही है। आज कानपुर में हालत यह है कि मालिक के ऊपर कोई रोक नहीं है। जब से चीन का हमला हुआ प्रोडक्शन बढ़ाने के बारे में उसमे सैबोटाज किया। मैं डेलिबरेटली लफ्ज 'सैबोटाज' यूज कर रहा हूं। वह बाजार में, चोर बाजार, में, ब्लैक मार्केट में सूत बेचता है और यह बात कोई डिनाई नहीं कर सकता है। एक कमेटी मीटिंग में यह कहा गया कि मालिक सूत को चोर-बाजार में बेच रहे हैं। २,००० लूम्स बन्द पड़े हैं। लक्ष्मी रतन काटन मिल की एक शिफ्ट बन्द हो गयी, हमारे मिनिस्टरों को मालूम ही नहीं है। अगर मालूम हो भी तो उसका जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि वह कांग्रेस का नेता है राम रतन। पार्लियामेन्ट का मेम्बर है और कोई कायदा कानून उसके कारखाने में नहीं चलता। फारमूसा में उसका कारखाना है, हिन्दुस्तान में नहीं है, हिन्दुस्तान की डिमोक्रेसी के लिये.....

श्री अध्यक्ष--

जो आदमी यहां नहीं है उस पर ज्यादा व्याख्या न करिये।

श्री सन्तसिंह यूसुफ--

मैं व्यक्ति की बात नहीं, कारखाने की बात कर रहा हूं, क्योंकि बन्द हो गया, प्रोडक्शन लास हुआ। ट्रूस कांफरेंस कहां गयीं ?

स्वदेशी काटन मिल में ८५६ लूम थर्ड शिफ्ट में जो थे उन पर ताला डाल दिया और तकरीबन ६०० लूम बाकी दो शिफ्ट में बन्द हैं। तो १,४५० लूम बन्द पड़े हैं। और बिदड्यू रेस्पेक्ट टु माननीय मंत्राणी जी कहता हूं कि डिप्टी मिनिस्टर साहब जो कहते हैं कि २०० लूम चल जायंगे, बन्द नहीं होंगे, लेकिन बन्द नहीं होंगे यह जरूर है, आपस का मामला समझते हैं, यह तरीका नहीं करना चाहिए। होगा यह कि जो टेम्पोरेरी और सब्सटीटयूट हैं उनको काम नहीं देंगे। नाम रहेगा, काम नहीं रहेगा तो बेकार नहीं हुए तो क्या हुआ, क्या आसमान पर चले जायंगे ? कपड़े के टाइम में दो शिफ्ट होने जा रही हैं। स्वदेशी काटन मिल में भी नाइट

[श्री सन्तसिंह यूसुफ]

शिफ्ट रोटेट करती हैं। नाइट शिफ्ट को परमानेन्ट कर दिया। सुपरवाइजरी के १३५ रूल के मुताबिक एप्पलायर्स बिना सुपरवाइजरी कमेटी की परमीशन के इस तरह नहीं कर सकते हैं। संपूर्णानन्द जी ने एक टाईमिंग दिया है। उन्होंने साफ किया कि इतने टाइम से इतने टाइम तक चलेगी। अगर एक्सट्रा वर्क होगा तो चेंज होगा और वह सुपरवाइजरी कमेटी में जायगा, लेकिन कौन परवाह करता हैं? कानपुर में कोई परवाह नहीं करता। मान्यवर, सुपरवाइजर कमेटी छोड़ दीजिये, सरकारी जो अफसरान हैं जो डिप्टी लेबर कमिश्नर और कमिश्नर हैं वह परवाह नहीं करते। पूंजीपति इनकी परवाह नहीं करते। मैं जानता हूं कि यह मुंह पर नहीं कहेंगे लेकिन मैं तो रोज देखता हूं कि नहीं करते हैं। संपूर्णानन्द ऐवार्ड को ६ महीना हो चुका है लेकिन खटाई में पड़ा है। मैंने परसनली डिप्टी लेबर कमिश्नर, जो इम्प्लीमेन्ट कराने के इन्चार्ज हैं, से कहा, बीसों चिट्ठियां लोगों ने लिखीं, उनको उन्होंने मिल मालिकों के पास भेज दिया।

श्री अध्यक्ष--

आप जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री सन्तसिंह यूसुफ--

आपने लाल बत्ती कर दी। अभी तक एक चौथाई भी नहीं हुआ। १० मिनट मुझे और चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

२ मिनट के बजाय मैं ५ मिनट आपको दे दूंगा। आप इतने में खत्म कर दीजिये।

श्री सन्तसिंह युसूफ--

मैं जल्दी खत्म करूंगा लेकिन १० मिनट दे दीजिये। मैं लाल बत्ती देखकर घबड़ा गया। तो संपूर्णानन्द ऐवार्ड में तीन-चार चीजें वर्कर्स को मिलनी थीं। कुछ वर्कर्स को डिसऐडवांटेजेज भी थे लेकिन चूंकि ज्यादातर ऐडवांटेज था इसलिये हमने तय किया कि हम इसको इम्पलीमेन्ट कराने के लिये तैयार हैं। लेकिन आज तक मिल वालों ने उस पर अमल नहीं किया है। १५ अगस्त के बाद उसको लागू हो जाना चाहिये था लेकिन आज तक वर्कर्स को ग्रेचुइटी का पैसा नहीं मिला है। उसके लिये एम्प्लायर्स ने क्या तरीका निकाला है। उसमें है कि लास्ट ईयर के अटेंडेंस से जितने साल की सर्विस है उसका मल्टीपिल करें और प्राविडेंट फन्ड का रुपया काटकर पैसा दे दिया जाय। अब अगर मजदूर लास्ट ईयर बीमार पड़ गया तो ३० साल में २९ साल ठीक से सर्विस करने के बाद भी उसको पैसा नहीं मिलेगा। ६ महीने भी बीमार रहा तो नहीं मिलेगा। बुड्ढा हो गया, काम नहीं कर सकता तो चाहे कितना ही काम करने वाला हो उसको पैसा नहीं मिलेगा। नतीजा यह है कि वह सब रो रहे हैं, सरकार की और हमारी, दोनों की जान को।

एरियर का पैसा म्योर मिल वालों से कहा गया कि दे दो, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं दिया। तन्ख्वाह भी ऐसी लगाई गई है कि किसी किसी मिल में तो बढ़ने के बजाय कम हो गयी है। काम तो वह वर्कलोड की बेसिस पर लेंगे, लेकिन तन्ख्वाह एफीशियेंसी की बेसिस पर लगायेंगे। ४ मिलों में आज तक हमारे यहां तनख्वाह नहीं मिली है। फरवरी की तनख्वाह, मार्च, और अप्रैल के साथ अप्रैल में जाकर मिलेगी। सुपरबाइजरी कमेटी का डिसीजन मालिक नहीं मानता। हमारे मंत्री जी ने कहा हृदय परिवर्तन करेंगे। अखबार में छपा उन्होंने पढ़ लिया। क्या हृदय परिवर्तन होगा। मालिक के लिये हृदय परिवर्तन और मजदूर के लिये कानून। क्या इसी से समाजवाद बनाओगे।

पिछले हफ्ते स्वदेशी मिल की मशीन बन्द हो गयी। दो मजदूर नेता वहां गये। दोनों को वहां से निकाल दिया गया। ऐवार्ड के मुताबिक आधे दिन की छुट्टी की बात आयी। डिप्टी लेवर कमिश्नर ने मालिक से कहा कि आधे दिन की छुट्टी होगी। उनके सामने मालिक ने कह दिया हां, लेकिन छुट्टी नहीं हुई। यह हालत है। यह आपका हृदय परिवर्तन

करने का तरीका आपका न मालिक का भला करेगा और न मजदूर को मदद करेगा। मालिकों को गलत एन्करेजमेन्ट मिलेगा और मजदूरों को निराशा मिलेगी। मैं बहुगुणा जी से दोस्ताना तरीके से पूछना चाहता हूं कि आपने जो उस दिन स्टेटमेंट दिया कि साहब १५ सौ मशीनें बन्द हो गईं और कोई मजदूर बेकार नहीं हुआ तो यह कैसे हो सकता है? मजदूर पूछते हैं कि यह मजदूर नेता कैसे हैं। मजदूर यह समझता है कि हम सरकार के एजेन्ट हैं, सरकार यह समझती है कि हम गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं। अजीब बात है। हालत यह है कि सुबह से शाम तक उनका आपस में सेटिलमेंट कराने में समय लग जाता है। मैं लेबर मंत्राणी जी से, लेबर डिपार्टमेंट से, और सभी से यह प्रार्थना करूंगा कि इस चीज को रोका जाय, वरना कानपुर में ही नहीं, कानपुर तो अगुआ रहेगा, सब जगह एक विस्फोट होने वाला है और यह आपकी सुरक्षा रखी रह जायेगी।

एक चीज और कहना चाहता हूं। सुचेता जी ने कहा कि एक यूनियन एक इन्डस्ट्री में होना चाहिये। मैं इस बात का स्वागत करता हूं। मगर मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप पालिटिक्स को अलग रखिये, भले ही आप कम्युनिस्टों को गाली दीजिये, हम आपको दें, कभी आपका नम्बर आता है, कभी हमारा आता है, लेकिन जहां तक लेबर का प्रश्न है, उनका और मालिकों के रिलेशन का संबंध है, उसको आप इम्प्रूव करिये और उसके लिये एक ही तरीका है कि आप यूनियनों को इन्करेज करिये और उनको रिकग्नाइज कीजिये। आप उनका भी बैलट कीजिये, जब प्रधान मंत्री का चुनाव बैलेट से हो सकता है, तो क्या यह काम नहीं हो सकता। जो मोस्ट रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन हो, उसको आप रिकग्नाइज कीजिये। इस तरह से यदि आप करेंगे....

श्री अध्यक्ष––

अब आपका समय समाप्त हुआ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)––

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे विरोधी दल के एक साथी ने कहा कि कभी हम कम्युनिस्टों को गाली दें, कभी वे हमको दें, मैं कहती हूं कि इसमें किसी दल का सवाल नहीं है। हमारा यह उद्देश्य है कि श्रमिकों की हालत में सुधार हो, और इन्डस्ट्री का उत्थान हो। मैं अपने विरोधी भाई की बहुत सी बातों का स्वागत करती हूं और सरकार से निवेदन करती हूं कि उन्होंने बहुत सी अच्छी बातें रखी हैं, जो अपने सुझाव रखे हैं, उन पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करे।

अध्यक्ष महोदय, आज जो अनुदान प्रस्तुत है २,७१,००,४०० रुपये का, उसका मैं समर्थन करती हूं। पिछले वर्ष से यह ३७ लाख ६८ हजार का ज्यादा अनुदान है। द्वितीय योजना में ०.४३ करोड़ का लेबर के लिये अनुदान था, अब तृतीय योजना में, इसके महत्व को समझकर ४.१४ करोड़ किया गया है। इससे जाहिर है कि हमारी सरकार इस तरफ काफी प्रगतिशील है और प्रगति कर रही है। फिर भी कुछ चीजों को अपने सामने रखना पड़ता है। आज जो हमारी नीति है लेबर के संबंध में वह इस स्थान पर कैसे पहुंची? यहां पर पहुंचने में काफी समय लगा है? उसका एक इवोल्यूशनरी प्रासेज है, उसमें समय समय पर परिवर्तन हुआ है और उसमें हमने २–३ चीजों को आधार माना है। वह आधार यह हैं कि इन्डस्ट्री का उत्थान हो, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा हो, तथा जितने भी परिवर्तनों की आवश्यकता हो, वे किये जायं। आज के क्रान्तिकारी युग में एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है और वह है ज्वाइंट मैनेजमेंट काउन्सिल का जिसमें हमारे श्रमिक भी होंगे और मिल मालिक भी होंगे। यह इसलिये होगी कि वे ज्यादा से ज्यादा सहयोग लेबर के विषय में दे सकें। हमारे देश में एक्सपेरीमेंटल बेसिस पर यह काम हो रहा है और मेरा विचार है कि यह एक नयी विचारधारा है जिसको सही रूप लेने में कुछ समय लगेगा और मेरा विचार है कुछ समय में उत्तर प्रदेश में भी यह चीज आयेगी।

हमारा लक्ष्य समाजवाद का है और हमारा बराबर ही यह लक्ष्य रहा है कि मजदूरों का हित हो। इसी के लिये जगह जगह वेज बोर्ड्म की स्थापना की गयी है। शुगर, टैक्सटाइल और जूट इन्डस्ट्री में इनकी स्थापना हुई है। शुगर इन्डस्ट्री में ७० मिलों में वेज बोर्ड की रिकमेंडेशन्स को

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

पूरे तौर से लागू किया गया है और आशा है नियोली में भी शीघ्रातिशीघ्र उनको लागू कर दिया जायगा। जूट मिलों में इन्टेरिम रिलीफ दिया गया है। मिल वालों ने हाई कोर्ट से रिट ला दिया था लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने उस पर जोर दिया और सरकार के सुझाव को मानना पड़ा।

तीसरी टेक्सटाइल मिलों के संबंध में विरोधीदलों की ओर से कहा गया कि कानपुर में आंतक फैला हुआ है। मैं भी इस बात को स्वीकार करती हूं कि इस इमरजेंसी के समय में मजदूरों और मिल मालिकों में पूर्ण सहयोग होना चाहिये और किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिये। जहां एक ओर कोई लाकआउट नहीं होने चाहिये वहां स्ट्राइक भी नहीं होने चाहिये। हमें इस बात को इस समय सबसे अधिक महत्व देना चाहिये कि कोई इन्डस्ट्री आइडिल न रहे, कोई मशीनरी आइडिल न रहे, कोई मैन पावर आइडिल न रहे। लेकिन कानपुर में जो साढ़े चौदह सौ लूम आइडिल पड़े हुए बताये जाते हैं, यह एक गंभीर समस्या है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्राणी जी की उस घोषणा का स्वागत करती हूं जिसमें उन्होंने यह बताया कि २०० लूम इस माह के आखिर तक चालू हो जायेंगे। इसका स्वागत करते हुए मैं निवेदन करूंगी कि ऐसा प्रयत्न किया जाय कि वर्कर्स बेकार न रहने पायें।

रेशनेलाइजेशन का भी जिक्र किया गया। यह कानपुर की पुरानी बीमारी है। बहुत से पुराने मर्ज हुआ करते हैं, लेकिन मैं इस विचार की हूं कि कैसा ही पुराने से पुराना मर्ज हो, चाहे वह कैन्सर ही क्यों न हो, उसको आजकल की सर्जरी के जमाने में तुरन्त चीरा देकर साफ कर देना चाहिये। रेशनेलाइजेशन के संबंध में जो सम्पूर्णानन्द अवार्ड हुआ था उसको शीघ्र पारित किया जाना चाहिये और उसके बाद जो रिट्रेन्च हों उनको दूसरे कामों पर लगाया जाय। इसके लिये एक कमेटी डिकेजुलाइजेशन कमेटी के नाम से बनायी गयी थी। यह कमेटी आठ वर्ष पहले बनी थी, शायद पिछले तीन वर्षों से तो उसकी कोई मीटिंग ही नहीं हुई है। मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि रेशनेलाइजेशन से जो रिट्रन्चमेंट हो उसको इस कमेटी के अन्तर्गत लाया जाय और उनकी सहायता की जाय।

जहां तक वेज बोर्ड का संबंध है, यह श्रमिकों और मजदूरों में सहयोग उत्पन्न करने के लिये कोड आफ डिसिप्लिव माना जाता है। इसीलिये बड़े-बड़े वेज बोर्ड्स बने हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि कानपुर में लेदर इन्डस्ट्री के लिये भी एक वेज बोर्ड की स्थापना की जाय।

टैनरी में जो लोगकाम करते हैं उनकी दशा बहुत ही ज्यादा खराब है। वे बेचारे गरीब हैं और अशिक्षित हैं। दूसरे ये टेनरीज प्राइवेट हैं इसलिये वे कभी-कभी उनकी गरीबी और अशिक्षा का नाजायज फायदा उठाते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगी कि टेनरीज के संबंध में एक वेज बोर्ड की स्थापना की जाय।

इसके अतिरिक्त हाउसिंग का प्राब्लम पर फिर से विचार किया जाय। इससे पहले २,२०० क्वार्टर्स मजदूरों के लिये बनाये गये थे लेकिन उनका किराया १२ रुपया और ३ रुपया बिजली का इस प्रकार से १५ पया माहवार रखा गया था जो टेनरी के वर्कर्स के लिये देना असंभव था। इस संबंध में मैं निवेदन करूंगी कि टेनरी के वर्कर्स से उनकी तनख्वाह का १० प्रतिशत लिया जाय और बाकी पैसा इन्डस्ट्री के मालिक से लिया जाय। वे इस पैसे को इन्डस्ट्री के हित में दें। आशा है मेरे इस छोटे से सुझाव को मान लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त जो आर्थिक विषमता है उसको दूर किया जायगा।

एक बात और कानपुर के ही संबंध में है। इसकी लोक सभा में भी चर्चा हुई है। इस इमरजेंसी काल में सुनारों के ऊपर एक भीषण मुसीबत आ गयी है। यह सही है कि वे किसी से कम देशभक्त नहीं हैं और अपने जीवन में वे जो कुछ भी कर सकते हैं देश के लिये हर तरह से अवश्य करेंगे। फिर भी जैसी कि वहां चर्चा हुई, सरकार की आज जो नीति है उससे उनके ऊपर एक आपत्ति आ गयी है। तो सरकार इस पर विचार करे कि सुनारों का नाम इम्प्लायमेंट एक्सचेंज में

दर्ज किया जाय और उनको प्रायमिकता दी जाय। अगर किसी काम को वे जानते हैं तो पहले उनको स्थान मिले और अगर वे कोई काम नहीं जानते हैं तो किसी और ट्रेनिंग के लिये सुविधा उपलब्ध की जाय।

एक बात और मुझे कानपुर के केसा वर्कर्स के संबंध में कहनी है। अक्सर अखबारों में भी यह चर्चा रहती है कि सन् १९४७-४८ में जो उनका वेज व तनख्वाह थी वही आज भी मिलती है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि महंगाई के इस जमाने में सरकार शीघ्र से शीघ्र उनकी मांगों के संबंध में विचार करे और उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे।

एक बात और रह जाती है शाप्स ऐण्ड इस्टेबलिशमेंट ऐक्ट के संबंध में। सरकार की तरफ से यह ऐक्ट पास किया गया, लेकिन फिर भी आज जनता के मन में शंका है। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि इस शंका का निवारण करने के लिये जल्द से जल्द इसे लागू किया जाय जिससे जनता को सुविधा मिले।

एक बात हाउसिंग के संबंध में भी कहनी है। यहां की गरीबी को देखते हुए, जनता की सुविधा को देखते हुये सरकार ने सन् १९५२ से लेकर आज तक चार चरणों में २०,४९० क्वार्टर्स बनवाये हैं। यह कोई अच्छी प्रगति नहीं है। खैर, उसके सम्बन्ध में तो मैं बाद में डील करूंगी।

अब रही न्याय की बात। अक्सर यह शिकायत की जाती है कि न्याय मिलने में बहुत देर होती है। ३ नवम्बर, १९६२ को एक त्रिदलीय कांफ्रेन्स हुई थी जिसमें इमर्जेन्सी को ध्यान में रखते हुये विचार किया गया और यह तय हुआ कि जहां तक हो सके मुकदमों की संख्या कम की जाय और आर्बिट्रेशन में ही मामला दे दिया जाय या ट्रिब्यूनल में भेज दिया जाय। सरकार ने इस बात का आश्वासन दिया कि कोशिश की जायगी कि इस तरह की किसी कार्यवाही का उल्लंघन मजदूरों या मालिकों की तरफ से न किया जाय। अगर मजबूती के साथ कदम उठाया जाय तो मिल मालिक भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। एक त्रिदलीय कांफ्रेन्स दिल्ली में बुलायी गयी थी और हमारे प्रदेश में भी एक कमेटी माननीय मंत्राणी जी ने लखनऊ में दिसम्बर में बुलायी थी जहां इस सिद्धान्त को स्वीकार किया गया और माननीय मंत्राणी जी ने आकाशवाणी से अपने प्रदेश को आह्वान किया कि इस तरह से झगड़े को निपटाने में सब लोग ज्यादा से ज्यादा सहयोग दें। जहां तक इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स ऐक्ट की बात है, उसके अन्तर्गत कुछ कांसिलिएशन बोर्ड बने हुये हैं और उसके अलावा कोर्ट या ट्रिब्यूनल भी बने हुये हैं, लेकिन जितनी प्रगति उसके कामों में होनी चाहिये उतनी प्रगति नहीं दिखलायी देती है। आंकड़े से मालूम होता है कि एक मुकदमा तय होने में औसतन १२१.५ दिन लगता है और आजकल के जमाने में यह प्रगति बहुत ही कम है। एवार्ड के इम्पलिमेंटेशन में भी बहुत समय लगता है। जब कि हमारा कल्याणकारी राज्य है, तो यहां कोई ऐसा रास्ता अपनाना चाहिये जिस रास्ते पर चल कर सब को जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके।

जहां तक श्रमिकों की बात है, लाखों लोगों की रोटी और रोजी का इनसे सम्बन्ध है। श्रमिकों के कल्याण की बात सरकार के सामने हमेशा रहती है और इस लिये उनकी भलाई के लिये इसी सदन ने एक ऐक्ट पास किया है जिससे उन्हें सही एजूकेशन दी जा सके और उनका उत्थान हो सके। उन की हाउसिंग, इंडस्ट्रीयल हाउसिंग स्कीम है, यह सब्सीडाइज्ड है, बीमा योजना है वह भी चालू है और जो उन की पेन्शन की चीज चालू की गई है वह भी बहुत अच्छी चीज मंत्री जी की ओर से हुई है, उससे लाभ हो रहा है। प्राविडेंट फंड की भी अच्छी स्कीम हैं, उस में भी प्रगति हुई है, इस में सवा ६ प्रतिशत श्रमिक लगाते हैं और उतना ही मालिक लगाते हैं और इस तरह से रिटायरमेंट के समय पर जो पैसा मिलता है वह एक अच्छी रकम हो जाती है। ६३ उद्योगों में यह चीज लागू हुई है और इस से १.५ लाख लोग लाभ उठा रहे हैं और आशा है कि यह चीज और आगे बढ़ेगी और इस में सफलता मिलेगी। इस सम्बन्ध में जो प्रगति नजर आती है उस से मालूम होता है कि दस साल में हम काफी कुछ इस दिशा में कर सकेंगे। (लाल बत्ती होने पर) कृपा कर के आप हमें २ मिनट का समय और दे दें।

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

एक और बड़ी कठिन समस्या सरकार के सामने उपस्थित है और वह है अनएम्पलायमेंट या बेकारी की । यदि आप पहली पंचवर्षीय योजना के आंकड़े देखें तो उस समय ९ लाख आदमी प्रदेश में बेकार थे और दूसरी योजना में वह तादाद १६ लाख तक बढ़ गई, इस तरह से २६.५ लाख बेकार थे दूसरी योजना में उन में से साढ़े ७ लाख के करीब लोगों को रोजगार मिला लेकिन तीसरी योजना के आरम्भ में साढ़े १८ लाख आदमी बेकार रहे हैं और जब तक तीसरी योजना समाप्त होगी उस वक्त तक यह तादाद और बढ़ जायगी और इस योजना के अन्त तक ४० लाख बेकारों की समस्या आयेगी और यह प्रदेश के लिये एक बड़ा चैलेंज होगा । मैं तो अपनी मंत्राणी जी को बधाई दूंगी कि जिन्होंने इतना बड़ा और जिम्मेदारी का महकमा लेना स्वीकार किया है और आशा है कि उन को अपने कर्त्तव्य को पूरा करने में सफलता भी मिलेगी । परन्तु यह तभी हो सकता है जब सब ओर से कांस्ट्रक्टिव सुझाव मिलें और सब की सहानुभूति उनके साथ हो और लोगों की मदद हो ।

प्लानिंग कमीशन ने सुझाव दिया है कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है इसलिये हमें इस दिशा में अधिक कोशिश करना होगा । सारे देश में आंकड़ों के अनुसार ७० प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में ७४.२ आदमी खेती पर निर्भर करते हैं और पूर्वी जिलों में तो यह प्रतिशत ८२ का है । यदि हम अपने यहां औद्योगीकरण बराबर करते जायं तो हम पंचवर्षीय योजना के अंत तक इस प्रतिशत को ६० तक ला सकेंगे । इस चीज का एक बहुत भारी महत्व है और सरकार को इस बेकारी की समस्या का हल हर तरह की कोशिश कर के निकालना उचित होगा । सरकार ने इस के लिये एम्पलायमेंट एक्सचेंज खोले हैं । जिस तरह से इस समस्या को डील करने की कोशिश की जा रही है उसके लिये मैं सरकार को बधाई दूंगी कि बहुत अच्छी तरह से समस्या को डील करने की कोशिश की जा रही है । वहां पर हर तरह की कठिनाइयां आती हैं लेकिन फिर भी एक प्रतिनिधि होने के कारण अनक शिकायतें हर तरह की मेरे पास आती हैं और मैं निवेदन करूंगी कि जिस तरह से मंत्राणी जी ने कानपुर एक्सचेंज में जाकर अचानक मुआयना किया और दफतर में जाकर फाइल्स और डाकूमेंट्स देखें । मैं जानना चाहूंगी कि उसका क्या नतीजा हुआ, क्या उनका वहां का एक्सपीरियेंस रहा क्योंकि जनता को वहां की शिकायत है कि वहां गरीबों की सुनवाई नहीं होती, बेकारों की जो परेशानी है, जो उन की समस्यायें हैं उन की ओर तो एक सहानुभूति की दृष्टि की आवश्यकता है, जिनकी रोजी का सहारा नहीं है, जो बेकार हैं उनके कष्ट को देखते हुये तो अधिक सतर्कता की आवश्यकता है और इन दफतरों में समय समय पर चेकिंग की आवश्यकता है । आशा है कि वहां के अपने अनुभव को और इस समस्या के बारे में कुछ मंत्राणी जी हमारे सामने तथ्य रखेंगी । एक बात मैं और पूछना चाहती हूं कि अभी कुछ दिन पहले माननीय गोविन्द सहाय जी के चेयरमैनशिप में इवेलूएशन कमेटी बनी थी और लेबर के सम्बन्ध में कुछ आंकड़े इकट्ठा किये गये थे और श्री राजा राम शास्त्री जी ने भी कानपुर शहर की बीमारी के सम्बन्ध में कुछ आंकड़े तैयार किये थे और शायद कोई रिपोर्ट भी तैयार हुई थी । मैं निवेदन करूंगी कि इन के सम्बन्ध में क्या रिपोर्ट आई है, वह क्यों नहीं पारित की गई ? उन पर मंत्राणी जी जरा प्रकाश डालें । इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करती हूं ।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो यह श्रम का अनुदान सदन के सामने प्रस्तुत है और उसके सम्बन्ध में जो विरोधी दल की ओर से माननीय यूसुफ साहब ने कटौती का प्रस्ताव उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

(इस समय १२ बजकर ४ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुय ।)

जैसा कि मंत्री जी ने अपने उल्लेख में बताया कि श्रमिक कानूनों को लागू करने में सरकार न पिछले दिनों में बहुत प्रगति की है उन्होंने बताया हमारे विवादों के निपटारे की संख्या में वृद्धि हुई है और श्रमिकों की दशा भी सुधरी है तथा जारी है। परन्तु इस समय जो वर्तमान कानून और जो लागू हैं, उनका सेन्टर के कानून से कोई मेल नहीं है अतः उनमें परिवर्तन की आवश्यकता

है अन्यथा यहां से जी० ओ० भेज देने से जो कठिनाइयां श्रमिक के विवाद के निपटारे में आती हैं उनका हल नहीं हो सकता । बताया गया कि आर्बिट्रेशन होता है, कोर्ट्स में जल्दी निपटारा होता है, परन्तु मुझे प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि १९५६-५७ के वर्कमैन के केसेज १९६२ तक चल रहे हैं और सरकार ने भी रिपोर्ट दी कि कार्यवाही की जा रही है । तो जो मजदूर नियम के अन्तर्गत अपने बोनस, नौकरी, एलाउन्स के लिये आपके सामने आता है उसको, ३, ४ साल तक इंतजार करना पड़ता है। आज जो व्यवस्था है कि कोई भी विवाद ले कर मजदूर किसी के सामने जाता है तो वह केस असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के पास बहुत दिनों तक पड़ा रहता है और ४, ६ महीने के बाद लिख कर दिया जाता है कि विवाद तथ्यहीन पाया गया और दाखिल दफ्तर किया गया । मेरे प्रश्न के उत्तर में सरकार ने स्वीकार किया कि तथ्यहीन विवाद की रिपोर्ट कमिश्नर द्वारा ऊपर भेजी जाती है और उसका कारण दिया जाता है, परन्तु जो मजदूर बोनस और नौकरी का निपटारा चाहता है उसको कोई सूचना नहीं दी जाती है और आगे बढ़ने का अधिकार रोक दिया जाता है। इसलिये जब तक कानून में सीमा का निर्धारण नहीं होता और समय निश्चित नहीं हो जाता तब तक श्रमिक को फायदा न हो कर मालिक को लाभ होता है । अतः सीमा का निर्धारण होना चाहिये । कारणों का दिया जाना नितांत आवश्यक है । यद्यपि केन्द्र के कानूनों में ऐसी व्यवस्था है, लेकिन यहां नहीं । कारण के अलावा उसको आगे बढ़ने का अधिकार भी होना चाहिये ।

इंडस्ट्रियल डिसप्यूट के अन्तर्गत कुछ प्रोटेक्टेड वर्कर्स होते हैं उनके लिये भी विभाग द्वारा रिपोर्ट मंगायी जाती है और देखा गया है कि जैसे ही रिपोर्ट आती है कि हमने फलां नाम रिकमेन्ड किया है तो मिल मालिक लिख देते हैं कि यह आदमी मेजर गड़बड़ी करने वाला है । अतः जो उसको संरक्षण मिलना चाहिये वह न मिल करके उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है । तो इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिये ।

यह तो कानून के बारे में मैंने बताया । आज जो कंसीलियेशन मशीनरी है यह धीरे धीरे बेकार होती जा रही है और उसका उपयोग श्रमिकों को नहीं मिल पाता है । इसके स्थान पर लेबर कोर्ट्स की अधिक व्यवस्था की जाय और मजदूरों को उनमें सहायता दी जाय, जैसे लीगल ऐडवाइस की सहायता, कोर्ट फीस से मुक्ति । अगर ऐसा किया जायगा तो लेबर के इंटरेस्ट अधिक सुरक्षित रह सकते हैं ।

आज यहां पर चर्चा एवार्ड के देने के बारे में की गयी । अन्य तो अनेक कारण हैं कि सरकार सख्ती नहीं बरतती है और प्रार्थना करती है। लेकिन साथ-साथ एक कारण और भी है । सरकार स्वयं भी आदर्श एम्पलायर की भांति काम नहीं करती । केसा का जिक्र किया गया । वहां पर ४७ से पहले एक लेबर था जिसको एमालुमेंन्ट १३२ रुपये के करीब मिलते थे लेकिन जब सरकार ने उसे हाथ में लिया तो उसके २२ रुपये घट गये । केसा की आमदनी बढ़ी है सरकार ने स्वीकार किया है और सरकार का यह कहना है कि पूरे प्रदेश में एक मात्र केसा है, । जिसमें आमदनी बढ़ी इसलिये कुछ नहीं किया जा सकता उचित नहीं है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश गवर्नमेन्ट प्रेस लखनऊ आदि में वर्क कौंसिल नहीं कायम की गई । यह मेरा निवेदन है कि सरकार को आदर्श एम्पलायर की तरह काम करना होगा और जो उसके कारखाने हैं सब सुविधायें मजदूरों को देनी होंगी तभी प्राइवेट मिल मालिकों को प्रेस किया जा सकेगा ।

पी० डब्ल्यू डी० और रोडवेज के कर्मचारी हैं उनको पर्मानेन्ट करने के आदेश अभी तक नहीं हुए हैं । जब तक अपने द्वारा संचालित संस्थाओं के अन्दर इन सिफारिशों को वह लागू नहीं करती है और एवार्ड तथा कम्पेन्सेटरी अलाउन्स देने की बात नहीं करती है तब तक दूसरों पर दबाव नहीं डाला जा सकना है । जनसंघ ने इस बात की मांग की है। वास्तव में इन समस्त समस्याओं को हल करने के लिये एक पर्मानेन्ट वेज बोर्ड होना चाहिये। वे जो काम को देखते हुये समय समय पर एक प्रकार का काम करने वालों के लिये एक प्रकार का वेतन निर्धारित करें और उसके आधार पर एक प्रकार की नीति अपना कर सब को एक सी सुविधायें प्रदान की जायं

[श्री रक्षपाल सिंह]

जैसे बोनस, भत्ता, आवास इत्यादि । समय समय पर समाजवाद का नारा जो लगाया जाता है वह व्यवस्था तब तक कायम नहीं की जा सकती जब तक कि पूंजीपतियों पर कंट्रोल नहीं होता और उसके प्रबंध में श्रमिकों का कोई आदमी प्रतिनिधित्व नहीं करता और जो लाभ होता है उसमें श्रमिकों को हिस्सा नहीं मिलता । सरकार जो कानून बनाये उसको सख्ती के साथ लागू करने चाहिये तभी कुछ किया जा सकेगा ।

रजिस्ट्रेशन के बारे में मैं कुछ उल्लेख करना चाहता हूं। शिकायत यह है कि जो हमारी यूनियनें हैं उनके रजिस्ट्रेशन में कई गड़बड़ियां हैं । कुछ यूनियन रजिस्टर हो जाती हैं और दूसरों के बारे में आनाकानी की जाती है । किसी टेक्निकल कारण से या क्लेरिकल मिस्टेक से यूनियनों का रजिस्ट्रेशन नहीं रोकना चाहिये । कुछ यूनियनों को ग्रान्ट दी जाती है, कुछ को नहीं। अब सरकार जिसको चाहती है पैसा देती है जिसको चाहती है पैसा नहीं देती । इस काम बारे में एक नीति अपनानी चाहिये और यूनियन्स में मेम्बरशिप की संख्या काम करने वालों को देखकर सरकार द्वारा दी जाने वाली ग्रान्ट का वितरण होना चाहिये । आर्बिट्रेशन या मनमाने ढंग से काम नहीं होना चाहिये ।

दो तीन बातों की ओर मैं और ध्यान दिलाना चाहूंगा । गन्ना मिलों ने यह सिफारिश की है कि वह मजदूरों को कम्पलसरिली लीव दे सकें । इससे हजारों मजदूरों पर प्रभाव पड़ता है । इसकी पर्मिशन नहीं दी जानी चाहिये । चार महीने के लिये एम्पलायमेंट की सुरक्षा अवश्य होना चाहिये ।

इसी प्रकार से गोल्ड नीति स स्वर्णकारों की बेकारी का सवाल पैदा हो गया है । हजारों लोगों के जीवन से सम्बन्ध रखने वाला यह प्रश्न है । वे छोटे छोटे मजदूर हैं। छोटा छोटा सामान घर पर बैठ कर ही बनाते थे और अपनी जीविका चलाते थे । उनके ऊपर अब रोक लग गयी है । १४ कैरट गोल्ड के ही गहने बन सकेंगे । यह जो पालिसी सरकार ने चलाई है इससे वे कोई काम नहीं कर सकेंगे । क्योंकि १४ कैरेट गोल्ड का जेवर बनाने में तो केवल मशीनें काम कर सकेंगी । तो इन बेकार स्वर्णकारों के लिये भी गम्भीरतापूर्वक सोचना पड़ेगा । सौराष्ट्र की सरकार ने तो एक कमेटी भी बनायी है जो इन स्वर्णकारों के बारे में सोचेगी । जनसंघ की मांग है कि जो स्वर्णकार बेकार हो गये हैं उनको बेकारी का भत्ता भी दिया जाना चाहिये ।

इसके अलावा शाप्स ऐंड कामर्शियल ऐक्ट थोड़े दिन पहले यहां पास किया गया था लेकिन वह बहुत थोड़े स्थानों में लागू किया गया है । मेरा निवेदन है कि जहां २०० से ५०० लेबर तक भी काम करते हों वहां इस कानून को लागू करना चाहिये । अभी थोड़े दिन पहले मैं कानपुर के एक स्थान झींझक गया था । वहां हजारों मजदूर काम करते हैं। वहां उन्होंने शाप्स ऐक्ट को लागू करने की मांग भी की परन्तु अधिकारी लोग उसको वहीं पर खारिज कर देते हैं। तो ऐसे स्थानों पर उस ऐक्ट को तुरन्त लागू करना चाहिये ।

अभी हमारे यूसुफ साहब ने कहा कि यह तो विस्फोट हो जायगा । मैं समझ नहीं पाया कि कैसे विस्फोट हो जायगा लेकिन एक बात अवश्य है कि इस संकटकाल में हमारे मजदूरों को गुमराह करने के लिये किसी को कोई अवसर नहीं मिलना चाहिये । ऐसे कई लोगों को सरकार को बन्द भी करना पड़ा है । इस समय सरकार को लेबर क्लास को जिसके ऊपर सुरक्षा का बहुत बड़ा काम निर्भर करता है, अधिक से अधिक सुविधायें देनी चाहिये ताकि वह खूब काम कर सके और न किसी प्रकार का विस्फोट की स्थिति पैदा हो और न हमारा उत्पादन ही घटे ।

इन थोड़े से शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि मंत्री जी इन बातों को मान लें ।

*श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)--

उपाध्यक्ष महोशय, मैं इस लेबर अनुदान के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। इससे पहले कि मैं कुछ कहूं में अपनी श्रम मंत्री का मद्दाह हूं। वे बहुत मेहनत से काम करती हैं, एप्रोचेबिल हैं, कोई भी आम आदमी उनसे मिल सकता है। यह खूबी मजदूरों की भावना को जाहिर करती हैं। साथ ही हमारे डिप्टी लेबर मिनिस्टर साहब ट्रेड यूनियनिस्ट हैं, तजुर्बेकार हैं। हमारी सरकार ने मिनिस्टर जो मुकर्रर किये हैं उनकी भावनायें और स्पिरिट मजदूरों के लिये बहुत ही काबिले तारीफ है। मैं कानपुर में हूं। सूबे में कानपुर एक ऐसा शहर है जहां मजदूरों की आबादी है, जहां मिल है और हर तरह का ट्रेड वहां होता है और हर तरह के ट्रेड की यूनियन वहां कायम हैं। इस वास्ते जो कुछ तजुरबा मुझे वहां का है वह मैं इस हाउस में ब्यान करना चाहता हूं। यूनियन बनी थी लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे श्रम विभाग में हैं जो यूनियन के इंटरेस्ट को कायम नहीं रखते, मजदूर का इन्टरेस्ट कायम नहीं रखते यह दफ्तर मजदूर का दफ्तर है। काम होता है ठीक है, लेकिन जिस स्पिरिट से काम होना चाहिये वह नहीं होता और जो काम होता है वह मजदूर की भावना को जाहिर नहीं करता है। अधिकारियों में मजदूरों की भावना होनी चाहिये। लेकिन होता यह है कि मजदूर के दफ्तर से उसका गला काटा जाता है। मजदूरों ने साफ कहा है कि आजकल इमरजेंसी का जमाना है इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे ताकि हमारे देश को इस जंग में मदद मिले। मजदूर हर देश की रीढ़ की हड्डी होता है, चाहे वह किसी भी ट्रेड में क्यों न हो। अगर उसकी तरफ लापरवाही बरती जाती है तो वह देश तरक्की नहीं कर सकता है। मजदूरों ने ज्यादा घंटे काम किया और उसकी मजदूरी नहीं ली। प्रोडक्शन बढ़ा और मालिकों को मुनाफा मिला तो उनको चाहिये था कि वह मुनाफा और मजदूरों का उस समय का वेतन डिफेंस फंड में जमा करते जो उन्होंने नहीं किया। उल्टे एक ऐसा बावेला मचा कि बहुत से मजदूर बेकार हो गये। जब मैंने सुना तो मैं वहां पर गया। मैंने वहां के श्रम अधिकारियों से पूछा कि क्या बात है, लूम्स क्यों बन्द हुये? लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वे न बता सके। मुझे रास्ता बताया गया कि टैक्सटाइल कन्ट्रोलर के पास चले जाइये। मैं सोचता हूं कि इस तरफ ज्यादा तवज्जह नहीं दी जा रही है।

२,७१,००,४०० रु० हम इसके लिये देने जा रहे हैं। मैं चाहता था कि यह रकम और ज्यादा होती तो अच्छा था। लेकिन बहुत सा रुपया फिजूलखर्ची में जा रहा है। श्रम मंत्री जी तवज्जह दें कि आगरा में जो लेबर वैलफेयर स्टोर है उसमें से दस हजार रुपये का सामान गायब है और उसकी इंक्वायरी हुई है लेकिन अधिकारियों ने रिपोर्ट दबा रखी है। अगर इसी तरह से गोलमाल होगा तो जो रुपया दिया जा रहा है वह गलत है। जो अधिकारी ऐसा गोलमाल करते हैं उनको सख्त से सख़्त मिलनी चाहिये।

हाउसिंग के मामले में यह है कि हमारे यहां २५ हजार क्वारर्टर्स बने हैं। जो क्वार्टर मजदूर को दिया जाता है उससे दो माह की पेशगी ली जाती है और रसीद दी जाती है। आज वहां पर रसीदें गायब हैं। मैं बताता हूं, सरकार इस पर ध्यान दे कि लाखों रुपया जमा हुआ है। इसका रेकार्ड जो है--कैशबुक, रसीद बुक, बैंक में रुपया जमा करने का चालान, सीक्योंरिटी रजिस्टर १९५५-६० तक का गायब है। मैं चाहता हूं कि इसकी इनक्वायरी की जाय, ताकि मेरी सच्चाई साबित हो जाय। यह बातें मिनिस्टर साहब को पता नहीं लगती जब तक अधिकारी न खबर करें। आपके पास कोई खबर इसकी नहीं होगी।

मेरे इलाके में टी० बी० का हास्पिटल है। मैं एक दिन मुआयना करने गया। तो यकीन जानिये, मैं पीछे जा कर बैठा रहा, वहां कुछ काम नहीं हो रहा था। कहीं भी मरीज की पूछ नहीं हो रही थी। मैं बैठा रहा किसी ने पहचाना नहीं। एक महोदय ने मुझे पहचाना। उन्होंने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री एस० जी० दत्त]

कहा कि दत्ता साहब आप आ गये। तो यकीन जानिये दो-तीन मिनट में सब कारोबार होने लगे। टी० बी० के बारे में नसीहत होने लगी। उस अस्पताल के लिए खास कर मेरी शिकायत है क्योंकि यह मेरे इलाके में है। मैंने सुना है कि एक्सरे प्लेट तक बाजार में बिकती हैं। वजह यह है कि इतने सालों से डाक्टर मौजूद हैं। क्यों नहीं तबादला होता? यह भी सुनने में आया है कि लेबर कमिश्नर की बहन का इलाज मुफ्त में करते हैं। इसकी इन्क्वायरी की जाय कि यह कहां तक सही है।

आपने वैलफेयर हाउसिंग के लिये एक आनरेरी एडवाइजर रखा है। बड़ी अच्छी बात है होना चाहिये। काश आप दस आनरेरी ऐडवाइजर रख सकें लेकिन आजकल की इकानमी के जमाने में एक आनरेरी ऐडवाइजर का खर्चा आप देखें, मुबलिग दो हजार रुपये के करीब होता है। सैलरी २५० रुपये, चपरासी ७० रुपये, ड्राइवर की तनख्वाह ७० रुपये।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

नाम जरा बता दीजिये।

श्री एस० जी० दत्त—

नाम आप पूछ लीजियेगा।

एक बड़ी गाड़ी है जो उनको मिली हुई है जो मिनिस्टर के पास तक नहीं होगी। इस गाड़ी का पांच सौ रुपये माहवार का खर्चा है पेट्रोल और मरम्मत का। एक क्लर्क की तनख्वाह १३० रुपये है। सरकार की तरफ से घर पर टेलीफोन लगा हुआ है। २०० रुपये माहवार का वह भी खर्चा होगा।

श्री उग्रसेन—

सूरजप्रसाद अवस्थी हैं।

श्री एस० जी० दत्त—

दौरे का जो टी० ए० होता है वह ५०० रुपया का बिल होता है जब कि हमारे डिप्टी मिनिस्टर रिक्शा में सवार हो कर जाते हैं। मैं यह चाहता हूं कि लेबर जो मुल्क की रीढ़ की हड्डी है उसका ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर होना चाहिये। चूंकि लालबत्ती दिखायी दे रही है, मैं कई एक मामलात छोड़ रहा हूं। कानपुर के मजदूरों में जो एक तरह की बेचैनी है वह इमरजेंसी के जमाने में नहीं होनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि लेबर डिपार्टमेंट उनकी वेलफेयर के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करे।

दूसरे टूर्नामेंट मैचेज होती हैं। पहले जो मनोरंजन होते थे वह लेबर खुद करता था आजकल लेबरर गायब हैं और बाहर के लोग हायर किये जाते हैं। मुझे यह भी शिकायत है कि हर रीजन से २५ हजार रुपया मिल मालिकों और मजदूरों से जमा होता है। उसका कोई अकाउंट नहीं? मैं इस्तदुआ करूंगा कि लेबर ही उस मनोरंजन को करे, बाहर के लोग नहीं होने चाहियें। मैं इतना कहना चाहता हूं—

न छेड़ ऐ निकहते वादे बहारी राह लग अपनी,
तुझे अठखेलियां सूझी हैं हम बेजार बैठे हैं।

मजदूर बेजार है इस वास्ते मैं अधिकारियों से कहूंगा कि मजदूर की स्पिरिट का खयाल करें और उसकी मदद करें।

श्री उग्रसेन—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कामरेड यूसुफ ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसके सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मन्त्री जी को सुना, कामरेड यूसुफ को सुना और अपने साथी दत्ता को भी सुना। सुनने के बाद यह सदन इस नतीजे पर पहुंचा होगा कि आखिर मर्ज कहां है। ऐसा तो नहीं है कि इस मर्ज की कोई पहचान नहीं हो रही है, उस या उसकी

कोई खास दवा नहीं हो रही है। मैं तो कोई डाक्टर नहीं। मैं मजदूर आन्दोलन का कम्पाउन्डर भी बनने का दावा नहीं करता। हमारे मन्त्री जी डाक्टर और कम्पाउन्डर हो सकते हैं। लेकिन "प्रथमे ग्रासेमक्षिका पातः" १५ अगस्त, १९४७ को जब कांग्रेस सरकार बनी वहीं से सरकार ने एक बात का नारा लगाया कि हम नारा लगायेंगे कि हम जनहित में कार्य कर रहे हैं और काम करेंगे, जनता विरोधी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि १५ वर्ष में सिवा टाटा, बिड़ला, सिंहानिया, जैपुरिया, सूरजमल, नागरमल, खेतान, नेवतिया, मजीठिया के हित में काम करने के कुछ नहीं किया है। जिसने यहां चुन कर भेजा है चाहे कानपुर में म्योर मिल का मजदूर हो, चाहे देवरिया मे प्रतापपुर के मिल का मजदूर हो, चाहे रिक्शा चलाता हो, उसका कोई ख्याल नहीं। सरकार की जो मजदूर नीति है श्री १०८ चन्द्रभानु गुप्त के नेतृत्व में जो चल रही है, वह पूंजीपतियों की चेरी है। मजदूरों से उसका कोई लगाव नहीं। अगर आप कुछ मौका दें तो मैं कुछ प्रवचन करूं। लेकिन मैं ज्यादा प्रवचन करूंगा तो आप टोकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष––

ऐसा प्रवचन करते ही क्यों हैं जो टोकना पड़े।

श्री उग्रसेन––

बहुत सी बातें सुनने को मिलीं। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का जो चीरा तो एक कतरए खून निकला। कहा गया कि सम्पूर्णानन्द अवार्ड आयेगा कानपुर के कपड़ा मिल मजदूरों के लिये स्वर्ग बना दिया जायगा। अवार्ड आया। हमारी पार्टी उसके विरुद्ध ही थी कि उस अवार्ड में कुछ नहीं है। मगर अगर कहीं, कुछ हो तो उसको लागू करने की क्षमता सरकार में नहीं है। रेशनलाइजेशन कमेटी रिपोर्ट निकली। हिन्द मजदूर सभा के नेताओं ने उस वक्त बड़ा काम किया। सभी श्रम संगठनों के प्रतिनिधि थे। इस सरकार ने अपनी ईमानदारी का परिचय दिया, बेईमानी में कैसे कहूं और पूंजीपतियों के हक़ में जो उसमें बातें थीं उनको लागू कर दिया और जो मजदूरों के हक़ में थीं लटका दिया। बड़े-बड़े कांग्रेस के मजदूर नेता बड़ी-बड़ी तनख्वाहों पर मजदूर विभाग को चलाने के लिये रख दिये गये हैं। यह अमेरिका में होता है। जो भी पूंजीवादी देश हैं, उनके बड़े-बड़े जो सरकार के नेता हैं वह मजदूर आन्दोलन सी० एफ० टी० या इन्टरनेशनल मजदूर फेडरेशन या क्या है उसके नेता बना दिये जाते हैं। तो वहां तो १७५० रुपये महीना सूरज प्रसाद अवस्थी ले रहे हैं। कामरेड यूसुफ ज्यादा अच्छी तरह जानते होंगे। वहां बैठकर श्रम अफसरों को कुछ राय बता देते रहते हैं कि पूंजीपरस्त नीति सरकार की ऐसे चले। आज कपड़े के मजदूरों की हालत, चमड़े के मजदूरों की हालत क्या है? बार-बार मांग की जाती है कि चमड़े के मजदूरों के लिये ग्रेड कमेटी बनाई जाय। वह बेचारे बिलकुल मर रहे हैं, न कोई उनकी नौकरी की सुरक्षा है, न उनका कोई वेतन-क्रम है, बिलकुल धांधली चल रही है, इब्राहीम लोदी के नवाब जैसे वहा राज्य करते हों, सरकार के यहां कोई उसकी सुनवाई नहीं है और सरकार जिनकी मालिक है, चाहे वह केसा हो, चाहे चुर्क सीमेंट फैक्टरी हो, चाहे रोडवेज हो चाहे पी० डब्ल्यू० डी० हो या स्वास्थ्य विभाग हो, जितने जितने इस तरह के काम सरकार करती है सरकार भी तो उसमें माशाअल्ला एक आदर्श मालिक का पार्ट अदा कर रही है। कहने का मतलब यह है कि सरकार की जो भी नीति अब तक की है वह बिलकुल पूंजीपतियों के पक्ष की है। एक बात इस सिलसिले में और कहकर दूसरी बात कहूंगा। सरकार के माल विभाग का अभी एक आदेश गया है कि ३१ मार्च, सन् १९६३ तक बड़ी सख्ती के साथ सारी मालगुजारी वसूल कर ली जाय उत्तर प्रदेश के किसानों से और बढ़ी हुई मालगुजारी भी वसूल कर ली जाय। उसी सरकार के श्रम मन्त्री से मैं यह कहना चाहता हूं कि जो ४५ करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के मिल मालिकों पर सरकार का बकाया है, उसकी वसूली की क्या तारीख निर्धारित करते हैं, यह माननीय मन्त्री जी बता द। गरीबों से तो डन्डे के बल पर लेंगे। किसान के उत्पादन का साधन बैल है, वह कुर्क करायेंगे। सोशलिस्ट पार्टी कहती है कि समाज का उत्पादन के साधनों पर अधिकार होना चाहिये अगर सही माने में समाजवाद लाना है। तो माल विभाग के मन्त्री हुकुम सिंह जी ने तो एक हुकुम निकाल दिया कि ३१ मार्च तक सब मालगुजारी बकाया

[श्री उग्रसेन]

वसूल कर ली जाय। मगर मैं कहना चाहता हूं माननीय श्रम मन्त्री से कि ५४ करोड़ जो उन पर बकाया है बिजली का और १९५६ के ५ प्रतिशत के कर्जे का जो सिंहानिया, नारंग और मजीठिया वगैरह को दिया गया था, उस रुपये के लिये उनसे कोई पूछताछ करने वाला है? इसीलिये मैं उनसे कहना चाहता हूं, इनसे क्या कहा जाय, यह तो कहेंगे कि वही पिटीपिटायी बात कह रहे हैं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, कामरेड यूसुफ से कहना चाहता हूं और जो लोग मजदूर आन्दोलन में काम कर रहेहैं उनसे कहना चाहता हूं कि वह अपनी दिशा को बदलें। तथाकथित संकटकालीन स्थिति के नाम पर मजदूरों का शोषण हो और मालिक लोग गुलछर्रे उड़ायें, तरह-तरह से मजदूर बेकार किये जायं और कागज पर केवल हिसाब रखा जाय, इन परिस्थितियों का सामना करने के लिये मजदूर नेताओं और मजदूरों में काम करने वाली राजनीतिक पार्टियों को मजदूर आन्दोलनों को एक नयी रोशनी, नयी दिशा देने की आवश्यकता है और वह रोशनी बम्बई के मजदूरों ने दी है—हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अगर हम टाटा बिरला से लड़ रहे हैं तो हम आपसे भी टक्कर लेंगे और आपसे भी लड़ेंगे और लड़कर अपनी मांगें लेंगे।

समाजवादी सरकार आप बना क्या रहेहैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता है। कानपुर में आज हो क्या रहा है? मैं ६—७ वर्ष से कह रहा हूं, पहले मिल मालिक यह करते थे कि एक सांचा बन्द कर दिया और उसके बाद उस सांचे पर दूसरे मजदूर नहीं रखे। सांचे की मरम्मत भी नहीं कराते थे, माननीय श्रम मन्त्री जी आप तो खुद जानते हैं, इसलिये नहीं कराते थे कि अगर सांचा मरम्मत हो जायगा तो उस पर कहीं मजदूर न रखने पड़ जायं। इस तरह धीरे-धीरे जहर देने की नीति उन्होंने अपनायी। अब धड़ल्ले से बन्द कर रहे हैं। उनके लिये कोई डी० आई० आर० नहीं है। अगर सोशलिस्ट पार्टी की सरकार होती तो डी० आई० आर० में सबसे पहले इन मिल मालिकों को बन्द करती। लेकिन आज उनके लिये डी० आई० आर० नहीं है। जो कपड़ा, मिट्टी का तेल ऊंचे भाव पर बेचे, जो औद्योगिक शान्ति को नष्ट करे, कोड आफ कान्डक्ट और इंडस्ट्रियल ट्रूस की बात कही जाती है और सरकार कहती है कि औद्योगिक शान्ति हम चाहते हैं, लेकिन आपके पास क्या कोई न्यायिक ट्रिब्यूनल है जो इसकी जांच करे कि यह औद्योगिक शान्ति कौन भंग करता है? कौन त्रिदलीय सम्मेलनों के फैसलों को नहीं मानते हैं? वह नहीं मानते हैं और इसलिये नहीं मानते हैं कि वह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का मुख्य मन्त्री जायगा तो उन्हीं के यहां दावत खायेगा। उन्होंने माला पहना दी और जब कांग्रेस के इलेक्शन का समय आया तो उसके लिये ५५ लाख ६० लाख और १ करोड़ रुपया उसमें उन्होंने दे दिया। यह बागला और सिंहानिया के काम हैं। वह ऐसा करते हैं। मैं आपसे यह कहता हूं कि आप अपना दिमाग साफ करें और मैं इस आदरणीय सदन से और सारे प्रदेश की जनता से यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार आज पूंजीपतियों की चेरी बन गई है और यह मजदूरों का हित करने वाली नहीं है। यदि इस देश के मजदूरों को अपना हित करना है और अपना हक मांगना है तो वह लड़ कर ही ले सकते हैं। उनको उसके लिये लड़ाई करनी पड़ेगी।

मुझे अफसोस है कि आज मजदूरों के संगठन में ढीलापन आ गया है। आप देखें कि चन्द चांदी के टुकड़ों पर आज मजदूरों का दिमाग बदल दिया जाता है और इस तरह से वह अपने उद्देश्य से विमुख हो जाते हैं और सफलता उनसे दूर भागती चली जा रही है। इस प्रकार से समाजवाद का काम नहीं होगा। मजदूरों के संगठन को चांदी के टुकड़ों पर, चांदी की शक्ति पर आज अपने कर्त्तव्य पथ से विमुख कर दिया जाता है। आप देखें कि इंगलैन्ड में, अमरीका और फ्रांस में भी बड़ी-बड़ी हड़तालें होती हैं मगर जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, जो समाज की बनावट है, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिये मेरा यह स्पष्ट कथन है कि जब तक मजदूर में वर्ग चेतना नहीं होती है और उनमें संघर्ष के रास्ते पर चलने की शक्ति नहीं जाग्रत होती है, तब तक उनका हित और भला होने वाला नहीं है। यह चन्द्रभानु गुप्त जी की सरकार से हाथ जोड़ कर और नम्रतापूर्वक निवेदन करने से कोई काम सिद्ध होने वाला नहीं है। आप देखें कि तरह तरह की धांधलियां होती हैं। मैंने तो जितने कानून हैं, श्रम कानून और पेमेन्ट आफ वेजेज ऐक्ट आदि को तो अब पढ़ना छोड़ दिया है।

आप देखें कि जितनी कमेटीज बैठती हैं, उनकी रिपोर्ट पर किसी तरह भी गौर नहीं होता है। निमकर कमेटी की रिपोर्ट पर आप देखें कि क्या हुआ। मैं आपसे यह स्पष्ट बता दूं कि मुझे निमकर साहब की योग्यता पर बहुत भरोसा है और जब मैं बम्बई गया था, तो उनके घर पर ही ठहरा था। उनसे मेरी जो बातचीत हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जो रिपोर्ट मैं देने जा रहा हूं, उससे हिन्दुस्तान में क्रांति मच जायगी। मैं आपको बताऊं कि विन्ध्यवासिनी प्रसाद कमेटी और लेबर कमेटी की रिपोर्ट पर क्या ध्यान दिया गया, यह हम लोगों को विदित ही है। इसलिये कमेटीज की रिपोर्ट पर ध्यान दिया जाना चाहिये और उनकी सिफारिशों पर गौर किया जाना चाहिये। जनतन्त्र में अगर किसी काम को चलना है तो इस प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिये।

इसी सदन के हमारे माननीय सदस्य श्री गेंदासिंह जी की देख-रेख में एक कमेटी बनी थी, जिसका कि नाम निम्नतम वेतन, निर्धारण समिति था, नाम तो बड़ा ही अच्छा है, परन्तु क्या हुआ कमेटी की रिपोर्ट निकल गई और निम्नतम वेतन निर्धारण हो गया ? आप देखें कि खेतों में मजदूरों को क्या मजदूरी दी जाती है, अब इस सम्बन्ध में भी कुछ बतला देना चाहता हूं। उनकी समस्या बड़ी विकट है, उनको २-४ आने मजदूरी पर ही संतोष करना पड़ता है और इससे अधिक उनको नहीं मिल सकता है। बड़े-बड़े फार्मों में जो मजदूर काम कर रहे हैं, उनकी ओर भी मैं चाहता हूं कि यह वेज बोर्ड ध्यान दे और जो अनियमिततायें हैं उनको भरसक दूर करने की कोशिश करे। परन्तु वेज बोर्ड की सिफारिशों पर भी आज ध्यान नहीं दिया जाता है ? आप को बता देना चाहता हूं कि कुछ सिफारिशों को डालमियां की सीमेंट कम्पनी ने तो मान लिया परन्तु जो चुर्क में सीमेंट की फैक्टरी है, वहां पर वह क्यों नहीं लागू हो रही है। प्राइवेट कम्पनी तो मान ले परन्तु इस समाजवादी सरकार की यह हालत है जो कि जनतन्त्र और समाजवाद की दुहाई देती रहती है। आप को मालूम होगा कि क्वार्टरों का किराया बढ़ रहा है फिर भी उस ओर कोई कदम नहीं लिया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त कीजिये।

श्री उग्रसेन --

श्रीमन्, केवल ५ मिनट और दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

अच्छा अब आप ५ मिनट में खत्म कीजिये।

श्री उग्रसेन --

श्रीमन् मैं यह कह रहा था कि वेज बोर्ड की सिफारिशें आज सरकार अपने कारखानों में नहीं लागू कर रही है। ऐसा क्यों है ? मैं आपको रोडवेज के बारे में, जो कि वहां की हालत है, वह भी बता दूं। वहां पर २२ हजार कर्मचारियों में से १४ हजार कर्मचारी अभी भी अस्थाई हैं। उनको स्थाई करने का काम क्यों नहीं जल्दी किया जाता है और इसमें क्यों देर लगाई जा रही है। जब कि आपने यह कई बार यहां पर घोषित किया है कि जो तीन साल से अधिक काम कर चुके हैं, उनको शीघ्र ही स्थाई कर दिया जायगा। एक बात और मैं यह भी बता दूं कि उनको रोडवेज में बोनस क्यों नहीं दिया जाता है, जब कि ये पब्लिक सेक्टर के मजदूर हैं ? माननीय मन्त्री जी के खिलाफ इस सम्बन्ध में मुकदमा चलना चाहिये। आज मजदूर और कर्मचारी भूखों मर रहे हैं। आप को बता दूं कि आज मध्य प्रदेश और राजस्थान में रोडवेज के कर्मचारियों को बोनस दिया जाता है। साथ ही साथ और भी बहुत सी सुविधायें दी जाती हैं हमारे माननीय मुजफ्फर साहब हैं नहीं, शायद इलाहाबाद में पधार रहे होंगे। उनकी रोडवेज चाहे कितना ही कमाती क्यों न चली जाय, परन्तु वह उन कर्मचारियों के लिये कुछ नहीं कर रहे हैं। यह उचित नहीं है। मैं इस आदरणीय सदन से यह नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं और इस प्रदेश की जनता को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि इस वर्ष भी वहां पर २ करोड़ ३० लाख का शु लाभ हुआ है। यही हाल सीमेंट, बिजली, रोडवेज आदि सभी कारखानों की है। इसके लिये आप कहते हैं कि हम एक कमेटी बनायेंगे। यह कहां बनायें ? और अगर

[श्री उग्रसेन]

बनायेंगे तो वही दकियानूसी आई० एन० टी० यू० सी० वालों की बनायेंगे। उसके लिये कोई कार्यवाही नहीं होगी। टाटा, बिड़ला के कारखानों की यही हालत है। जितने श्रम कानून हैं, जितने सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में निर्णय हुये हैं कन्ट्रैक्ट लेबर के खिलाफ वह उन्हीं कानूनों की वजह से है। ये मजदूर ठेके पर रखे जाते हैं। आज भी आप गौर फरमायें कि गीता प्रेस के मजदूरों की क्या हालत ह, सीमेंट बनाने वाले, लोहा बनाने वाले कपड़ा बनाने वाले मजदूरों की आज क्या हालत है। गीता प्रेस में फोटो और तस्वीरें बनती हैं भगवान की, उसको बनाने वाले मजदूरों के लिये पता नहीं मन्त्री जी क्या कर रहेहैं। एक हैं रामकृष्ण डालमियां जो जेल में भोग रहेहैं और इधर भगवती ग्लास वर्क्स में मजदूर अनशन कर रहेहैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर आप छ करना चाहते हैं तो अपनी मजदूर नीति में आमूल क्रान्तिकारी परिवर्तन कीजिये और सबसे पहले प्राईवेट सेक्टर में कानून लागू हों और वहां के मजदूर की दशा सुधारी जाय। चीनी मिलों का बोनस का मामला है जो १,४७,३७,००० पर आ गया। काशीनाथ जी बड़े हौवा है, क्योंकि लेबर आफिस में पहुंच जाते हैं। उनपर भी मामला चल रहा है।

श्रिकल जी ने कही थी बंदरिया वाली बात। वही हालत आज यूसुफ साहब की आई० एन० टी० यू० सी० की है। चाहे उनके ५ ही मजदूर हों, वह कहेंगे कि उन्हीं को वर्क्स कमेटी बनेगी और उसी की मान्यता होगी। मेरा सुझाव है कि मजदूर नेताओं को फिर से रखिये और जो क्रान्तकारी मजदूर संस्थायें काम करती हों उन सब को भी वही सुविधायें हों। दोनों में कोई अलग नीति या भेद-भाव न कीजिये।

आज कानपुर के कपड़े की मिलों में जितने मजदूर बेकार हुये हैं उनका मिल-मालिकों से मुआवजा दिलाइये, बेकारी का भत्ता दिलवाइये। जब देना पड़ेगा तब मालूम होगा। क्योंकि ग्वालियर और शोलापुर में तो ऐसा जुल्म हो नहीं हो सकता, वहां कुछ कर नहीं सकते वहां तो मराठा मजदूर हैं जो मिल-मालिक को बजरी की रोटी खाकर ललकारता है। कहा गया है कि इस साल ६५ वेल्फेयर सेंटर्स के ६८ कर दिये गये जो टी० बी० के हैं और टी० बी० के केन्द्रों की हालत यह है कि कोई दवाइयां नहीं हैं कानपुर में टी० बी० का रोग बढ़ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री उग्रसेन —

इन शब्दों के साथ में मन्त्री जी से कहता हूं कि मजदूरों के विरुद्ध जो आपकी पूंजीवादी नीति है इसको बंद कीजिये, और मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री ज्वालाप्रसाद (जिला कानपुर) —

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज एक ऐसे अनुदान पर विचार हो रहा है जिसका ताल्लुक मजदूरों से है। मजदूर वह जमाअत है जो स्वयं सबको आदर देने वाली है और स्वयं निरादर में रहने वाली है। मैं माननीय मन्त्री जी के प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मजदूर ऐसा है जो स्वयं भगवान को बनाता है, परन्तु उसको पूरा करने का अधिकारी नहीं है। दूसरों को वैभव और विलास की वस्तुओं से सज्जित करता है, परन्तु स्वयं शुष्क और भूखा रह कर वंचित रहता है उन वैभवों और विलासों से। ऐसा मालूम होताहै ऐसे मजदूरों की समस्या का समाधान केवल कम्युनिस्ट पार्टी ने ही अपने हाथ में ले रखा है और जब देखो तब वह सबसे पहले आगे आते हैं मजदूरों के हित के लिये लेकिन सबसे ज्यादा मजदूरों के भड़काने में वही अगुवा रहते हैं। उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। एक समय कानपुर में चैन था और मजदूरों को भड़काना था। तो कहा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह गया कि फलां मिल में कुछ मजदूर भट्ठी में झोंक दिये गये और झगड़ा हो गया और मारे गये। एक मजदूर की तो लाश निकाली। मुर्दा बनाकर और उसकी ठठरी बांध कर ले चले। जब शोर हुआ तो पुलिस वाले पहुंचे और उनसे कहा कि कहां लिये जा रहे हो और ऐसे कहां ले जाओगे। जब उसका कफन खोला गया तो भाई लोग खखारने लगे। तो इससे ज्यादा क्या मिसाल दी जा सकती है जो बातें भड़काने की होती हैं। यह तो आपने पराकाष्ठा कर दी है मजदूरों को भड़काने में।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। जिंदा आदमी को कम्बल में लपेट कर ले जा रहेथे या मर गया था ?

श्री ज्वालाप्रसाद—

जी हां, जिन्दा था।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा) —

यह कौन से सन् की बात है।

श्री ज्वालाप्रसाद—

घर पर पूछ लीजियेगा। आप वह मजदूर नहीं थे दूसरा मजदूर था। आप तो मजदूर हैं भी नहीं, आप तो मोटे आदमी हैं। तो जो मैं कह रहा था वह यही था कि इस हालत के रहते हुये चाहे सरकार कितनी ही कमेटी बनावे, चाहे कुछ भी करे मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उसका सही समाधान नहीं हो पाता है। ऐसी मजदूरों की स्थिति है।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला मेरठ) —

तो आप यह मानते हैं ?

श्री ज्वालाप्रसाद—

हां, यह तो मानता हूं कि मजदूरों की हालत खराब है लेकिन यह भी मानता हूं कि उसका सुधार आपके हाथों से नहीं होने जा रहा है। सरकार की ओर से कुछ मनोविनोद इन परिश्रमी परिवारों के लिये खोल रखे हैं, श्रम हितकारी केन्द्रों की उसने व्यवस्था की है। अच्छे ढंग से उनकी देखभाल भी होती है लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जितने मनोविनोद का साधन दे कर सरकार ने उनके बहलाने की कोशिश की उतनी ही गिरावट की ओर मजदूर चलता जा रहा है। अब जहां श्रम हितकारी केन्द्र होंगे अगर वहीं शराब की दूकानों की बाबत मैं कहता हूं कि अगर वहीं वह भी होंगी तो मजदूर कहां जायगा। आपने अगर मजदूर बस्ती में शराब की दूकान खोल रखी है तो यह सही माने में क्या हालत सुधारना है ? उनको हटाइये और जदूरों का रुझान बदलिये अन्यथा मजदूर जिस हालत में था, आज कुछ संभला है, तो फिर उससे भी ज्यादा गिरी हालत में हो जायगा।

श्री उग्रसेन —

डाक्टर सीताराम से कहियेगा, वह इसको कर देंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद—

वह तो आप लोगों की ज्यादा सुनते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार उस तरफ ध्यान अवश्य ले जाय। दूसरे मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कानपुर श्रमिक कल्याण बस्तियों से कानपुर शहर का ढांचा बदल गया है लेकिन मेरा खयाल है, मैं बिलकुल ठीक तो नहीं कह सकता, न मेरे पास उसके सही आंकड़े हैं, कि मजदूर अब भी उन्हीं २ या ३ रुपयों की कोठरियों में रहता है और उन बस्तियों में ८० फीसदी अन्य लोग रहते हैं। वही उसके बाल बच्चे, पेट उभरे हुये, आंखें डभराई हुई, मजदूर उन गन्दे हातों में, जिनके लिये नेहरू जी ने कहा था कि जला दो उनसे गुजरे बगैर आप मजदूर बस्तियों में नहीं जा सकते। तो अगर मजदूरों को राहत देनी है सही मानी में, तो सरकार को चाहिये कि वह ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि उनको फायदा पहुंच सके।

[श्री ज्वाला प्रसाद]

काम दिलाऊ दफ्तर के बारे में मैं क्या कहूं। वहां की हालत यह है कि खास-खास किस्म के आदमियों को चिट्ठी मिल जाती है कि तुमको इन्टरव्यू में बुलाया है। हर आदमी की वहां भी सुनवायी नहीं होती। मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय मन्त्री जी जरा इस तरफ भी ध्यान दें अभी तक हम यह नहीं महसूस कर पाये हैं कि सैकड़ों की तादाद में जो फैले हुये मजदूर हैं, गांवों में, उनकी बाबत भी कुछ हुआ है। मजदूरों के बारे में यह तो कह दिया जाता है कि मजदूर शान्ति और संतोष से रहें और उत्पादन बढ़ायें, मगर उनके लिये कुछ हो नहीं पाता। देहात में तो मजदूर हमेशा संतोष से रहता है। लड़ने झगड़ने की उसको आदत नहीं होती और अपने अधिकारों को भी वह भूल गया है। उसकी बाबत मैं एक शेर कह कर उसकी दशा को बतलाना चाहता हूं —

"आगे किसी के क्या करूं, दस्ते तमा दराज,
यह हाथ सुन्न हो गया, सिरहाने धरे-धरे।।"

आज मजदूर अपनी हालत कह नहीं सकता। आज उसको रात के ९–१० बजे तक काम करना पड़ता है। ९–१० बजे तक जानवरों की सानी आदि करके वह फुरसत पाता है। तब वह घर आ पाता है। पूरे दिन से ज्यादा काम उसको करना पड़ता है। फिर मजदूरी भी उसको पूरी नहीं मिलती। कहीं-कहीं तो हालत यह है कि ८ आना और ६ आने रोज तक पर उसको काम करना पड़ता है। कहा जाता है कि हमने मजदूरों का रेट बढ़ा दिया है, मगर उनकी जिन्दगी को सम्भालने के लिये सही कानून नहीं बनाया गया है जिससे कि मजदूर पनप सकें।

लेबर विभाग के बारे में मैं क्या कहूं। एक मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं। उस मिसाल को देख कर यह बात मेरे मन में आई कि इस विभाग में हरिजनों के साथ उदासीनता बरती जाती है। लेबर विभाग में हमारा एक हरिजन भाई हाउसिंग इन्सपेक्टर था। कुछ जगह ट्रान्सपोर्ट विभाग में लेबर इन्सपेक्टर की हुई और उसने उसके लिये एप्लाई किया। सीनियारिटी के हिसाब से उसका चान्स था, मगर उसे चान्स नहीं मिला। उसने सरकार को भी लिखा, मगर वहां से भी उसका आज तक फैसला नहीं हुआ और साल गुजर गया। आप जरा देखें उसको भी, वह बेचारा मर रहा है और चूंकि उसने अपनी सही मांग की है इसलिये शायद वहां के विभाग वाले उसको परेशान कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इस तरफ भी माननीय मन्त्री जी ध्यान दें ताकि जो गरीब और हरिजन सेवाओं में हैं उनकी रक्षा हो सके। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री ऊदल —

मान्यवर, जो कटौती का प्रस्ताव माननीय संतसिंह यसुफ जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैंने माननीय मन्त्री जी की बातों को गौर से सुना। जहां तक मजदूरों का सवाल है इन दिनों कुछ परेशानी पैदा हो गयी है। मैं मन्त्री जी के सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं। उसके बाद और बातें कहूंगा चूंकि समय कम है। बनारस में बिजली कम्पनी जो है, मार्टिन कम्पनी, उसके मजदूरों का ३ साल से बोनस पड़ा हुआ है। इस कम्पनी के मालिकान आपके अफसरों को भी कुछ नहीं समझते, कलेक्टर तक को कुछ नहीं समझते। इस कम्पनी के मैनेजर साहब पर एक केस सरकार ने फैसला न मानने के सम्बन्ध में किया था, उसमें उन पर १ हजार रुपया जुर्माना हुआ। उन्होंने जुर्माना तो दे दिया मगर फैसले को नहीं माना जो मजदूरों के पक्ष में था। इसलिये आप उन्हें जरा सख्ती के साथ दबावें। उनके लिये भी लेबर कोर्ट, जजी या हाई कोर्ट का फैसला मानना बहुत जरूरी है और यह आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप सख्ती से फैसलों को लागू करें और ऐसे लोगों से मनवायें।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय ऊदल जी, अब १ बज गया है, आप फिर अपना भाषण जारी रखें। अब हम उठते हैं और २ बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १० मिनट पर अधिष्ठाता, श्री ब्रह्मदत्त मायर के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुन : आरम्भ हुई।)

श्री ऊदल--

मान्यवर, मैं मार्टिन कम्पनी के बारे में कह रहा था और इसी तरह की दिक्कतें मजदूरों के सम्बन्ध में हर बिजली कम्पनी में हैं। वहां का कोयला ढोने वाला मजदूर ठेकेदारी प्रथा में आज भी कराह रहा है। उसे नोटिस वगैरह कम्पनी की ओर से मिलती है। लेकिन कार्य ठेकेदारी प्रथा के मातहत करते हैं। इसलिये आप इस ठेकेदोरी प्रथा को खत्म करके उसे कम्पनी का कर्मचारी घोषित कराइये। वह १, १, और २, २, फर्लांग से कोयला ढोता है और उसकी तनख्वाह वही पुरानी ३० रुपये मासिक है। उनका वेतन रिवाइज होना चाहिये और दूसरी सुविधायें भी मिलनी चाहियें। उसे जो प्रावीडेंड फंड मिलता था वह भी बंद हो गया है। इस वर्ष मार्टिन कम्पनी ने अपने ऊंचे कर्मचारियों की तनख्वाह में ७५ रुपये से लेकर ५०० रुपये तक इन्क्रीमेंट इस वर्ष से किया है लेकिन आम कर्मचारियों की तनख्वाह में कोई बढ़ोत्तरी सन् १९४८ के बाद से नहीं हुई है। इसलिये सम्भव हो तो सरकार एक वेज बोर्ड की स्थापना करे वरना अपने तरीके से छोटे कर्मचारियों को भी तरक्की और प्राविडेंट फंड की सुविधा दिलाने की सोचे।

बनारस में एक काटन मिल है। यह अप्रैल, १९६२ से बन्द हो गई है। इसमें ४,००० मजदूर काम करते हैं जो बेकार हैं। इसकी कहानी यह है कि हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक इस मील को सीज कर दिया गया। दो पार्टियां इसे लेने के लिये आईं और सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ कि करमचन्द थापर के नाम से मील को रजिस्ट्री कर दिया जाय। वह तैयार हैं लेकिन सिटी मैजिस्ट्रेट, एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज और दो और ऊंचे सरकारी अफसर बनारस के हैं वे मील के बंगलों पर कब्जा जमाये बैठे हैं और थापर साहब कहते हैं कि जब तक हमें पूरे मील का कब्जा नहीं मिलेगा तब तक हम २६ लाख रुपया देकर रजिस्ट्री नहीं करायेंगे। इसमें ८, १० हजार मजदूरों की रोटी का सवाल है और मैं समझता हूं कि सरकार इसे जल्दी हल करेगी। जिन लोगों ने मील को चलाया है उनके ऊपर सन् १९५२ से लेकर अब तक का मजदूरों के प्राविडेंट फंड वगैरह का करीब ६ लाख रुपया बकाया है। मैं चाहता हूं कि सरकार इसे दिलाने की व्यवस्था करे।

कानपुर के चमड़े के मजदूरों के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। माननीय मन्त्री जी जाजमऊ हो आये हैं। उनका बहुत असर है। वहां के मजदूर आपमें बड़ी आस्था रखते हैं। मैं भी अभी हाल में वहां गया था। उनकी हालत बड़ी दयनीय है। टैनरीज में जहां दूसरी जगह कम से कम एक रुपया और ज्यादा से ज्यादा ३ रुपया रोजाना मिलता है वहां पर तो ६ आना और ८ आना दिया जाता है और सी० क्लास की महंगाई दी जाती है और थोड़ा सा बक्कल सड़ा हुआ बबूल का हफ्ते में जलाने के लिये दिया जाता है। सरकार ने उसके लिये जो २५० क्वार्टरों की व्यवस्था की है उसके लिये मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे आशा है कि मन्त्री जी इस बारे में अवश्य सोचेंगे। बीमा अस्पताल वहां से १८ मील की दूरी पर है। उसका दायरा बहुत छोटा है। मैं चाहता हूं कि उसमें एक लेडी डाक्टर भी होनी चाहिये और अस्पताल का विस्तार होना चाहिये। इसके साथ ही साथ वहां पर एक लेबर इन्सपेक्टर की भी आवश्यकता है। आपके सेंटर से वह बहुत दूर पड़ता है। यहां के १०-१२ हजार मजदूरों की हालत बहुत दयनीय है। आप इस ओर अवश्य तवज्जह करें। एक दूसरी बात हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आदि के फैसलों की है।

श्री अधिष्ठाता--

ऊदल जी, जरा आप ठहर जायं। कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुन : आरम्भ हुई।)

श्री ऊदल--

मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि लेबर कोर्ट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं, उनको मुकम्मिल तौर पर लागू नहीं किया जाता है। मैं नहीं समझ पाया कि उनको लागू क्यों

[श्री उदल]

नहीं कराया जाता है। आपके सामने मैं प्रमाण के रूप में एक दो उदाहरण रखना चाहता हूं कि मुरादाबाद में अमरोहा शुगर मिल के सम्बन्ध में मजदूरों के पक्ष में एक एवार्ड मि० कौल का हुआ था सन् १९५२-५३ में लेकिन वह आज तक लागू नहीं हुआ। इसी प्रकार से आप देखें कि चुर्क सीमेंट फैक्ट्री में जयन्तीलाल मजदूर को निकाला गया था लेकिन उसको हाई कोर्ट से बहाल कर दिया गया लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई ख्याल नहीं किया गया है। जब हम ऐसी बातों को देखते हैं तो हमें आपके ऊपर कुछ शुबहा होने लगता है कि जुडीशियरी के फैसलों को क्यों नहीं माना जाता है इससें स्वाभाविक रूप से दिमाग में एक शक पैदा होता है। जब हम आपको पूंजीपतियों की चेरी कहते हैं तो क्या गलत कहते हैं। आप समझते है कि वे कल कारखाने बन्द कर देंगे लेकिन ऐसी बात नहीं है। कायदे कानून को आप लागू करें और जो लोग उनको लागू करने में आनाकानी करें तो उनके साथ सख्ती कं साथ कार्यवाही होनी चाहिये।

अब मैं आपके सामने बीड़ी मजदूरों के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। उनकी तादाद हमारे प्रदेश में लाखों की है और उनकी हालत काफी नाजुक है। ७५ प्रतिशत लोग टी० बी० आदि कई बीमारियों के मरीज हैं लेकिन उनके बारे में आज तक कोई वेज बोर्ड नहीं बना और न कहीं उनकी कोई सुनवाई ही है। उनकी तनख्वाहों का फिक्सेशन ठीक नहीं है, इसलिये उनकी हालत बहुत ही खराब है। इसीलिये मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह इस प्रश्न के ऊपर सोचे।

दूसरा सवाल जो नई चीनी मिलों में पैदा हो गया है वह चीनी मिल के मजदूरों का है। चीनी मिलों के मालिकान ने आज बड़े पैमाने पर ५५ वर्ष की बात कह कर मजदूरों की छंटनी करना शुरू कर दी है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस समस्या की जांच करके उनकी छंटनी को रुकवाये और जहां तक हो सके मजदूरों के हक की हिफाजत करे।

इसके साथ ही साथ मैं सरकार से और विशेष कर माननीय बहुगुणा जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जैसा माननीय उग्र सेन जी ने कहा कि सरकार पूंजीपतियों की चेरी है, मुझे भी कुछ लगता है कि यह बात सही है और इसलिये मैं आपसे कहता हूं कि ये पूंजीपति लोग आदमखोर हैं जो एक भी नियम व कायदे कानून को नहीं मानते। मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं। साहू शान्ति प्रसाद जैन को १ करोड़ ४५ लाख रुपया सरकार ने जनता से टैक्स वसूल कर कर्जा दिया, पर एक भी शर्त उन्होंने पूरी नहीं की। उसके सूद तथा रुपये की कोई किस्त भी उन्होंने आज तक अदा नहीं की। मैं पूछता हूं कि जब उन्होंने रुपया अदा नहीं किया तो उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की? दूसरी बात यह कि श्री राम रतन साहब को सन् १९५६ में ५० लाख रुपया कर्ज दिया गया जिसका सूद आज तक १३ लाख रुपया हो गया है और सूद न देने के कारण उन पर जुर्माना भी २ लाख रुपया हो गया है और इस तरह से उनको अब तक ३३ लाख रुपया देना है लेकिन अभी तक उन्होंने केवल १३ लाख रुपया ही दिया है। तो मैं आपके द्वारा सरकार से जानना चाहता हूं कि वह इस बात की सफाई दे कि आखिर उनके साथ इस तरह की नरमी क्यों बरती गयी और क्यों छूट दी गयी? आप बिक्री कर नहीं वसूल कर रहे हैं यह तो दूसरी बात है, इसके लिये तो जनता आपसे बाद में निबटेगी लेकिन इस वक्त आपको इस मसले पर गम्भीरता से सोचना है।

जहां तक खेतिहर मजदूरों का सम्बन्ध है, इनकी हालत बड़ी खराब है।

श्री अधिष्ठाता —

आपका समय समाप्त हो गया।

*श्री तेजसिंह (जिला मेरठ) —

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो यह अनुदान पेश है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं और गाजियाबाद की समस्या आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी के सामने रखना चाहता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हूं। यह सब को विदित है कि गाजियाबाद एक औद्योगिक स्थान बन गया है और प्रान्त में कानपुर के बाद उसका दूसरा स्थान है। वहां करीब ३००,४०० कारखाने हैं, जिनमें लिवर ब्रदर्श का डालडा का कारखाना है, डायर मिकिन का सब से बड़ा कारखाना है, दास कम्पनी का कारखाना है, माडर्न इन्डस्ट्रीज का कारखाना है, वहां वैगन आदि बनते हैं। इस तरह से बड़े-बड़े कारखाने वहां काफी हैं और हजारों की तादाद में वहां कारीगर व मजदूर काम करते हैं। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लगातार १० साल से यहां याद दिलाने के बावजूद भी कारीगरों व मजदूरों के रहने के लिये कोई मकान नहीं बन सके। हर साल उनके लिये पैसे का प्रावीजन किया जाता है और जगह एक्वायर करने के लिये नक्शे बनाये जाते हैं लेकिन जब मकान बनने की बात आती है तो नक्शे गायब हो जाते हैं और मकान नहीं बनते। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि इन कारीगरों के लिये मकान बनाये जायं और अगर सरकार नहीं बना सकती है, इसमें कोई अड़चन है, तो मैं सुझाव दूंगा कि बजाय एक ही जगह लेबर कालोनी बनाने के क्योंकि गाजियाबाद की आबादी सड़क के किनारे है तो बजाय इसके कि एक ही जगह आबादी बनाई जाय अगर मजदूरों की हाउसिंग सोसाइटीज बनाकर जो उनका प्राविडेन्ट फंड का पैसा है उससे कुछ इमदाद दे दें और उनको जमीन अलग-अलग टुकड़ों में कर के दे दी जाय तो वह अपने मकान बना लेंगे और उनकी यह समस्या हल हो जायगी। उनकी हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जा सकती हैं, अब लो इन्कम ग्रुप वाला लोन भी नहीं मिलता, उसमें दौड़धूप भी बहुत करना पड़ती थी और अब वह शायद बन्द भी कर दिया गया है। तो जो प्राविडेंट फंड का पैसा है और जो हाउसिंग के लिये विभाग खर्च करने जा रहा है उसमें से उनको लोन और ग्रान्ट दी जाय तो यह समस्या हल हो सकती है। तो या तो यह लेबर कालोनी जल्द बनाई जाय या इस तरह से लोन दिये जायं।

शाप्स ऐक्ट भी गाजियाबाद में लागू है और जो नया कानून पास हुआ है, और जो उसमें कुछ रूल्स व रेगुलेशन्स बनाये गये हैं, गाजियाबाद चूंकि दिल्ली के नजदीक है इसलिये जो वर्किंग आवर्स बाजार के वहां हैं वही आवर्स गाजियाबाद में भी रखे जायं ताकि वहां के लोगों को सहूलियत हो। सर्दियों में वहां बाजार सुबह दस बजे खुलता है और शाम को ७ बजे बन्द हो जाता है। यही समय गाजियाबाद में भी होगा तो आराम होगा।

इस के अलावा गाजियाबाद में एक एम्प्लायमेंट एक्सचेंज का दफ्तर है और वहां से ४–५ मील के फासले पर एक मुरादनगर की आर्डिनेन्स फैक्ट्री है। फैक्ट्री के लिये जो भर्ती होती है उसके लिये लोगों को मेरठ के एक्सचेंज में जाकर नाम भर्ती के लिये लिखाने पड़ते हैं जबकि वहां से मेरठ २६–२७ मील पर है, वहां जा कर यह लोग झूठ ही लिखाते हैं कि हम मेरठ के हैं, अगर वह गाजियाबाद का अपने को बता दें तो शायद उनका नाम ही न लिखा जाय। बात यह है कि पहले गाजियाबाद में एक्सचेंज का दफ्तर नहीं था और इसीलिये मेरठ के एक्सचेंज से ही केवल लिस्ट मांगी जाती थीं और वही अब भी चला आ रहा है कि मेरठ से ही वह लिस्ट जाती है। इसलिये इस दिक्कत से वहां के गरीब लोगों को बचाने के लिये यह जरूरी है कि गाजियाबाद के एम्प्लायमेंट एक्सचेंज को भी मुरादनगर फैक्ट्री की भर्ती के लिये नाम भेजने की इजाजत होना चाहिये। मैं इस के बारे में ज्यादा न कहूंगा कि लिस्ट भेजने में क्या-क्या होता है लेकिन जो मेरठ में होता है वही गाजियाबाद में भी हो, उससे कम से कम लोगों को आराम हो जायगा और मेरठ न जाना पड़ेगा।

इसके अलावा मैं शिकायत नहीं करता, हमारे यहां एक चीफ ब्वायलर इन्स्पेक्टर हैं, एक शरणार्थी सज्जन का केस है, वह रेलवे सर्विस से रिटायर हो कर आये हैं, ब्वायलर रिपेयरिंग का काम अच्छा जानते हैं, उन्होंने इस का लाइसेंस चाहा, वह सन् ५० के रिटायर्ड हैंड हैं, सर्टिफाइड हैं, बराबर वह दरख्वास्तें दे रहे हैं लेकिन उन को लाइसेंस नहीं मिला, न यही कहते

[श्री तेजसिंह]

हैं कि तुम को नहीं मिलेगा। हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब से भी चिट्ठी लिखाई तब कहा गया कि मिल जायगा लेकिन जब वहां पहुंचे तो अधिकारियों ने.....क्या कहूं मन्त्री जी नाराज हो जायेंगे वह किस्सा नहीं कहता, एक ने कहा कि दफ्तर में गया है आय का लाइसेंस बन गया है, दूसरे ने कहा कि उस में अभी यह कमी है, जबतक इतनी पूजा नहीं होगी तब तक लाइसेंस नहीं मिलेगा। बहुगुणा जी जब पहली मिनिस्ट्री में थे उस समय की चिट्ठी लिखी हुई है लेकिन आज तक उसको लाइसेंस नहीं मिला और न यह कहा गया कि तुमको लाइसेंस नहीं मिल सकता है। गरीब बूढ़ा आदमी है, क्वालीफाइड है लेकिन उसको रोजगार नहीं दिया जाता है।

एक डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर सेंटर गाजियाबाद में है, मैं उसकी ज्यादा आलोचना नहीं करना चाहता। लेकिन मेरी राय है कि उससे कोई ज्यादा फायदा वहां नहीं है और बेकार का खर्चा उस पर किया जा रहा है। जब वेलफेयर सेंटर खोला गया था और उसमें जो मजदूरों की सेवायें होती हैं उनके लिये गाजियाबाद में और बहुत से साधन हैं। जब गाजियाबाद में जच्चा-बच्चा सेन्टर न होगा उस समय एक दाई को रख दिया, टेलर मास्टर है, बच्चों के खेल का सामान है लेकिन उनका पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा है और खर्च ज्यादा हो रहा है। इसलिये उसके रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कुछ मजदूरों को सहायता मिलती है वह और साधनों से मिल सकती है। मैं उस सेन्टर का प्रेसीडेंट रह चुका हूं और तीन साल में एक दफा भी उसकी मीटिंग न हो सकी कोरम न होने के कारण। आजकल भी मैं उसका मेम्बर हूं इसलिये मेरी राय में उस वेलफेयर सेन्टर को बन्द कर दिया जाय।

अन्त में मैं मन्त्री जी का ध्यान जूट मिल के झगड़े की तरफ दिलाना चाहता हूं। जब तक ऊपर से कुछ न कहा जाय तब तक हमारे अधिकारी किसी काम को नहीं करते। गाजियाबाद में जूट मिल का झगड़ा शुरू हुआ, लाक अप कर दिया गया, पहले मजदूरों ने हड़ताल की, भूख हड़ताल, उनकी गिरफ्तारियां हुयीं लेकिन यहां से कोई कदम नहीं उठाया गया। यहां हाउस में मन्त्राणी जी ने कह दिया था कि जब तक मजदूर हड़ताल करते हैं हम कोई उनकी मदद नहीं कर सकते। इसलिये पहले हड़ताल बन्द करें। उसके बाद हड़ताल के दौरान में ४००, ५०० आदमी नेहरू जी के पास गये, जलूस निकाला नेहरू जी ने बहुगुणा जी को कहा और २, ४ दिन के अन्दर फैसला हो गया। तो यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि बजाय इसके कि हम नेहरू जी के पास जायं तब कोई काम हो, अच्छा है जो करने वाली बात हो उसको आप हमारे कहने पर यहीं कर दिया करें।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, आपने जो समय दिया उसके लिये मैं आभारी हूं। पहले तो मैं अपना विरोध इस बारे में प्रकट करता हूं कि मन्त्री जी ने लेबर की स्टेन्डिंग कमेटी की मीटिंग नहीं बुलायी जबकि साल खत्म होने जा रहा है। इस आपत्तिकालीन समय में ऐसा समझा गया था कि मालिक और मजदूरों के बीच में सरकार ने जो दिल्ली में फैसला किया था इंडस्ट्रियल ट्रूस जिसमें सरकार, मिल मालिक और मजदूरों की सेन्ट्रल आर्गेनाइजेशन्स के नुमाइन्दे थे और उन्होंने जो कोड आफ डिसिप्लिन, ट्रूस तय किया उससे मालूम होता था कि चूंकि आपत्तिकालीन समय है इसलिये प्रदेशों के श्रम मन्त्रीगण जो वहां पर तय हुआ है उसका पालन कराने में कोई कोर-कसर नहीं रखेंगे। अगर ऐसा होता तो आज उत्पादन देश में बढ़ता, मजदूरों की क्षमता का सही तरीके से राष्ट्रीय पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सकता। लेकिन जो भाषण इस आदरणीय सदन में सुनने को मिले उनसे बड़ी निराशा हुई। सब लोगों ने एक स्वर से इस बात को कहा कि हमारी श्रम नीति की कुछ ऐसी खराबियां जरूर हैं जिनके कारण सही तरीके से हमारे देश का उत्पादन इस आपत्तिकालीन स्थिति में जितना बढ़ना चाहिये था नहीं बढ़ पाया। मैं जब एक इंडस्ट्रियल ट्रूस की बात करता हूं तो मेरे सामने एक नक्शा आ जाता है। इस प्रदेश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री चीनी के कारखाने हैं जिनमें करीब २० लाख मजदूर काम करते हैं। आज उनकी स्थिति यह है कि वेज बोर्ड की सिफारिश छपी और सरकार ने कहा कि वह तल्लीन हो कर

उसका इम्प्लीमेंटेशन करायेगी लेकिन माननीय मन्त्री जी के वक्तव्य से जाहिर है कि जो रिपोर्ट ६०–६१ की है जिसके सम्बन्ध में सरकार ने जी० ओ० निकाल दिया उसका इम्प्लीमेंटेशन करीब दो साल के हो गये सरकार नहीं करा पाई। जो सबसे बड़ी समस्या है वह चीनी मिल मजदूरों की ५८–५९ साल उम्र के सम्बन्ध में है जिससे १० हजार मजदूर प्रभावित हैं जिनके लिये वेज बोर्ड ने इस बात की सिफारिश की है कि सिविल सर्जन का सर्टिफिकेट माना जायगा। लेकिन आज सिविल सर्जन का सर्टिफिकेट न मान कर पी० एफ० स्कीम के सम्बन्ध में जो एज उनकी निर्धारित कर दी गयी उसी पर मनमाने तौर पर मिल मालिक कार्यवाही कर रहे हैं। जब जी० ओ० के अन्दर इस बात की व्यवस्था है कि जब कोई रिलायबिल सर्टिफिकेट नहीं है तो सिविल सर्जन के सर्टिफिकेट को प्राथमिकता दी जायगी तो मैं कहता हूं कि जब बहुत से लोगों के पास सिविल सर्जन के सर्टिफिकेट मौजूद हैं तो क्या श्रम विभाग ने इस बात का ख्याल किया कि मिल मालिक सरकारी जी० ओ० की अवहेलना कर रहे हैं ? उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? इससे मजदूरों का मनोबल कहां तक ऊंचा उठ सकता है ?

दूसरी बात यह है कि चीनी मिल मजदूरों का जो अनक्लेम्ड एरियर है वह अभी तक बाकी पड़ा हुआ है। माननीय मन्त्री जी ने बताया कि उसका टोटल लिया जाय तो ३० लाख रुपये से कम बाकी नहीं है। यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन ने प्रस्ताव पास किया, जब आपत्तिकालीन स्थिति आई तो सारी फैक्ट्रियों में जाकर मजदूर यूनियनों का प्रस्ताव पास हुआ कि इस ३० लाख रुपये को सुरक्षा फंड में ले लिया जाय, मिल मालिकों के पास उसे नहीं रहना चाहिये और सरकार उसे सुरक्षा के काम में लगावे लेकिन आज भी वह रुपया मिल मालिकों से नहीं लिया गया।

लेबर एपिलेट ट्रिब्यूनल ने यह सिफारिश की है कि मजदूरों को प्रोडक्शन पर बोनस दिया जायगा। और इस सदन में मेरे प्रश्न के उत्तर में श्रम मन्त्राणी ने कहा कि डेढ़ करोड़ रुपया बोनस का अपिलेट ट्रिब्यूनल मानता है लेकिन बिन्दबासिनी प्रसाद वेज बोर्ड की सिफारिश के अनुसार केवल ४८ लाख रुपये का बोनस बांटा गया। स्थिति बहुत साफ है कि मजदूर श्रम करता है और उत्पादन देश में करता है और चीनी का उत्पादन उसने बढ़ाया है लेकिन जो उसका पारिश्रमिक है वह उसे नहीं मिल पाता है। जब पारिश्रमिक लेने के लिये आगे बढ़ता है और सरकार से कहता है तो सरकार अ सुनी कर देती है, कोई विचार नहीं होता है। जब युनाइटेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन ने प्रस्ताव पास किया और वह पैसा श्रमिक को नहीं मिल पा रहा है तो उस पैसे को सही तरीके से नेशनल फंड में क्यों न ले लें इन मिल मालिकों के पास आप उस पैसे को मत रहने दें, माननीया श्रम मन्त्राणी जी यहां मौजूद नहीं हैं, मैंने उनसे खुद मिलकर कहा कि मैं चाहता हूं कि आई० एन० टी० यू० सी० भी प्रस्ताव पास करे, मजदूर तैयार है सुरक्षा कोष में देने के लिये लेकिन आज तक उस पैसे के बारे में श्रम विभाग की ओर से कोई रास्ता नहीं निकाला गया। इतना ही नहीं, आज एक तरफ तो बोनस कमेटी की बात कही जाती है। सन् ५० में शुगर फैक्ट्रीज का सेन्सस हुआ था कि किस फेडरेशन का प्रतिनिधित्व ज्यादा है। उसमें यूनाइटेड फेडरेशन को ७१ परसेंट और आई० एन० टी० यू०सी० को २९ परसेंट वोट मिले थे। तब हमारे दिल में यह विश्वास हुआ था कि जब हमको इतने ज्यादा वोट मिले हैं तो हमारे फेडरेशन को सरकार मान्यता देगी, हमें तृदलीय सम्मेलन में बुलायेगी, बोनस कमेटी में बुलायेगी। लेकिन क्या आपने पिछली बोनस कमेटी में यूनाइटेड फेडरेशन के किसी नुमाइन्दे को बुलाया ? यह सरकार एक यूनियन और दूसरी यूनियन में इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन कर रही है जिसका नतीजा यह हो रहा है कि मजदूरों के अन्दर जो भावना पैदा होनी चाहिये वह नहीं पैदा हो रही है। हमारी मांग है कि इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के सामने ग्रेडेशन के सिलसिले में जो मामला गया वह सरकार के पास वैसे ही पड़ा हुआ है और ७० मिलों के लाखों मजदूर आज ग्रेडेशन के मामले में परेशान हैं। लेबर कोर्ट स हर जगह तोड़ दिये गये हैं। आप कैसे कहते हैं कि हम उस सम्बन्ध में स्पीडी वर्क कर सकते हैं ? अगर आप इम्प्लीमेंटेशन कराना चाहते हैं तो इस प्रदेश को चार सेक्टर में बांटना होगा, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और मध्य

[श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय]

और हर सेक्टर में एक एक जज की नियुक्ति करनी होगी जो हर फैक्ट्री में जाकर ग्रेडेशन के मामले को सुने और उस तय करे। इसके लिये एक समय निश्चित कर दें जिसके अन्दर वे सारे मामलों को तय कर दें। एक तरफ तो आप मुल्क में उत्पादन बढ़ाने की बात करते हो और दूसरी तरफ आप इम्प्लीमेंटेशन न कर के डिस्कंटेंटमेंट फैलाते हो इसका असर देश के उत्पादन पर बुरा पड़ेगा। अगर मन्त्री जी यह नुस्खा मानें तो सही तरीके से आपको मदद मिलेगी। ग्रेडेशन में आजकल क्या किया जा रहा है? कैन्सिलेशन बोर्ड में वही केसेज रेफर किये जाते हैं जो आई० एन० टी० यू० सी० के नेता कानपुर में बैठकर कन्सिलियेशन बोर्ड को समझा देते हैं। आप क्यों नहीं अल्फाबेटिकल तरीके से लिस्ट तैयार कराते? अगर आप ऐसा करते तो हमें विश्वास होता कि आप हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं। तो मन्त्री जी हमारे इस सुझाव पर भी विचार करने की कृपा करें।

दूसरी बात मुझे चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों के सम्बन्ध में कहनी है। आपको याद होगा कि जिस समय उस फैक्ट्री में हड़ताल हुई थी तमाम विरोधी पार्टी के नेताओं को मुख्य मन्त्री ने अपने कमरे में बुलाया था। मुझे भी बुलाया गया था और माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि आप चुर्क जाइये, हड़ताल वापस कराइये, आपकी जितनी मांगें हैं उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करायेंगे और उनको मन्जूर करने के लिये हम आश्वासन देते हैं। माननीय झारखंडे-राय नहीं हैं, गेंदासिंह जी नहीं हैं, दुबेजी नहीं हैं, सारे नेताओं को वहां बुलाया गया। हमको नेताओं ने मजबूर किया कि आप जाकर वहां मामले को तय कराइये। मैं माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त की कृपा से और उनके हुक्म से क्योंकि वे इस सदन के नेता हैं, जो कुछ उन्होंने सब नेताओं के सामने कहा है उसका वे पालन करेंगे, मिर्जापुर गया, अपने मजदूर नेताओं से जेल में जाकर मिला और उनको मजबूर किया कि माननीय मुख्य मन्त्री जी आपके कस्टो-डियन हुए हैं और उन्होंने कहा है कि आपकी मांगों पर न्यायपूर्वक विचार किया जायगा और उनको पूरा करने का आश्वासन दिया है।

श्रीमन्, मैं वहां गया, मजदूरों ने हड़ताल वापस ली और मुझसे कहा गया कि मुकदमे वापस किये जायेंगे, लेकिन आज तक वापस नहीं किये गये बावजूद इसके कि मैं ३–४ बार मुख्य मन्त्री जी से मिला, वहां के लेबर लीडर्स मिले और माननीय प्रभूनारायण जी भी मिले। एक तरफ तो आप कहते हैं कि सारी मांगें पूरी करेंगे, सिम्पैथेटिक कन्सीडरेशन करेंगे और आदमी भेजते हैं लेकिन दूसरी तरफ मजदूरों के पिटवाने की बात की जाती है। क्या यही सरकार का मोरल है। आज की स्थिति से हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की श्रम नीति क्या है वह बिलकुल साफ हो जायगी। मैं तो कहता हूं कि सरकार को शर्म आनी चाहिये और सरकार को अपना रवैया बदलना चाहिये।

दूसरी चीज हाइड्रों इलैक्ट्रिक विभाग के मजदूरों के सम्बन्ध में है। माननीय शांति-प्रपन्न शर्मा जी इस समय यहां पर नहीं हैं। सारे मजदूर उनके पास आये और उन्होंने कहा कि यह सरकारी महकमा है और सरकारी कारोबार में इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिये। ४, ६, १० साल से ज्यादा मजदूरों को काम करते हुए हो गये हैं लेकिन उनकी परमानेंसी और कैटेगरीज के बारे में अभी तक कुछ नहीं किया गया है। सारे मजदूर वैसे ही पड़े हैं। अगर चोरी पकड़ते हैं तो चीफ इंजीनियर कहता है कि क्या तुम्हारी जिम्मेदारी इस बात की है। हमारे मजदूरों ने स्टोर में लाखों रुपये का गबन बताया, मोबिल आइल की चोरी पकड़ी और तार की चोरी पकड़ी लेकिन सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। मैं समझता हूं कि सरकार को उनकी मांगों पर जो १८ हैं जिनमें सारी चीजें हैं, सिम्पैथेटिक तरीके से विचार करना चाहिये।

श्रीमन्, जूट मिल के मजदूरों की हालत मन्त्री जी को अच्छी तरह से मालूम है। मन्त्री जी ने स्वयं कहा कि वेज बोर्ड की रिपोर्ट का इम्प्लीमेंटेशन गाजियाबाद में नहीं हो पाया है। महेश्वरी मिल और महावीर मिल में भी नहीं हो पाया है। मैं महावीर मिल के मजदूरों का

प्रेसीडेंट हूं और मुझे मालूम है कि किस तरह से वहां वेज बोर्ड की रिपोर्ट का इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। सारे आई० एन० टी० यू० सी० के लोगों ने मिलकर सारी रिपोर्ट को जो सही तरीके से लागू होनी चाहिये, नहीं की गई है। क्या हालत है महेश्वरी जूट मिल की? वहां पर बागला साहब क्या कर रहे हैं? ये सारी चीजें मन्त्री जी से छिपी नहीं हैं क्योंकि ये भी मजदूर नेता रहे हैं। अभी तक कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। मन्त्री जी जो इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं वह नहीं हुई है। वहां पर एनोमोली है। अभी तक फैक्टरी ऐक्ट के प्राविजन तक लागू नहीं किये गये हैं। मन्त्री जी इधर ध्यान देने की कृपा करें।

मैं गोरखपुर के एम्प्लायमेंट एक्सचेंज की फिगर्स देना चाहता हूं। १९५८ में २०,२१२ मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हुआ और काम २,३३३ को मिला, १९५९ में २३,०६० और काम मिला २,१५८ को, १९६० में २२,९५६ और काम १,६९२ को मिला, १९६१ में १९,३७४ और काम मिला १,५१० को, १९६२ में २६,२६९ और काम मिला १,६८७ को। यह आपकी प्रोग्रेस है।

आज स्थिति यह है कि आपका, एम्प्लायमेंट एक्सचेंज का आफिसर कहता है कि कोई भी विभाग हमसे सहयोग नहीं करता, न तहसीलदार करता है, न कलेक्टर। कलेक्टर एम्प्लायमेंट अपने ढंग से करता है, एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से नहीं आते। जो रोजगार का दफ्तर है रोजगार उस दफ्तर के द्वारा मिलना चाहिये। पिछले साल जब मैंने कटौती का प्रस्ताव रखा था तो मैंने बताया था कि बेल्जियम में किस तरह से एम्प्लायमेन्ट एक्सचेंज काम करता है। मुझे खुशी है कि सरकार ने इस तरफ बढ़ने की कोशिश की है। मैंने कहा था कि ब्लाक के स्तर पर एम्प्लायमेंट एक्सचेंज खोले जायें क्यों कि रूरल एरियाज में एम्प्लायमेंट की सबसे बड़ी समस्या है जहां देश का ८० प्रतिशत खेतिहर मजदूर रहता है। उस समय कहा गया था कि ब्लाक के स्तर पर एक कोआर्डिनेशन किया जायगा, सारे एम्प्लायमेंट के फीगर्स लिये जायेंगे लेकिन आज तक नहीं हुआ। मैं आज भी कहता हूं कि बेल्जियम की तरह यहां प्रणाली बनानी चाहिये। ब्लाक के स्तर पर एम्प्लायमेंट एक्सचेंज कायम किये जायं और जिला दफ्तर कोआर्डिनेटिंग सेंटर हो तो मैं समझता हूं कि विभिन्न प्रकार के लोगों को रोजी मिल सकती है।

आखिरी बात यह कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि चाहे चीनी मिल मालिक हो या सूती मिल मालिक हों, चाहे जूट मिल मालिक हों, यह आपके कन्ट्रोल के अन्दर रहने वाले नहीं हैं। सरकार का यह पुनीत कर्त्तव्य है कि इस इमर्जेंसी के समय में वह इन फैक्टरीज का नैशनलाइजेशन करे। जब तक प्रान्तीय सरकार केन्द्रीय सरकार को नैशनलाइजेशन के बारे में नहीं लिखेगी मिल-मालिक डरवाते रहेंगे और मजदूर आन्दोलनों की अवहेलना करते रहेंगे। अगर आपको अपनी श्रम नीति को समाजवादी ढंग पर लाना है तो आपके लिये जरूरी है कि इस समय तगड़ा कदम उठायें और डी० आई० आर० को इस्तेमाल करें, जो मिल मालिक मिल बन्द किये हुये हैं उनको प्रासीक्यूट करें और जैसा कि नेता उग्रसेन ने कहा है जिस प्रकार से किसानों से मालगुजारी वसूल की जाती है उसी प्रकार से मिल मालिकों से बकाया वसूल किया जाय। तभी देश का कल्याण होगा।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा इस कटौती का विरोध करता हूं और और इस अनुदान के लिये श्रम उप-मन्त्री जी को बधाई देता हूं। वह इसलिये कि अगर इस प्रदेश में सेंसस किया जाय तो मजदूर अधिक संख्या में हैं। कई माननीय सदस्यों के, जब मजदूरों के सम्बन्ध में भाषण सुनता हूं तो खुशी भी होती है और रंज भी होता है क्योंकि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरीसिंह]

जितने भाषण सुनने में आते हैं वह उन्हीं लोगों के आते हैं जो मजदूरों का शोषण स्वयं करते हैं। शायद कोई कम्युनिस्ट मजदूर की बात कह दे, तो थोड़ी बहुत मानी जा सकती है लेकिन ऐसी पार्टियों के सदस्य बात करते हैं जो रोज मजदूरों का शोषण करते हैं।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

ठकुर सोहाती करने से काम नहीं चलेगा। अन्तरात्मा की पुकार की बात करिये।

श्री हरीसिंह—

दुख की बात यह है कि उन्हें बड़े-बड़े मजदूर मिलों में नजर आते हैं। मिल वालों पर और मिलों पर उनकी नजर जाती है, खेतों पर काम करने वाले गांवों में जो मजदूर बसते हैं उन पर उनकी नजर नहीं जाती क्योंकि वहां उनकी लीडरी नहीं चलती, वहां उनकी जेब में पैसा नहीं मिलता है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप विषय पर बोलिये।

श्री हरीसिंह—

मैं विषय पर ही बोल रहा हूं।

(व्यवधान)

अगर ऐसा है तो मै बैठ जाता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

नहीं नहीं, आप विषय पर बोलिये। आपस में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिये।

श्री हरीसिंह—

श्रीमन्, जहां तक मजदूरों की बात है मैं इसलिये कह रहा था कि मैं जब से सुन रहा हूं कल कारखानों के मजदूरों के बारे में ही सुन रहा हूं, कानपुर की मिलों और फैक्ट्रियों के बारे में कहा जा रहा है लेकिन खेतिहर मजदूर के बारे में जिसके बल पर माननीय सदस्य चाहे वह इधर के बैठने वाले हों चाहें उधर के बैठने वाले हों, यहां आकर बैठते हैं, उसके बारे में किसी ने कुछ कहने का कष्ट नहीं किया और वह क्यों कहें, उनसे कुछ मिलने वाला तो है नहीं। कल कारखाने वालों से तो उन्हें कुछ मिल जाता है, और उसमें भी जो मजदूर गट्ठा ढोता है उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, जिसको किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। मैंने स्वयं जाकर सोडा ऐश फैक्ट्री में देखा है, न उनके लिये क्वार्टर की व्यवस्था है, न खाने-पीने की व्यवस्था है, न और कोई सुविधा है। लेकिन उनकी बात कहने वाला कोई यहां नहीं है। यहां जितने मजदूरों की दुहाई देने वाले हैं वह सब जो ऊंचे घराने के मजदूर होते हैं जिनको ढाई सौ या तीन सौ रुपया मिलता है, उनकी दुहाई देते हैं। उनकी बात करते हैं और जो निम्न श्रेणी के मजदूर हैं जिनको पेट भरने भर को मजदूरी नहीं मिलती, जिनके लिये कोई क्वार्टर आदि की व्यवस्था या दवादारू की सुविधा नहीं है, उनकी बात करने वाला कोई नहीं है। लेकिन यहां सब मजदूरों के हमदर्द हैं। मैं आपके द्वारा पूछता हूं कि जितने गांव के मजदूर थे राजनारायण जी और उग्रसेन जी के एलेक्शन को छोड़कर क्या और सबने अपने एलेक्शन में उनको पिटवाया नहीं? मेरे यहां ऐसे मजदूर पीटे गये, मैं जानता हूं और उसका सबूत मेरे पास है। वह इतने गुलाम बना दिये गये हैं कि उनके बारे में हमारी सरकार ने कभी विशेष ध्यान नहीं दिया और ये जो लीडर हैं ये तो सबके लीडर हैं। किसानों की बात आवे तो किसानों के लीडर, मजदूरों की बात आयी, तो मजदूरों के लीडर और सरमायेदारों की बात आयी तो सरमायेदारों के लीडर। ये सबकी लीडरी करते हैं। मजदूरों का जहां तक सवाल है मुश्किल से दो, तीन करोड़ इस प्रदेश में होंगे। ६–७ करोड़ की

आबादी में चार पांच करोड़ मजदूर ही रहते हैं। क्यों नहीं उनको सुविधा दी जाती है, क्यों नहीं उनके लिये क्वार्टर, अस्पताल और शिक्षा वगैरह का प्रबन्ध किया जाता ? अगर वह न हों तो आपके ये बड़े-बड़े फार्म कदापि न चलें। लेकिन बात आप करेंगे तो कल कारखाने वालों के लिये करेंगे। मैं कहता हूं कि आज अगर एक मजदूर के पास भी पैसा हो जाय और वह अपना कारखाना खड़ा कर ले तो वह भी मजदूरों का उसी तरह शोषण करेगा जैसे कि मिल मालिक कर रहे हैं। रूस के प्रेसीडेंट ने यह लिखा है कि मजदूर भी अगर कारखाना लगायेगा तो मिल मालिक की तरह ही शोषण करेगा। लेकिन श्रीमन, दुख की बात यह है कि यहां जितनी यूनियन वगैरह की या और बातें की जाती हैं, उनमें खेतिहर मजदूर की बात कोई नहीं करता।

मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि यह जो आपने बेकारी का दफ्तर खोला है, कृपा करके उसका निरीक्षण कीजिये और तो आगे मैं नहीं कहना चाहता। उनमें कुछ अधिकारी बहुत अच्छे हैं बड़ी मेहनत से काम करते हैं, जैसे हमारे मेरठ में पांडेय जी हैं, लेकिन नीचे का स्टाफ जो है उससे भगवान बचावें। बगैर उनकी पूजा किये कोई काम वहां नहीं हो सकता। मजदूर चाहे जितना परेशान हो, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। यह लीडर्स वहां भी पहुंच जाते हैं। एक तरफ तो वह मिल मालिकों से मिल आये और दूसरी तरफ यहां आकर अफसरों पर रोब गांठ दिया। वह भी उनसे डरते हैं कि कहीं सवाल न कर दें। तो माननीय मन्त्री जी आप उसको देखिये कि वह उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उनकी मांगों की वह ईमानदारी से पूर्ति करते हैं या नहीं।

श्रीमन्, दूसरी बात मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो खेतिहर मजदूर हैं, उनकी दशा की ओर भी सरकार का काफी ध्यान जाना चाहिये। इतना बड़ा विभाग खुला और उस पर इतना रुपया सरकार का व्यय हो रहा है। इसलिये मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि गांवों में इस बात का सरवे कराया जाय कि वहां पर कितने मजदूर हैं और कितने किसान हैं तथा कितने दूकानदार और कितने दस्तकारी वाले हैं। इन सबकी आपके पास फीगर्स होनी चाहिये कि हमने इतनों को काम दिया है। मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि आज गांवों में बेकारी मौजूद नहीं है। उसके दूर करने की हमारी जिम्मेदारी है। जैसा कि सोशलिस्ट और जनसंघ वाले करते हैं, मैं कम से कम वैसा करने के पक्ष में नहीं हूं और न कुछ वैसा कर ही सकता हूं। मैं तो ईमानदारी की बात करता हूं और यह स्पष्ट आपको बतलाना चाहता हूं कि जितना इस सरकार ने मजदूरों को फायदा पहुंचाया है उतना शायद किसी सरकार ने नहीं पहुंचाया है। यह जरूर है कि मिल मजदूरों के लिये अधिक किया गया है और उतना ध्यान अभी खेतिहर मजदूरों की ओर नहीं गया है। यह किसी से छिपा नहीं है कि कितनी बस्तियां मिल मजदूरों के लिये बसाई गई हैं और उनके आवास के लिये कितनी बड़ी संख्या में क्वार्टर्स बनाये गये हैं। काफी हद तक उनकी गृह आवास की समस्या को हल करने की कोशिश की गई है। परन्तु देहाती और खेतिहर मजदूरों की दशा पर भी ध्यान जाना उतना ही आवश्यक है। वहां पर आपने यूनियनें क्यों नहीं बनाई और अस्पताल क्यों नहीं खोले जाते हैं और क्यों नहीं वहां पर क्वार्टर्स बनाये जाते हैं ? आखिर वह भी इंसान हैं जो कि देहातों में रहते हैं और अन्नोत्पादन में सहायता करते हैं तथा अपना खून पसीना बहाते हैं। देहातों में उनकी संख्या ८३ फीसदी है। उन्हीं किसानों मजदूरों की उधर बैठने वाले लीडरी करते हैं परन्तु उनके उत्थान की कोई बात नहीं करते हैं। यहां पर और दूसरे प्रकार के भाषण दे देते हैं। यह उनको ख्याल करना चाहिये। यह कोई पूछने वाला नहीं है कि उनकी क्या दशा है। जो खेतिहर मजदूर हैं और जो ७ बीघे का काश्तकार है मैं उनको भी उसी में गिनता हूं। उन दोनों की ओर शीघ्र ध्यान जाना चाहिये। यह बड़े दुख की बात है कि उनको आज भी सवा रुपये और डेढ़ रुपये में गुजर करनी पड़ती है। इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये। हमारे उधर के साथी मिल मजदूरों को मजदूरी की दर की तो बात करते हैं परन्तु उनकी दर की बात कभी नहीं करते हैं। इसलिये अब तक मिल मजदरों की ओर जैसे कि ध्यान दिया जाता रहा है, उसी प्रकार उनकी ओर

[श्री हरीसिंह]

भी ध्यान दिया जाना चाहिये। इतना सब सरकार के करते रहने के बावजूद भी उधर वाले उलटा हमारी सरकार को ही गाली देते रहते हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारी सरकार उन खेतिहर मजदूरों की दशा की ओर ध्यान देगी। यह जो उधर के बैठने वाले मिलों और कारखानों के मजदूरों की बात करते हैं यह तो वह अपने निजी स्वार्थ के लिये ही करते हैं। परन्तु वह उनका भला असलियत में नहीं चाहते हैं। जो ६०–६५ रुपये का मजदूर है उसको भी क्वार्टर नहीं मिला है। इस ओर अवश्य ध्यान दिया जाय।

एक बात और है मन्त्री जी भी मजदूरों में ही रहते हैं, रहते आये हैं और यह सरकार भी सारे किसान और मजदूरों की ही सरकार है जिसके महारथी उन खेतिहर मजदूरों की दीन-हीन दशा की ओर ध्यान देने की कृपा करें।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने उपमन्त्री जी का भाषण बड़े ध्यान से सुना। मन्त्री जी ने जिस आकर्षक शैली में श्रम और सेवायोजन के विषय में बताया वह सदन के माननीय सदस्यों को और मुझे सुनने में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानों १५ साल का पड़ा हुआ कूड़ा उनके वक्तव्य से अब थोड़े ही समय में साफ हो जायगा और श्रमिक थोड़े ही समय में स्वर्गलोक में पहुंच जायेंगे। ऐसा मालूम हो रहा था कि श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिये मन्त्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, उसमें कथित ढंग से वास्तव में श्रमिक वर्ग उन सुविधाओं का उपभोग कर रहा है। और वक्तव्य की मधुरता तथा आकर्षण से ऐसा लगता था कि श्रमिक वर्ग साधन सम्पन्न होकर इस सरकार को स्वयं विक्रमादित्य की सरकार की संज्ञा दे देगा। परन्तु ऐसा अब वक्तव्यों से होने वाला नहीं है अब तो सक्रिय कार्य का समय है। हम विरोधी लोगों के बारे में हमेशा यह कहा जाता है कि हम लोग विरोध करने के आदी हैं और शासक वर्ग जनकल्याण करने का इच्छुक है। परन्तु हमारे उस तरफ के (कांग्रेसी) भाइयों में से भी जब बहुत से भाइयों ने वास्तविक श्रमिक वर्ग की दैनिक असहनीय घटनाओं का इस प्रकार से चित्रण किया है जिससे हमारे उपमन्त्री का वक्तव्य स्वयं फीका पड़ जाता है तब हम विरोधियों को विरोध करने का आदी कहना अनुचित ही नहीं निरर्थक भी है: मान्यवर, मैं मिल मालिकों, सीमेंट फैक्टरियों और दूसरी कम्पनियों के मजदूरों और मालिकों के विषय में न तो अधिक जानकारी रखता हूं और न उनके विषय में अधिक कहने को तैयार हूं। मैं समझता हूं उस विषय में हमारे यूसुफ साहब और बहुत से माननीय सदस्यों ने काफी प्रकाश डाला है और मन्त्री जी के इस वक्तव्य के बारे में उन्होंने जो सुझाव दिये हैं वह वास्तविक प्रतीत होते हैं।

मैं माननीय उपमन्त्री जी का ध्यान, एम्प्लायमेंट कार्यालय, खेतिहर मजदूर तथा कर्मचारी जो एम्प्लायमेंट कार्यालयों द्वारा रखे जाते हैं उनके विषय में आकर्षित करना चाहता हूं।

एम्प्लायमेंट कार्यालय के बारे में हमारे उपमन्त्री जी ने हमसे कहा कि हर माननीय सदस्य को अधिकार है कि वह वहां जाय और वहां के कार्य-कलापों को देखे और उन्हें सही करने के लिये सरकार को सहयोग दे। मैं प्रत्यक्ष रूप में एक बात मन्त्री जी के सामने रख रहा हूं कि मैंने फतेहपुर जिले के एम्प्लायमेंट कार्यालय में १९ जुलाई, १९६२ को एक प्रार्थना-पत्र दिया था जिसमें लिखा था कि यहां का कार्यालय यद्यपि नाम भेजने का ही जिम्मेदार है, परन्तु वह नाम जिन कार्यालयों से मांगे जाते हैं उनके इशारे पर भेजता है और क्रम तोड़कर नाम भेजे जाते हैं जिसके कारण जिन कर्मचारियों को वास्तव में जगहें मिलनी चाहिये उन्हें नहीं मिल पातीं। उस पत्र पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी जिसके आधार पर मैंने प्रश्न किया है। पर उस पर भी अब तक कोई उत्तर नहीं मिला। इस तरह यह नौकरी दिलाने वाले कार्यालय एक तरीके से बहुत बड़े भ्रष्ट व शोषक सिद्ध हो रहे हैं। अगर इन एम्प्लायमेंट कार्यालयों द्वारा नाम न मांगकर सीधे उन विभागों में प्रार्थना-पत्र मांगे

[श्री रघुवीरसहाय कैथवार]

जायं और वहां ही प्रार्थियों के प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जाय तो आज जो बेकार लोग नौकरी के लिये प्रतिदिन एम्प्लायमेंट कार्यालयों में दौड़ते हैं उन बेचारों का वहां बेकार का दौड़ना तो बन्द हो जावे। अव्वल तो कामशिलाऊ कार्यालयों द्वारा क्रम से नाम नहीं भेजे जाते। दूसरे उनके नाम भेजे जाते हैं जो उनकी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर मन्त्री जी अपने इन कार्यालयों की मनचाही को जानना चाहें तो फतेहपुर जिले का रेकार्ड स्वयं चल कर देख सकते हैं। वहां पर बड़ी मनमानी हो रही है और जो लोग वास्तव में काम पाने व करने की इच्छा रखते हैं और बेकारी की दशा में दौड़-धूप करते हैं उनको काम नहीं मिलता, बल्कि उनको मिलता है जो सम्बन्धित क्लार्क और आफिसर्स के सम्बन्धी होते हैं। जिन विभागों में जगहें होती हैं वहां के अधिकारी, कर्मचारी अपने आदमियों के नाम मंगाकर उन्हें ही रख लेते हैं।

खेतिहर मजदूरों की समस्या बहुत कठिन है, यह तो हमारी जिन्दगी में भी शायद सुलझ नहीं सकती। मैंने देखा है कि आज कल बहुत से गांवों में ४ रुपया महीने में मजदूर काम करता है और अगर वह आवाज उठाता है कि पेट भर खाने को मजदूरी दी जाय तो वे और उनकी स्त्री बच्चे लातों और जूतों के शिकार बन जाते हैं और उन मजदूरों को वह गांव छोड़कर कलक्टर और परगनाधीशों की शरण लेनी पड़ती है।

(लाल बत्ती होने पर)

मुझे दो मिनट और दे दीजिये।

श्री अधिष्ठाता––

दो मिनट अभी आपके हैं। आप बोलना जारी रखिये।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार––

तो मैं यह कह रहा था कि ३ बजे सुबह से ९ बजे रात तक काम करने वाले गांव के मजदूर की दशा बड़ी ही दयनीय है और यद्यपि मैं महसूस करता हूं कि किसानों की हालत भी खराब है क्योंकि पैदावार बढ़ी नहीं और तरह-तरह के टैक्स व बढ़ा लगान उनकी कमर तोड़े देता है फिर भी गांवों में मजदूरी इतनी कम है कि मजदूर बेचारा अपनी परवरिश कतई नहीं कर पाता। मजदूर की मजदूरी १ रुपया और १ रुपये ४० नये पैसे निर्धारित करने की जो बात उपमन्त्री द्वारा कही गई है वह गलत है। पश्चिमी जिलों में भले ही कहीं हो, पूर्वी और मध्यवर्ती जिलों में तो ऐसा है नहीं। मान्यवर, मजदूर इस प्रजातन्त्र में भी नारकीय जीवन बिता रहा है। जहां तक अन्य नौकरियों की बात है उसके सम्बन्ध में केवल रोडवेज को ही मैं इस समय लेना चाहूंगा। रोडवेज में मन्त्री जी द्वारा एक नियम बना लिया गया है कि जो आदमी बेईमान सिद्ध हो जायगा वह विभाग में नहीं रखा जायगा क्योंकि वे विभाग को पवित्र बनाने की बात करते हैं। पूरे प्रान्त की बात तो जानता नहीं हूं लेकिन कानपुर रीजन और फतेहपुर डिपो की बातें मैंने अच्छी तरह से देखी हैं और समझी हैं। कानपुर के ए० जी० एम०. और जी० एम० जिस ड्राइवर व कंडक्टर से माहवारी पैसा नहीं पाते उसके कैरेक्टर रोल में ऐंट्री करते हैं और यहां तक कि टरमिनेट कर देते हैं। अभी एक महीने की बात है। एक ड्राइवर को ८ महीने काम करते हुये उसकी श्योरिटी जमा थी उसकी श्योरिटी को रसीद छीन कर उसे दफ्तर से निकाल दिया गया और बिना पैसे के आज दिन भी उससे काम लिया जा रहा है। तो जिस डिपार्टमेंट में आपने और सरकार ने यह नियम बना दिया है कि वहां बेईमान को नहीं रखना चाहिये वहां के आफिसरों को मनमानी करने कर्मचारियों को हलाल करने का मौका देने के अलावा और कोई तथ्य नहीं है। यही कारण है कि रोडवेज के कंडक्टर व ड्राइवर की ओर से सम्बन्धित मन्त्री जी की दृष्टि फिर जाने के फलस्वरूप रोडवेज श्रमिकों की अधिकतर कमाई अधिकारियों की तोंद में समा रही है और फिर भी बहुतों की रोटी छीनी जा रही है।

श्री अधिष्ठाता---

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार---

दो मिनट और दे दीजिये।

श्री अधिष्ठाता---

नहीं अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)---

मान्यवर, इससे पहले कि मैं और कुछ कहूं। मैं एक शेर आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मेरा ख्याल है कि वह इस सदन के मानोटनस डिबेट से आपको हटाकर रुहानियत की तरफ लायेगा।

"कहते हैं बदलता है अक्सर जमाना,
मर्द वह हैं जो जमाने को बदल देते हैं।"

और अंग्रेजी का भी सुन लीजिये

"Heard melodies are sweet,
Those unheard are sweeter".

श्री अधिष्ठाता---

इसका अर्थ भी कर दीजिये।

श्री प्रेमसिंह---

जी हां, मैंने उसका अन्त कर दिया। अब मैं विभाग पर आ जाता हूं। मैंने दोनों तरफ के आज भाषण सुने और मुझे ऐसा लगता है कि मानों हम सब हाउस आफ कामन्स में या जर्मनी में या फ्रांस में बैठे हैं। यह मुल्क बहुत बड़ी आबादी का है। इस में कल कारखाने लगाकर बहुत थोड़े लोग गुजारा कर सकते हैं। यह कल कारखाने करोड़ों लोगों को बेकार बनाते हैं। मैं एक सुझाव दूंगा और मेरा ख्याल है कि हमारी सरकार उस पर तवज्जह देगी। मेरा कहना यह है कि आप तमाम बड़े कल कारखानों को बन्द कर दीजिये जिससे मिलों के मालिकों और मजदूरों के झगड़े सब समाप्त हो जायं, न रहे बांस न बजे बांसुरी। साथ ही गांधी जी के कहने के अनुसार गृहोद्योग को बढ़ावा दीजिये जिससे करोड़ों लोगों को रोजी मिल सके। मैं गांव वाला जरूर हूं। जमींदारी खत्म होने पर यह खयाल किया गया था कि दूध की नदियां बहने लगेंगी, मगर आज भी मजदूर अपने वही हाल में है, वही उसके फटे कपड़े हैं, वही उसकी खराब हालत है। अब मैं कुछ अंग्रेजी में सुना दूं कई सदस्य---हिन्दी में कहिये।

श्री प्रेमसिंह---

मैं हिन्दी कर दूंगा---

Is it the truth, is it fair to all concerned, will it build good will and better friendship, will it be beneficial to all concerned ?

मैं समझता हूं उसकी हिन्दी आप समझ गये होंगे, काफी पढ़े-लिखे हैं। हिन्दी करने की जरूरत नहीं है।

अब मैं अपने क्षेत्र के विषय पर आता हूं। जब मैं जाता हूं, मुझसे लोग पूछते हैं कि हमने आपको इसलिये चुन कर भेजा है कि वहां जाकर टैक्स लगाओ। मैं कहता हूं इमरजेंसी है, दे दो, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अगर हम चीन के गुलाम हो गये तो यह कैसे देंगे। तो इमरजेंसी के नाम पर उनको शांत कर देता हूं।

इमरजेंसी के मौके पर हमारी सीमाओं पर गधे कितना काम करते हैं, कितना रसद पहुंचाते हैं, मगर मुझे दुख है कि पशुपालन विभाग के अनुदान के समय मन्त्री जी ने उनके बारे में कुछ नहीं कहा। (हंसी)

श्री गंगाप्रसाद (जिमा गोंडा)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो डिप्टी मिनिस्टर साहब ने अनुदान पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज एक तरफ चीन से लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ देश में सरमायादार जब अपने कारखानों को बन्द करते हैं, तो ऐसे वक्त में, जब कि डिफेंस आफ इंडिया ऐक्ट लागू है, आप उन्हें जेल के हवाले क्यों नहीं करते? हम चाहते हैं कि उत्पादन बढ़े, देश की गरीबी दूर हो, मजदूर वर्ग खुशहाल हो, लेकिन हम आप के माध्यम से डिप्टी मिनिस्टर साहब से कहना चाहते हैं कि हमें ऐसी आशा थी कि जब वे इस कुर्सी पर बैठेंगे तो उनके साथ न्याय करेंगे क्योंकि वे उनके नेता रहे हैं। लेकिन कुर्सी का जो प्रभाव होता है, वह उन पर भी हुआ और उन्होंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। आज जो समाजवाद लाना चाहते हैं, फासिज्म ला रहे हैं। आज मजदूरों के फायदे की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के भाई यूसुफ साहब हालांकि मजदूर नेता हैं, मगर उनका देहात से कोई ताल्लुक नही है। उनके बहुत से साथी देहात से चुन कर आये हैं। देहात की हालत के बारे में मैं आपसे क्या कहूं। जैसा पहले सामन्तशाही का राज्य था, जमींदारों का राज्य था, गरीब लाठी के जोर से लूटा जाता था, ३–४ आना मजदूरी देकर उनसे काम कराया जाता था, वही हालत आज भी देहात की है। हालांकि सरकार और मन्त्री जी कहते हैं कि वहां पर मजदूरों को एक रुपया या डेढ़ रुपया मजदूरी मिलती है। लेकिन कहां मिलती है? केवल सरकारी कागजों में मिलती है। जो सरकारी कृषि फार्मों में रोजाना की मजदूरी पर मजदूर रखे जाते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा एक रुपया दिया जाता है डेढ़ नहीं दिया जाता। अगर अठारह आना दिये जाते हैं तो दो आना फार्म वाला ले लेता है, उस बेचारे मजदूर को तो वही एक रुपया मिल पाता है, दो आना कमीशन में चला जाता है। जिसके पास २०–२५ बीघा खेती है उसकी तो हालत बहुत ही खराब है। बहुत-से मजदूर तो फाका करते हैं। ८-१० रुपया और ज्यादा से ज्यादा १५ रुपये माहवार उनको दिया जाता है। लेकिन माननीय मन्त्री जी इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। माननीय मन्त्री जी ने बताया कि हरिजन कल्याण और नियोजन के जरिये से उन लोगों की भलाई की जा रही है। लेकिन उसमें आप देते ही कितना रुपया हैं? ज्यादा से ज्यादा १०-१५ हजार रुपया मकान बनाने के लिये देते हैं, जो अगर उसके फूस में आग लग जाती है तो वह उसके लिये भी पूरा नहीं पड़ता है। सरकार शहरों के मजदूरों की ओर तो इसलिये ध्यान देती है कि उसे डर है कि कहीं वे हड़ताल न कर दें लेकिन गांवों के गरीब मजदूरों की ओर सरकार ध्यान नहीं देती है। जो झोपड़ी में रहता है वह आधा पेट खाकर सो जाता है और फिर भी उत्पादन को बढ़ाने की जी जान से कोशिश करता है।

खेतिहर मजदूरों के लिये मन्त्री जी बोर्ड बैठायें जो उनकी दशा की जांच करें और जो कुछ वह रिपोर्ट दे उसी के अनुसार सरकार करे तो ज्यादा अच्छा होगा। माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी का जो एवार्ड हुआ वह भी शहरों के मजदूरों के लिये ही हुआ, गांवों के मजदूरों के लिये वह भी नहीं हुआ। आपने खेतिहर मजदूरों के लिये कौन-सी कमेटी बैठाई? जिले में सिर्फ एक लेबर इंसपेक्टर होता है जिसके पास केवल एक क्लर्क और एक चपरासी होता है वह किस प्रकार से इतने काम को सम्भाल सकता है? गांव-गांव जाकर किस प्रकार से मजदूरों की हालत को देख सकता है? वहां की हालत तो ऐसी है कि बाबा कर्जा लेता है लेकिन नाती भी उसी कर्ज के एवज में हलवाही कर रहा है और उसका वह कर्जा पूरा नहीं होता न पूरा होने की आशा ही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मजदूरों की एक सहकारी समिति बनायी जाय और उन के कर्ज को समाप्त करने का प्रयत्न किया जाय ताकि वे लोग भी इस स्वराज्य और प्रजातन्त्र का लाभ उठा सकें और वे भी यह समझ सकें कि यह सरकार उनके लिये भी कुछ कर रही है।

आज इस प्रदेश में लगभग एक करोड़ खेतिहर मजदूरों की संख्या है और इतनी संख्या के होते हुये भी उनकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। उनकी हालत को सुधारने

[श्री गंगाप्रसाद]

के लिये आज कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि उनकी हालत में सुधार करें। श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं अपने जिले की एक छोटी-सी कहानी सुनाना चाहता हूं। एक गांव के दो भाई नौकर थे जिनमें से एक तो देहात में नौकर था और दूसरा वहीं नवाबगंज शुगर मिल में नौकर था। एक को तो १५ रुपये तनख्वाह मिलती थी और दूसरे को ६२ रुपये तनख्वाह मिलती थी। जब वे दोनों अपनी-अपनी तनख्वाह लेकर घर गये तो उन दोनों भाइयों की बीबियों में इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया कि मेरा घर वाला ज्यादा कमाता है और दूसरे का कम और इस झगड़े को लेकर दोनों भाइयों में बटवारा हो गया। तो इस तरह की बातों से बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है, इसलिये इस फर्क को माननीय मन्त्री जी मिटाने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया।

*श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, श्रमिकों की दो पंक्तियां हैं, एक शहरी और दूसरी ग्रामीण। आज तक सरकार का ध्यान केवल कारखाने में लगे हुये श्रमिकों के सम्बन्ध में ही कार्य करने की तरफ गया है। वास्तव में सरकार की नियत केन्द्रीयकरण की ओर ले जाने की है क्योंकि जहां पर जबरदस्त पूंजी लगी हुई है शहरों में वहीं पर गांवों में सामन्तवादियों की पूंजी भी लगी हुई है और उनके साथ सरकार एक खासा गठबन्धन करके श्रमिकों को अन्धकार में डाले हुये है, चाहे वे शहर के रहने वाले हों, चाहे गांव के रहने वाले हों। मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं कि शहर के श्रमिक जितने दिनों तक अपने कारखाने में काम करते हैं उतने दिनों तक वे चाहे जितने अच्छे क्वार्टर में बस लें लेकिन जैसे ही वहां से हटे, या निकाले गये, फिर जहां के तहां ही हैं।

अधिष्ठाता महोदय, एक जिम्मेदार कर्मचारी मुझसे यह कहने लगे कि जब तक हम सरकारी नौकरी में हैं तब तक चाहे जो कुछ ठाट-बाट कर लें लेकिन उसके बाद अन्त में हमें तो गांव में ही रहना है जब कि मेरे पास एक बिस्वा जमीन भी नहीं है, तो उस समय मेरी क्या हालत होगी। इस तरह से श्रीमन्, सरकारी नौकरों के दिमाग तक में यह बात है कि गांवों में रहने के लिये उन्हें कुछ साधन चाहिये। यह सोचने की बात है कि उसकी क्या स्थिति होगी जिसके पास गांव में रहने के लिये कोई भी साधन न हो। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े प्रस्तुत करता हूं जिससे अन्दाजा लग सकेगा कि कितनी भ्रमपूर्ण मांग हमारे सामने पेश की जाती है। सन् १९६२–६३ में विभाग द्वारा एक मद के लिये मांग की गयी ४८ हजार रुपये की लेकिन खर्च हुआ केवल १८ हजार रुपये, और आज भी उसके लिये ५० हजार रुपया मांगा जा रहा है। एक दूसरे मद के लिये १०,२०० रुपये की मांग की गयी थी लेकिन केवल ५ हजार रुपये ही खर्च किया गया और आज उसके लिये मांगा जा रहा है ९२ हजार रुपया इसी तरीके से सभी आंकड़ों को देखने से यह पता चलता है कि दिखावे के लिये मांग की जाती है और वह पूरी रकम खर्च नहीं हो पाती है।

मैं आपका ध्यान, ग्रामीण श्रमिकों की ओर ले जाना चाहता हूं। आज १५ वर्ष के बाद भी ग्रामीण श्रमिकों की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। वे १० हाथ लम्बी चौड़ी छोटी-सी कोठरी में ३–४ और ६–६ प्राणियों के साथ रहते हैं। उनके अगवाड़े-पिछवाड़े खेती होती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनके निकलने के रास्ते बन्द हैं इसकी और सरकार का कोई ध्यान नहीं है । मैंने सरकार के सामने पिछले साल भी कहा था और अब भी कह रहा हूं कि सरकार को चाहिये कि वह हर गांव का सर्वे कराये इस ढंग से कि एक ही तरह का पेशा करनेवाले कितने व्यक्ति उस गांव में रहते हैं । स्थानीय समस्याओं को सुलझाने के लिये सरकार की तरफ से जो मशीनरी काम कर रही है वह अगर ठीक से काम करे तो उन स्थानीय समस्याओं को सुलझाने के लिये गांव में ही साधन उपलब्ध करा सकती है और उस के बाद बाहर से तो उसे थोड़े से ही साधन जुटाने पड़ेंगे । मैं अपने क्षेत्र की गांवों की समस्यायें रख रहा हूं, हमारे क्षेत्र में रचनात्मक कार्य करने के स्थान हैं जहां से अधिक लोगों को काम दिया जा सकता है, बेकारी दूर की जा सकती है और श्रमिकों में जो काम करने की शक्ति छिपी पड़ी है उसको उभार कर उत्पादन बढ़ा देने का पूरा मौका दिया जा सकता है, उन के पास जो शक्ति है, जो श्रम है उस को पकड़ने और उपयोग में लाने के लिये वहां कोई साधन नहीं हैं ऐसा मैं स्वीकार करता हूं । सरकार की इस श्रमिकों के प्रति उपेक्षित नीति के कारण श्रमिकों में भी श्रम के चुराने की ओर एक विद्रोहात्मक भावना पैदा हो रही है और इस के कारण समाज के विरोधी तत्व उठने को तत्पर हैं । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय नरसिंह नारायण पांडेय. . . .

श्री अधिष्ठाता---

इतना आप ध्यान रखें कि समय थोड़ा है, ५,५ मिनट ही में अब बूंगा ।

श्री कृष्णानन्द राय---

अभी तो मैं आरम्भ ही किये हूं . . . . .

श्री अधिष्ठाता---

पहले इसलिये कह दिया कि आप शुरू से ख्याल रखें और थोड़ा समय ही लें ।

श्री कृष्णानन्द राय---

२ मिनट तो आप ही ने लिये, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया । मैं यह कह रहा था कि पांडेय जी ने अपने भाषण में कहा कि श्रम के बजट के सम्बन्ध में जो विचार यहां व्यक्त किये गये उन भाषणों में उन्हें किसी तरफ का भाषण अच्छा नहीं लगा । जहां तक इधर के भाषणों की बात है उनका उन्हें अच्छा न लगना तो स्वाभाविक है लेकिन विरोधी दल के भाषण भी उनको अच्छे नहीं लगे यह उनकी एक उच्च ईमानदारी की स्थिति है । वैसे माननीय ऊदल तथा श्री यूसुफ ने जिस लहजे में सरकार की श्रम नीति की आलोचना की वह आज कल के समय के अनुकूल नहीं थी । आज देश एक विषम परिस्थिति से गुजर रहा है और जहां इस बात की जरूरत है कि देश की हजारों मील की सीमा पर एक सुसज्जित फौज रखी जाय वहां इस बात की भी जरूरत है कि कल कारखाना और खेतों में काम करने वाले श्रमिकों का मनोबल ऊंचा रहे, उन में काम करने की लगन पैदा हो जिससे कि कारखानों और खेतों के उत्पादन में कोई कमी न आने पाये और उत्पादन अधिक बढ़े । हमें श्रमिकों को ऐसे वातावरण में रखना चाहिये कि उन की काम करने की क्षमता बढ़े, प्रेरणा मिले । मैं समझता हूं कि सरकार की श्रम नीति बिलकुल ऐसी निष्फल नहीं रही कि एक वाक्य में न उसकी यह आलोचना कर दी जाय कि वह पूंजीपतियों की एक धरोहर सी हो गई है । माननीय उग्रसेन जी ने इशारा किया अन्य दिशा में परिवर्तित करना पड़ेगा । लेकिन श्रमिक और उनके नेताओं और सरकार को बधाई देता हूं कि सितम्बर १९६२ में चीन ने भारत पर आक्रमण किया और दो महीने के अन्दर दिल्ली, लखनऊ तथा अन्य प्रदेशों की राजधानी में एक इंडस्ट्रियल ट्रूस का रिजोल्यूशन स्वीकृत हुआ और जो बहुत कामयाबी से चलाया जा रहा है जिसमें कल कारखानेदारों पर भी उचित डिसिपलिन बरता जा रहा है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कृष्णानन्द राय]

कि वे श्रमिकों के साथ उत्पादन के नाम पर अन्याय न करें और श्रमिक भी कोई ऐसा काम न करें जिससे देश के उत्पादन में कमी आये । १९५३ में ६९,५२२ श्रमिक हड़तालों में शामिल हुये थे । १९६२ में ३३,३२९ श्रमिकों ने उत्तर प्रदेश में हड़ताल में हिस्सा लिया । यह आंकड़े श्रम नीति की सफलता के द्योतक कहे जा सकतें हैं । समझौते द्वारा १९५७ में ६८७ और १९६२ में ८८७ मामले एग्रीमेंट के माध्यम से तय कराये गये और जिन केसेज में समझौता नहीं कराया जा सका वह १९५९ में ४३ प्रतिशत थे जो १९६१ में घटकर ३८ प्रतिशत रह गया । तो आंकड़े सिद्ध करते हैं कि सरकार ने कंसीलियेशन बोर्ड, लेबर ट्रिब्यूनल और वर्किंग काउन्सिल के माध्यम से और बहत सी एजेन्सीज को खड़ा करके इस प्रकार का वातावरण तैयार किया है जिससे इंडस्ट्रियलरिलेशन्स में सुधार हो सके। माननीय युसूफ जी ने भी धमकी दी कि यदि हालत सुधारी नहीं जायगी तो विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो जायगी । वह जानते हैं योजना और युद्ध के वातावरण में सभी देशों में किस प्रकार से काम किया गया है । मैं एक दिन कम्युनिस्ट प्लानिंग की किताब पढ़ रहा था, चाहे रूस हो या चीन हो हर तीन पृष्ट के बाद वार इंडस्ट्रीज, वार इकोनामी फोर्स्ड लेबर आदि शब्द देखें । ऐसा मालूम देता था कि ईश्वर का निष्कासन करके अब केवल वार शब्द ही रह गया जो हर समस्या का समाधान कर सकता है । ८० लाख फोर्स्ड लेबर चीन में है जिसके माध्यम से योजना चलायी जा रही है । मैं इन आंकड़ों को इसलिये नहीं रख रहा हूं कि भारत को इनकी नकल करनी चाहिये बल्कि युसूफ साहब को बताना चाहता हूं कि किन परिस्थितियों से श्रमिक वर्ग गुजरा है और अपने देश की परिस्थितियों को देखते हुये जिनसे देश गुजर रहा है उसको इतना खराब नहीं कहा जा सकता जितना माननीय यूसुफ साहब समझते हैं ।

एम्पलायमेंट एक्सचेंज के बार में बहुत कम विवाद हुआ, हालांकि वह भी इस अनुदान में है । कहा गया कि एम्पलायमेंट एक्सचेंज भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुये हैं । आजकल जो व्यवस्था है यदि एक बार भी ऐम्पलायमेंट के कार्यालय में माननीय सदस्य जाते तो देखते कि थोड़ा-सा नियमों में परिवर्तन हुआ है जो काफी सुविधाजनक है । उपमंत्री जी ने कहा कि खेतिहर श्रमिकों का प्रश्न उनके विभाग के अन्तर्गत नहीं आ ता। यदि ऐसा हो तो वह अपनी ग्रान्ट को लेबर और एम्पलायमेंट न कह कर इंडस्ट्रीयल और लेबर कर देते तो अच्छा होता । सरकार से मेरी शिकायत खेतिहर मजदूरों के बारे में है । बोनस के प्रश्न, वेज बोर्ड के निर्णय सभी कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद के औद्योगिक श्रमिकों के लिये ही बनाये गये हैं और लाखों मजदूर जो प्रदेश में हैं उनके बारे में सरकार क्या नीति अपना रही है ?

(इस समय ३ बजकर ३७ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

हमारे गाजीपुर जिले में १ लाख खेतिहर श्रमिक हैं। एक चीज की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में रोजगार की स्थिति बड़ी भयानक है । प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद ६ लाख व्यक्ति यहां पर बेकार थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद वह संख्या १६ लाख तक पहुंच गयी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में वह संख्या ३०, ३१ लाख तक पहुंचने जा रही है । यह बहुत ही भयानक स्थिति है । इसका भी मुकाबला करना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं ।

*श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । इस राष्ट्रीय संकट के काल में यह आवश्यक है कि हमारे देश में और प्रदेश में उत्पादन की वृद्धि हो, चाहे वह कारखाने का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो। लेकिन उत्पादन बढ़ाने वाले जो मजदूर हैं उत्पादन की वृद्धि के लिये यह भी आवश्यक है कि उनको हर प्रकार की सुविधा दी जाय । उनमें लगन, उत्साह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तथा त्याग की भावना पैदा करने के लिये जहां यह आवश्यक है कि उनके वेतन में वृद्धि हो वहां यह भी आवश्यक है कि उनके आवास की समस्याओं को अच्छी प्रकार से सुलझाया जाय । हमारे प्रान्त में मजदूरों की आवास समस्या सुलझाने के लिये कितनी ही औद्योगिक बस्तियां बनाई गयी हैं लेकिन उन औद्योगिक बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिये किराया १५ रुपये रखा गया है । हमारी सरकार यह महसूस करती है कि जो मजदूर ४५ और ५० रुपये वेतन पाता है वह १५ रुपये किराया देकर उन औद्योगिक बस्तियों में रह सकता है ? मैं समझता हूं कि उन औद्योगिक बस्तियों में वह कभी नहीं रह सकता । आगरे की एक लेबर कालोनी है जिसमें कि १,४४४ क्वार्टर्स हैं लेकिन उस लेबर कालोनी में रहने वाले शायद २, ४ ही लेबर होंगे बाकी दूकानदार, बैंक में काम करने वाले और अच्छा वेतन पाने वाले लोग रहते हैं । इसलिये लेबर कालोनीज का किराया कम से कम रखा जाय जिससे कि मजदूर उन क्वार्टर्स में रह सकें ।

इसके साथ-साथ जिन क्षेत्रों में औद्योगिक कालोनीज नहीं बनी हैं और मालिकों ने मजदूरों के रहने के निवास स्थान बनाये हैं उनकी ओर भी मंत्री जी का ध्यान जाना आवश्यक है । हमारे यहां जान्स मिल एरिया में हजारों मजदूर रहते हैं । उनके लिये जो निवास स्थान हैं उनमें न बिजली है, न पानी की व्यवस्था है, न शिक्षा तथा स्वास्थ्य के लिये व्यवस्था है ऐसे गन्दे स्थानों पर रहने वाले लेबर से क्या हम यह उम्मीद करते हैं कि वह लगन के साथ, स्वस्थ्य रह कर उत्पादन वृद्धि में सहयोग दे सकता है । मैं समझता हूं कि नहीं दे सकता । मंत्री जी को इस प्रकार का दबाव मिल मालिकों पर डालना चाहिये ताकि उन निवास स्थानों में वे सुधार करें ।

इसके साथ एक सुझाव और है कि ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां कि महिला और पुरुष दोनों ही काम करते हैं। महिलायें जब चली जाती हैं तो ऐसे क्षेत्रों में शिशु केन्द्र खोले जाने चाहिये जहां कि महिलायें शिशुओं को छोड़कर चली जांय और उनकी देख-रेख शिशु केन्द्र में होती रहे और जहां वह बच्चा अपनी उन्नति कर सके। नहीं तो यही होता है कि वह शिशु मजदूरों के साथ उन क्षेत्रों में जाता है और धूल-धूसर में डला रहता है । तो शिशु केन्द्र खोलने की आवश्यकता है।

इसके साथ साथ-एक बात मुझको यह कहनी है कि दुकान कानून में परिवर्तन होने की आवश्यकता है। आज हमारे प्रदेश में सबेरे ८ बजे से बाजार खुलता है और रात्रि को १० बजे तक खुला रहता है । हमारे प्रदेश से लगे हुये दिल्ली प्रदेश में बाजार ९ बजे खुल कर शाम को ७ बजे बन्द हो जाता है । हमारे प्रदेश में भी यही समय लागू होना चाहिये ताकि दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों को सुविधा हो । यह मांग हमारे प्रदेश में दुकान कर्मचारी ही नहीं बल्कि दुकान मालिक भी उठा रहे हैं और मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे और कानून में आवश्यक परिवर्तन करेंगे ।

इसके अलावा केन्द्र की स्वर्ण कंट्रोल नीति के कारण हमारे प्रदेश में हजारों मजदूर बेकार हो गये हैं । आगरे में फीरोजाबाद एक तहसील है जहां चूड़ी का काम होता है । वहां मिलों का काम बन्द होने के कारण दस हजार मजदूर आज बेकार हो गये हैं और उनके सामने रोटी की समस्या उठ खड़ी हुई है । तो जो मजदूर स्वर्ण कंट्रोल नीति के कारण बेकार हुये हैं उनके लिये श्रम विभाग को एक सम्मेलन आयोजित कराना चाहिये जैसा कि महाराष्ट्र और बंगाल की सरकारें कर रही हैं उसमें स्वर्णकार और उन मजदूरों के बारे में जो आज बेकार हो गये हैं विचार करना चाहिये । यदि फीरोजाबाद के मजदूरों की समस्या हल नहीं की गयी तो उनके द्वारा अराजकता भी फैल सकती है और अन्य कठिनाइयां भी उत्पन्न हो सकती हैं ।

इसके बाद मुझे यह कहना है कि महंगाई दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है । इस साल केन्द्र ने २ अरब ७५ करोड़ के टैक्स लगाये हैं और हमारी सरकार भी टैक्स लगाने का विचार कर रही है । इन टैक्सों से महंगाई बढ़ेगी और लोगों की क्रय शक्ति कम होगी । जब मजदूरों का वेतन नहीं बढ़ेगा तो उनकी क्रय-शक्ति कम होती चली जायगी और उनके अन्दर असन्तोष फैलेगा और धीरे-धीरे वह असन्तोष विस्फोटक स्थिति पैदा करने में सहायक होगा जिससे हमारे

[श्री बालोजी अग्रवाल]

उत्पादन में कमी आयेगी । इसलिये सरकार को चाहिये कि जैसे-जैसे महंगाई बढ़े वैसे-वैसे मजदूरों के वेतन में वृद्धि भी हो । इसके लिये उसे मिल मालिकों पर यह दबाव देना चाहिये कि महंगाई के अनुसार उनके वेतन में वे वृद्धि करें । आज मिल मालिक इस राष्ट्रीय संकट के समय अधिकाधिक मुनाफा कमा रहे हैं । उन्होंने न राष्ट्रीय सुरक्षा निधि में योगदान दिया है व किसी और प्रकार से सरकार को सहयोग दिया है और मजदूरों को सरकार भी मानती है कि उ होंने अधिक से अधिक राष्ट्रीय सुरक्षा निधि में सहयोग दिया और उत्पादन में वृद्धि करने के लिये ८ घंटे से अधिक काम करने के लिये आगे आये हैं । उनके वेतन में वृद्धि करने के लिये स कार को मिलमालिकों पर दबाव डालना चाहिये ।

यही कुछ सुझाव हैं जो मैं सरकार को देना चाहता था ।

*श्री वैजनाथ पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम आपके बहुत आभारी हैं कि हमें अपने श्रम मंत्री जी के अनुदान के समर्थन में बोलने का अवसर मिला है । मुझे खुशी है कि यह विभाग उनके हाथ में है। वह अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से और साथ ही उनका कार्य क्षेत्र ऐसा रहा है कि उनकी हमेशा गरीबों और मजदूरों से सहानुभूति रही है । इस अनुदान का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे विरोधी दल के लोगों में यह भावना धीरे-धीरे तीव्र होती जाती है कि कटौती के प्रस्ताव लाये जायं । जो लोग कटौती के प्रस्ताव लाकर सरकार की नीति की सही आलोचना करते हैं उनका मैं स्वागत करता हूं । इस वर्ग की ओर सबकी सहानुभूति होनी चाहिये, चाहे वे देहात में काम करते हों या मिल में काम करते हों ।

जैसा कि माननीय हरीसिंह जी ने कहा कि गांव के मजदूरों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। मैं भी इससे सहमत हूं । मुझे उनके बीच में रहने और काम करने का मौका मिला है । उनको कोई भी राहत नहीं मिलती है । आज भी वे डंडे के जोर से काम पर लगाये जाते हैं । उनके पास न दवा-दारू का इंतजाम है, न साधन हैं और न गुजर बसर करने के कोई जराये हैं । आज भी जब कटाई का समय आता है तो जैसे पहले बेगार में बुलाये जाते थे वैसे ही आज भी जो साधन सम्पन्न हैं उनके द्वारा बुला लिये जाते हैं और उनको तीन पाव या सेर भर अनाज से ज्यादा मजदूरी नहीं मिलती है । हमारी सरकार को ऐसा इंतजाम करना चाहिये कि उनकी कम से कम मजदूरी निर्धारित कर दी जाय और एक रुपया रोज या डेढ़ रुपया रोज मजदूरी निश्चित कर दी जाय । आज शहरों के मजदूरों की ओर ही सरकार का ध्यान है। बड़े-बड़े शहरों में देहात के ही मजदूर काम करते हैं । मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि देहात के मजदूरों की ओर ध्यान दिया जाय और उनके कल्याण की बात सोची जाय । आज उनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं और सिवाय मजदूरी के वे और कोई काम भी नहीं कर सकते हैं । गांव समाज की जमीन भूमिहीनों को मिलनी चाहिये लेकिन उनको इसमें भी कोई राहत नहीं मिलती है । ऐसी सूरत में उनकी मजदूरी की एक लिमिट बांध दी जाय । कम से कम एक रुपया रोज की मजदूरी होनी चाहिये ।

मैं आपके द्वारा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने विभाग द्वारा ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने की कोशिश करें। जैसे शहरों में क्वार्टरों का प्रबन्ध किया गया है उसी प्रकार से देहातों में मजदूरों की कालोनी बसायी जाय। दूसरे उनकी कालोनी हो या बस्ती हो, उसमें स्कूल का भी प्रबन्ध किया जाय । आज विभाग द्वारा उनके बच्चों की पढ़ाई के लिये कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है । जब कि वह साधनहीन हैं, अपने पेट के लिये मुहताज हैं तो वह अपने बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं ? हमारी यही प्रार्थना है और मुझे विश्वास है कि हमारे श्रममंत्री जी इस पर ध्यान देंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*कुंवर श्रीपालसिंह—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि एक चीज तो छोड़ देते । अगर छोड़ देता तो शायद वह नाखुश हो जाते इसलिये कहना जरूरी है । वास्तव में मैं इस अनुदान पर बोलने के लिये तैयार नहीं था । मगर मुझे प्रेरणा मिली माननीय यूसुफ जी से, जब यूसुफ जी ने यह कहा कि कानपुर में एक विस्फोटक स्थिति पैदा हो गयी है और हो सकता है कि आप को गोलियां चलानी पड़ें और आपकी सुरक्षा सब धरी की धरी रह जाय । इस बात के ऊपर मुझे जरूर प्रेरणा मिली कि मैं कुछ निवेदन करूं । जहां तक मैं समझ पाया हूं यूसुफ साहब की यही टेकनीक ही है कि चाहे वह युद्ध क्षेत्र हो या प्रचार क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, पहले लड़ाई की बात करो, फिर अपने आप लड़ाई से खिसक जाओ, उसके बाद यह दिखाओ कि हमसे लड़ाई करने से कोई वास्ता नहीं, जो लड़ाई कर रहा है वह गलत था । इस टेकनिक का इस्तेमाल दो जगह तो देखने में आया ही है रूस के साथ और भारत के साथ । भारत के साथ यह टेक्नीक युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल हुई और रूस के साथ प्रचार क्षेत्र में इस्तेमाल हुई । रूस को कहा गया कि तुम स्टैलिनवाद के खिलाफ कह रहे हो और पूंजीपतियों के पिछलग्गू हो गये हो और अब कहा जा रहा है कि सुलह की बात करो । वैसे ही पहले भारत पर आक्रमण कर दिया, उसके बाद अपने आप खिसक गये, और अब कहते हैं कि सुलह की बात करो । उसी प्रकार से माननीय यूसुफ जी कानपुर में अपनी नीति के अनुसार पहले मजदूरों को भड़काते हैं कि आगे जाओ, फिर पीछे खिसक जाते हैं फिर मिल मालिकों से कहते हैं कि सुलह करो । उसका प्रमाण यह है जैसा कि कांग्रेस के एक माननीय सदस्य ने बताया कि मजदूरों में उत्तेजना फैलाने के लिये जिन्दा आदमी को मुर्दा बना दिया, उसको कपड़े में लपेट कर उसको अर्थी बना दी । मुर्दे को जिन्दा और जिन्दा को मुर्दा बनाने में वह बहुत माहिर हैं । कानपुर में जिन्दा आदमी को मुर्दा बना दिया । इसलिये थोड़ी सी प्रेरणा मिली की जरूर कुछ निवेदन करूं । लेकिन मैं माननीय यूसुफ से यह जरूर निवेदन करूंगा कि हिन्दुस्तान का मजदूर मार्क्स की परम्परा वाला मजदूर नहीं है । मार्क्स की परम्परा वाला मजदूर गुलामी से आया हुआ है । मगर हिन्दुस्तान का मजदूर माननीय यूसुफ की तरह से पूंजीवाद के गढ़ में से आया हुआ है । कम्युनिस्ट मानते हैं कि पूंजी वाद का गढ़ किसान है । हिन्दुस्तान का मजदूर किसान है । किसान जब किसानी से अपना भरण-पोषण नहीं कर पाता है तो वह मजदूरी करने जाता है । अमेरिकन राइटर मार्गन ने एक पुस्तक लिखी है जिससे प्रेरणा मिली मार्क्स और एंजिल्स को । अमेरिका में इरीकुआ जाति के रहन सहन के आधार पर मार्गन की प्राचीन समाज 'ऐन्शेंट सोसाइटी' नाम की पुस्तक से उन्होंने यह विचारधारा ली थी । तो इनकी साम्यवाद या समाजवाद की आधारशिला जो है वह वही है अमेरिका की और उसके अलावा कुछ थोड़ा सा इन्होंने लिया था यूनान से, ईजिप्ट से, वहां के गुलामों को देखकर, उनके ऊपर जो कुछ भी साहित्य था उससे कि मजदूर जो है उस गुलाम से आया है लिहाजा उसके पास में न अपनी सम्पत्ति है, न अपना परिवार है, केवल श्रम ही श्रम उसका सब कुछ है और उसी आधार पर उन्होंने एक तमाशा खड़ा कर दिया । मगर यहां तमाशा खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि यहां का मजदूर घरवाला है, उसके पास घर है, परिवार है, वह अपने लिये और अधिक कमाने के लिये कार्य करता है और कार्य करके अधिक कमाता है । इसके माने यह नहीं हैं कि मजदूरों की उन्नति न हो, अवश्य होनी चाहिये । मजदूरों को मिल मालिकों से मजदूरी नहीं बल्कि हिस्सा मिलना चाहिये । मिल मालिक अगर रुपया लगाता है तो उस रुपये के ऊपर उसे कुछ रिटर्न होना चाहिये, यह सही है और जो बौद्धिक मेहनत करता है उसके लिए भी उसे कुछ मिलना चाहिए । यह भी सही बात है । लेकिन साथ ही साथ मजदूर जो कार्य करता है उसके लिये उसे केवल मजदूरी ही नहीं बल्कि मुनाफे में हिस्सा भी मिलना चाहिये, मैं तो यहां तक कहता हूं । लेकिन यह कि उस मजदूर को अपने राजनैतिक प्रचार का एक अड्डा बनाया जाय, यह उचित नहीं है । उसको एक तमाशा बनाकर आगे खड़ा करके हम अपनी राजनीतिक चालों को सिद्ध करें यह बात जब होगी तो वह देश हित के विरुद्ध होगी और इसलिये मैं यह कहता हूं. . . . .

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप जल्दी खत्म कर दें क्योंकि मैं चाहता हूं कि दो-तीन आदमी और दो-दो तीन तीन मिनट बोल लें ।

कुंवर श्रीपालसिंह---

मैं जल्दी ही खत्म कर देता हूं । तो मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि मजदूरों की तरक्की होनी चाहिये । एक चीज और निवेदन करना चाहता था चीनी मिल मजदूरों के बारे में । चीनी मिल मालिकों ने लखनऊ में एक मीटिंग की और उन्होंने यह तय किया कि हमारी चीनी मिलें घाटे पर चल रही हैं । पता नहीं कैसे वह घाटे पर चल रही हैं । अगर घाटा है तो छोड़ दें, सरकार ले लेगी । बाबू गेंदासिंह कई मर्तबा सिद्ध कर चुके हैं कि यह सब घाटा दिखाने के लिये है, घाटा वाटा कुछ नहीं है । तो घाटा दिखलाकर वह चाहते हैं कि मजदूरों को कम्पलसरी छुट्टी दे दी जाय । इसके लिये सरकार के यहां आवेदन आया है तो मैं यह कहूंगा कि सरकार को इन सारी चीजों को देखना चाहिये कि किस तरह मिल मालिक नाजायज नफा उठाना चाहते हैं । जायज नफा उसे जरूर मिलना चाहिये । लेकिन नाजायज नफा सरकार रोके । मजदूरों की मजदूरी बढ़ायी जाय, उन्हें उसमें हिस्सा दिलाया जाय । यहां तक तो सही है लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि चाहे कोई भी दल हो वह अगर मजदूरों को अपने राजनीतिक ध्येय को सिद्ध करने का अस्त्र बनाना चाहता है तो वह देश के साथ विश्वासघात करता है ।

*श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि दस बारह बार की उठक-बैठक के बाद मैं आपकी आई कैच कर सका । मैं प्रस्तुत अनुदान के समर्थन में अपने विचार व्यक्त करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैंने उप मंत्री जी का सारगर्भित भाषण बड़े गौर से सुना । उसके बाद कुछ माननीय सदस्यों के भी भाषण मैंने बड़े गौर से सुने । मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने यह सुना बार बार करीब-करीब सभी माननीय सदस्यों से, सभी ने किसी न किसी प्रकार.....

श्री उपाध्यक्ष---

राजनारायण जी पांच मिनट में समाप्त कर दीजिएगा ।

श्री राजनारायण मिश्र---

अभी तो मैंने शुरू ही किया है ।

श्री उपाध्यक्ष---

इसीलिये मैंने शुरू में ही कह दिया ।

श्री राजनारायण मिश्र---

तो मैं कोशिश करूंगा । लेकिन क्योंकि मैं कानपुर से आया हूं, मुझे आप दो मिनट और दे दें । श्रम नीति के संबंध में मैं केवल चार प्वाइन्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूं । पहला प्वाइन्ट यह है कि आज जो करीब-करीब सभी लोगों ने श्रम नीति की आलोचना की तो हम देखें कि उसकी कुछ वजह है। वह वजह यह है कि नान इम्प्लीमेंटेशन आफ दि लेबर लाज । श्रम कानूनों को मर्यादाओं का पालन हमारी सरकार को जिस ढंग से कराना चाहिए उस ढंग से सरकार नहीं करा पा रही है । उसका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि सरकार ने एक यह तरीका बना दिया है कि श्रमिकों को अगर कोई परेशानी हो तो सरकार के सामने वह शिकायत रखें । सरकार कंसीलिएशन बोर्ड के सामने उसको तय कराती है। फिर अगर सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि न्यायालय को भेजा जाय तो न्यायालय को भेजा जाता है। इस पर जब हम गौर करते हैं तो देखते हैं कि आज प्रदेश के तमाम मजदूरों में यह शिकायत है कि उनके बहुत से मसले सरकार के विचाराधीन हैं और बहुत दिनों से विचाराधीन चले आ रहे हैं और आज तक सरकार ने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कोई निश्चय उन पर नहीं किया है और कोई निर्णय लेने में अभी तक वह असमर्थ रही हैं तथा न न्यायालय में ही उसे भेजा है। इस तरह की व्यवस्था से मजदूरों में बड़ा असंतोष है। जो श्रम कानून हैं, आप देखें कि दिन पर दिन उनका पालन नहीं हो पा रहा है। यदि फैक्टरी ऐक्ट का पालन ढंग से हो, तो बहुत से एक्सीडेन्ट्स न हों। इसलिये इस दुर्व्यवस्था को रोका जाना चाहिये। मैं माननीय श्रम मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब वह अभी उत्तर दें, तो मैं यह भी चाहूंगा कि वह यह भी स्पष्ट कर दें कि पिछले ५ वर्षों में सरकार के पास कितने मामले श्रम और मालिकों के विवादों के आये और जो कि विचाराधीन हैं। उनमें से कितने मामलों में सरकार ने अब तक फैसला ले लिया है और कितने प्रतिशत मामलों को सरकार ने न्यायालय में भेज दिया है।

दूसरी चीज यह है कि जो मामले सरकार के पास विचार के लिये आये, उनमें से सरकार ने कितने मिल मालिकों को जिनके कारखाने की पूंजीगत लागत और हैसियत ५ लाख से अधिक थी, उनको कितने प्रतिशत दंडित किया और कितने प्रतिशत उनको दंडित किया जिनकी लागत ५ लाख से कम थी। इससे यह स्पष्ट हो जायगा कि श्रम कानून की मर्यादाओं का पालन कहां तक किया गया है और उसमें सरकार की नीति कहां तक सफल हो पाई है? जहां तक सरकार के आंकड़ों का ताल्लुक है, हम यह देखते हैं कि सरकार किसी न किसी प्रकार अपने आंकड़ों को हर साल पूरा कर देती है।

तीसरी चीज यह है कि जब तक श्रम कानूनों का समुचित ढंग से पालन नहीं होता है, तब तक एक्सीडेन्ट्स बढ़ते चले जायेंगे। मैं एक उदाहरण आपको वाराणसी में जो साहू जैन केमिकल्स एन्ड फर्टिलाइजर फैक्टरी है, उसका देना चाहता हूं। वहां पर आप देखें कि सन् ६१ से अब तक ५-६ जानें जा चुकी हैं। मैं सरकार से और मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस विषय में अब तक क्या इन्क्वायरी की गई है और सरकार की क्या रिपोर्ट है। अगर इस सदन में माननीय मंत्री जी वह सब बातें अपने उत्तर में बतला दें और उसके कारणों की विवेचना कर दें, तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा एक्सिडेन्ट मुरादाबाद में जो स्पिनिंग मिल है, वहां पर हुआ है। वहां पर लिफ्ट में एक मजदूर काम कर रहा था। वहीं पर ३ और मजदूरों की हत्या हुई है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि यदि फैक्टरी ऐक्ट का ठीक ढंग से पालन होता रहे तो यह सब एक्सीडेन्ट्स न हों। यदि सरकार की श्रम नीति को सफल बनाना है, तो सबसे पहले यह देखना चाहिए कि जो इम्पलीमेन्टेशन आफ लेबर लाज है, वह सही ढंग से होता है या नहीं, यह सरकार को देखना चाहिए। यदि ऐसा हो तो श्रम नीति की आलोचना बहुत कम हो जाय। इस संबंध में मेरा विनम्र निवेदन आशा है कि सरकार अवश्य मानेगी। हम यह देखते हैं कि सरकार जो फिगर्स देती है तो वह एक शिकारी की जैसी बात होती है। जैसे कि एक बार एक सज्जन शिकार से लौट कर आये, तो पूछा गया कि कितना शिकार हुआ, तो कहने लगे कि २०० हिरन मारे और दो सौ खरगोश मारे। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि वह शिकारी हैं, तो क्या कभी उन्होंने शेर और चीता भी मार कर दिखाया है। इसलिये यह मैं जानना चाहूंगा कि ५ लाख से ऊपर कितनी मिलें हैं जिनको कि सजा दी गई है।

अब मैं कुछ न्याय के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। जो न्याय में अड़ंगा लगता है, वह ज्यादातर सरकार की तरफ से ही लगता है। परन्तु ऐसा नहीं होना चाहिये। मैं एक कहावत आपको बता दूं, वह एक कोटेशन है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें और कोटेशन रहने दें।

श्री राजनारायण मिश्र—

श्रीमन्, बहुत संक्षेप में कहूंगा, केवल एक प्वाइन्ट बाकी है।

[श्री राजनारायण मिश्र]

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो समाज अपने किसी तबके को, समुचित न्याय पाने की व्यवस्था नहीं करता और न्याय के मार्ग को अवरुद्ध करता है, वह अपने समाज में विद्रोह का आवाहन करता है। मैं समझता हूं कि सरकार को जहां भी उसके सामने कोई प्रश्न आये, उसको फौरन ला-कोर्ट में भेज देना चाहिये। आपको बता देना चाहता हूं कि इस प्रदेश में १९५० से पहले यह व्यवस्था थी कि मालिकों और मजदूरों के बीच के झगड़े होते थे और जो विवाद होते थे, वह सीधे ला कोर्ट में जाते थे। अब पहले वह सरकार के पास जाते हैं और जब सरकार तय करती है, ला कोर्ट कमिश्नर दफ्तर के बाबुओं के जरिये से, जब उनकी मीटिंग पर तय होता है, कि कौन-सा मामला न्यायालय में जाना चाहिये और कौन-सा नहीं जाना चाहिए, तब उसमें कोई कदम उठाया जाता है। आज सारे के सारे मामलों में लेबर कमिश्नर तय करता है कि कौन-सा मामला न्यायालय में जाना चाहिए .....

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हो गया। अब आप विराजें।

श्री राजनारायण मिश्र—

श्रीमन्, केवल २ मिनट और देने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, अब आप विराजें।

श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप भी जल्दी ३–४ मिनट में खत्म कर दें।

श्री बंशीलाल—

इधर के लोग तो कम बोले हैं। हमें तो ज्यादा समय मिलना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष—

समय की कमी है।

श्री बंशीलाल—

मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज हमारे जिले के साथी पं० बैजनाथ पान्डेय ने अपने विचारों को व्यक्त किया। जहां पर आर्गेनाइज्ड संस्था है शहरों में वहां की बात सब करते हैं लेकिन वहां ध्यान नहीं दिया जाता है जहां खेतिहर मजदूर रहते हैं। कारण यह है कि देहातों में विशेष कर लोग ऐसे हैं जिनसे उन्हें काम लेना पड़ता है। जब से मैं सदन में बैठा, मैं देखता रहा कि मिल मालिकों की स्थिति और जो मिल में काम करते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं उन्हीं की तरफ सदन का लोगों ने ध्यान आकर्षित किया है। मैं तो कहूंगा कि खेतिहर मजदूर की हालत दयनीय होती जा रही है। एक तरफ ट्यूबवेल लग रहे हैं, ट्रैक्टर चल रहे हैं, कुट्टी काटने की मशीनें लग रही हैं और अन्य उद्योगों की मशीनें काम कर रही हैं, लेकिन खेतिहर मजदूर जो लाखों की तादाद में रहता है देहात में उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। आज भी ३–३, ४–४ रुपये महीने पर मजदूर देहात में काम करते हैं और उनसे दिन भर काम कराया जाता है, बेगार स्वरूप काम होता है। न वह अपने स्त्री-बच्चों की दवा-दारू कर सकते हैं और न लड़कों को शिक्षा दे सकते हैं। (लाल बत्ती होने पर) लाल बत्ती देखने से भय होता है। सन् ४७ में सुना था कि स्वर्गीय आचार्य नरेन्द्रदेव जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठी थी जिसमें यह कहा गया था कि खेतिहर मजदूरों की स्थिति पर विचार किया जायगा। लेकिन पता नहीं चल सका कि उस कमेटी में क्या हुआ।

इसके अतिरिक्त एम्पलायमेन्ट एक्सचेंज में हालत यह है, इलाहाबाद की बात है चूंकि उप-मंत्री जी इलाहाबाद के रहने वाले हैं, वह जानते होंगे कि किला वगैरह में और डिपो में भर्ती हो रही हैं वहां जिससे रुपया पा जाते हैं उनका नाम भेज देते हैं । रुपये के बल पर काम होता है । मैं दरख्वास्त करूंगा कि एम्पलायमेन्ट एक्सचेंज की तरफ ध्यान दिया जाय और देश में जो बेकारी खेतिहर मजदूरों की बढ़ रही है उसके सिलसिले में कोई ऐसे नियम और तरीके निकालें जिससे खेतिहर मजदूरों को राहत मिल सके ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हुआ । माननीय शिवचरण जी, आप दो मिनट में ।

*श्री शिवचरण (जिला आगरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, श्री कृष्णानन्दराय जी ने कहा कि सरकार की श्रमिक नीति सफल रही है । मंत्री जी का ध्यान आगरे के जूता उद्योग तथा फिरोजाबाद के चूड़ी के कारखानों की ओर ले जाना चाहता हूं । वहां के मजदूरों की सन् ४३ और ४७ के पहले क्या हालत थी आज वह कितनी गिर चुकी है। मजदूरों की हालत पहले से ज्यादा गिरी है । मजदूर सारे दिन काम करता है और खेतिहर मजदूर को १२ आने और डेढ रुपये तक मिलता है और पूंजीपति का लड़का कहता है कि तुम्हारे भाग्य में मजदूरी करना लिखा है; यह कहां तक सत्य है ?

पूंजी पर कब्जा पूंजीपति का हो गया सारे जीवन का,
है कोई भगवान दूसरा और मजदूरन का ?
भाग बड़ा है दुनियां में तो हमें भगवान होना चाहिये ,
मजदूर कृषक तेरे घर जर जेवर सोना-चांदी होना चाहिए ।

आज सैकड़ों हरिजन परिवार गरमी के दिनों में कुओं पर पानी नहीं भर पाते और पानी के लिये तरस रहे हैं । मैंने उनके बच्चों को देखा है कि वे पानी के लिये तरस रहे हैं ।

अगर मेहनत से पैसा पैदा होता है तो हम हैं मेहनत करने वाले ।
क्या जाड़े क्या ठीक दोपहरी गरमी में मरने वाले ।
मंत्री महोदय शिमला पर सोवें खस की टट्टी में ।
उन्हीं दिनों मजदूर रात दिन मिला रहे मिट्टी में ।

अगर अक्ल से पैसा पैदा होता है तो ड्राइवर जो मोटर चलाता है वह ज्यादा अक्लमन्द है या बैठने वाला ? जो इंजिन को फिट कर गाड़ी चलाता है वह ज्यादा अक्लमन्द है या सिर्फ मजे में बैठकर गद्दी पर अपनी जगह पर जाने वाला ?

अक्ल से पैसा पैदा होता है यों गावै सारी दुनियां ।
जहाज, रेडियो किसने बनाये इंजिन और हरमुनियां ।।
टेलीफोन बनाने वाला अरबपती नहीं हो पायेगा ।
पूंजीपती कर फोन फेंर गद्दों पर नोट जमावेगा ।।
खर्चे से कंगाल है तो मजदूर क्या ज्यादा खर्च करे ।
सूखी रोटी पियाज के गट्टे, दलिया पीकर गुजर करे ।।
बीमारी में घोंट घोंट कर आक धतूरे की दवा करे ।
मंत्री जी बीमार होंय जौ नित इंजेक्शन लगा करे ।।
अरे शिव चरन आज जमाना बोलबाला अमीरन का ।
है वही भगवान और दूसरा कौन गरीबन का ।।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त। श्री संतसिंह यूसुफ, आप १०-१२ मिनट में समाप्त कर दें।

श्री संतसिंह यूसुफ—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो एक साथियों का बहुत आभारी हूं दोनों ही तरफ के जिन्होंने वाटौतो के प्रस्ताव पर अपना सहयोग दिया है। बहुत सी बातें कही गयी हैं और मुझे आशा है कि हमारे मंत्री जी इन पर थोड़ा ध्यान करेंगे। मैं अधिक न कह कर अपने दो एक साथियों की बातों के बारे में कहना चाहता हूं। श्री कृष्णानन्द राय जी को कांग्रेस के बहुत ही समझदार आदमियों में मानता हूं। उन्होंने मेरी बात, मालूम होता है सुनी नहीं। उनको इसी वजह से कुछ गलतफहमी हुई। मैं उनके सामने गुलजारीलाल नन्दा जी के नोट से पढ़ कर सुनाता हूं।

In the discussion, some members are reported to have complained that the employers in most cases were not prepared to submit cases pertaining to discharge, victimisation and retrenchment to arbitration, despite the directive given in the resolution.

A note, circulated to members is also understood to have pointe out that out of 213 cases in the central sphere, between November 1962 and February 1963, only 14 were referred to arbitration and 26 were referred to adjudication after employers had turned down the proposal for arbitration. The note is also reported to have expressed concern over the large number of retrenchment and lay-off cases reported by State Governments.

मैं कृष्णानन्द राय जी से प्रार्थना करूंगा कि जरा गौर से इस पर ध्यान दें। सब केसेज आर्बिट्रेशन में इम्पलायर ने १२१ में १४ ही भेजे, बाकी रिफ्यूज कर दिये गये और १८ केसेज ऐडजुडिकेशन में भेजे गये हैं और उनमें रिट्रेंचमेन्ट और क्लोजर दोनों की रिपोर्ट है सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के पास। अब दोबारा इसको ट्रिपर्टाइट कान्फ्रेन्स बुलाकर भेजने की बात हो रही है यही चीज कानपुर में हो रही है कि मामलों को आर्बीट्रेशन में नहीं भेजा जा रहा है, बल्कि मजदूरों को निकाला जा रहा है। मिल बन्द हो रही है, नाइट शिफ्ट बन्द हो रही हैं, आदमियों को निकाला जा रहा है, न तो संपूर्णानन्द एवार्ड को वे लोग मान रहे हैं, न ट्रिपार्टाइट कान्फ्रेन्स के फैसलों को मानते है, न आर्बीट्रेशन में भेजते हैं, सरकार के डाइरेक्टर्स को नहीं मानते, लेबर डिपार्टमेन्ट की इन्सट्रक्शन्स को नहीं मानते, और उसके बाद भी आप उनको गोदी में बिठाना चाहते हैं, मैं पूछता हूं कि क्या इसी तरह इंडस्ट्रियल पीस रहेगी। मैं नहीं समझता कि वह कैसे रह पायेगी। इसमें दो राय नहीं है कि आज देश की सुरक्षा को मजबूत बनाना मैं कानपुर के बारे में बताना चाहता हूं। वहां पर डिफेन्स के लिये मजदूरों ने ओवरटाइम का किया, सन्डेज को काम किया, लेकिन उसके लिये उनको कोई उत्साह तक नहीं मिला। व चाहे मिल बन्द करें, क्लोजर करें, जो चाहें करें, आप तमाशा देखते रहते हैं। तीन मिलों की मैं बात कहता हूं। मैं दो दिन गया, सम्पूर्णानन्द एवार्ड को लेकर मैंने वहां सैटिलमेन्ट कराने की कोशिश की। आज मजदूरों को ग्रेजुटी वे नहीं दे रहे हैं, एरियर नहीं दे रहे हैं, वेतन नहीं दे रहे हैं और उनसे ज्यादा काम लेने को तैयार है। इसलिये मैंने इन ३ मिलों के बारे में पहले ही लेबर डिपार्टमेन्ट को सजग किया था और कुछ बातें बतायी थीं। परमिट केसेज के बारे में कहा था, ठेकेदारों के जरिये जो भरती हो रही है उसके बारे में कहा था, जो एवार्ड है उसके इम्पलीमेंटेशन के बारे में कहा था। आज आप हृदय परिवर्तन पर जोर दे रहे हैं, उससे काम चलने वाला नहीं है। जो एडवर्ड है उसके इम्पलीमेंटेशन पर जोर दीजिये। आप तो मिनिस्टर है, मिनिस्टर तो कायदे कानून से काम लेते है और आपको कायदे कानून से काम लेना चाहिये, न कि हृदय परिवर्तन से। जो नहीं मानते उनके खिलाफ आप ऐक्शन क्यों क्यों नहीं लेते? मजदूरों ने कोई बात नहीं मानी, उनको सस्पेन्ड कर दिया गया, निकाल दिया गया, लेकिन मिल मालिकों ने बात नहीं मानी, उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। मजदूरों ने

कहा हम डबल वर्क नहीं करेंगे, उनको निकाल दिया गया, नोटिस दे दिया गया, लेकिन मिल मालिकों के खिलाफ कुछ नहीं किया गया। मैं कहता हूं कि इससे मामला नहीं चलेगा।

दूसरी बात है कि आज महंगाई बढ़ रही है। आप उन लोगों से जाकर बातचीत कीजिये। जब सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के टैक्स बढ़ेंगे, आपके टैक्सेज बढ़ेंगे, तो यह जाहिर बात है कि महंगायी बढ़ेगी। आपको उसको कम्पेनसेट करने का कोई तरीका सोचना चाहिये।

तीसरी बात है कि जो आपके लाज हैं, लेबर ला हैं, वेजेज ला है, तथा और भी जो ऐक्ट हैं उनका सही इम्पलीमेंटेशन होना चाहिये, उसके अनुसार कार्यवाही होनी चाहिये। यह आपके सरकारी कारखानों पर क्यों नहीं लागू होते? अगर आप राजा महाराजाओं के चक्कर में पड़ें तो ये अपने को तो बंटाधार करेंगे ही, साथ में आपको भी बंटाधार कर देंगे। उनकी बात अगर मिनिस्टर लोग गौर से सुनेंगे तो यह उनके हाथ में नहीं है। आप कानून के मुताबिक काम कराइये। कानून में सभी के अधिकार सुरक्षित हैं और किसी को शिकायत का मौका नहीं होना चाहिये।

हमारे ५० परसेंट से ज्यादा झगड़े खत्म हो सकते हैं अगर एक इंडस्ट्री में सिर्फ एक यूनियन हो। उसमें बैलट करवाइये और जो मोस्ट रिप्रेजेंटेड यूनियन हो उसे रिकगनाइज कीजिये। चाहे वह आई० एन० टी० यू० सी० हो, या प्रजा सोशलिस्ट हो या सोशलिस्ट हो। इंटर राइवलरी की वजह से ये झगड़े होते हैं। अगर आप यह करेंगे कि फलां नेता बना रहे, तो इस तरह से काम नहीं चलेगा।

निम्बकर कमेटी ने मिनिमम वेज मुकर्रर की थी जो आयरन स्टील में, जूट में, कहीं भी इम्प्लीमेन्ट नहीं होता है और आप कहते हैं कि हमारा सब ठीक है। तो ठीक है, जहां आप चलेंगे, वहां हम भी आपके पीछे-पीछे चलेंगे।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

उपाध्यक्ष जी, मैं बड़ा अनुग्रहीत हूं इस सदन के माननीय सदस्यों का कि उन्होंने इस विभाग द्वारा होने वाले कामों के संबंध में अपना परामर्श हमको दिया। मैं इस बात के लिये भी अनुग्रहीत हूं कि खेतिहर मजदूरों के बारे में बड़ी सद्भावना पूर्वक बात सदन के सभी लोगों ने पेश की।

माननीय, हमारा यह दावा नहीं है कि हमने इस प्रदेश में समाजवादी व्यवस्था कायम कर दी है। सच पूछिये तो अभी मैं कुश्चेव जी की स्पीच पढ़ रहा था जो उन्होंने अपने इलैक्टर्स के सामने दी। रूस साम्यवादी देश है। उसका दावा है कि उसने ऐसी व्यवस्था अपने देश में बनाई जिसका कोई देश मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे उनके विरुद्ध या मुआफिक में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अब की बार उन्होंने अपने यहां लोगों को वायदा किया है कि तुमको ३ सूट तक खरीदने का मौका मिलेगा। एकतंत्रवाद के अधीन चलने वाले रूस का नागरिक ४५ साल के बाद यह सोचता है कि इस वर्ष ३ सूट खरीदने का मौका मिलेगा। तो स्पष्ट है कि पिछले १५ साल में इस प्रदेश की जनता को उठाने का जो काम हमने किया है, और जो कुछ हो सकता था वह उस सीमा पर नहीं पहुचता है जिस पर जाकर समाजवादी व्यवस्था का पूरा स्वरूप उभर आता है। हम उस रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर चलने से पैरों में धूल लगती है, शरीर में पसीना आता है और पसीने से कपड़े गन्दे हो जाते हैं और उसी तरह हम भी इस रास्ते से चलते हुए इन्सान गन्दे दिखाई भी पड़ेंगे। कहीं-कहीं कठिनाइयों से पसीना आता दिखाई देगा लेकिन उसका अर्थ यह नहीं है कि हम वैसे ही रहना चाहते हैं। एक ओर तो हमसे कहा जाता है कि इस तरह के प्रश्नों पर हम राजनीति से उठकर बुनियादी दृष्टिकोण से विचार करें लेकिन दूसरी ओर इस प्रकार की बातें करना, मैं समझता हूं, सदन के साथ न्याय करना नहीं है। कोई साहब कहते हैं कि इस सरकार की कोई श्रम नीति नहीं है, कोई कहते हैं कि पूंजीवादी नीति है। यह मैं पहले भी कह चुका हूं, और आज भी कहना चाहता हूं, कि अगर कोई हमारी श्रम नीति को देखना चाहता है तो मैं उन्हें बताना

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

चाहता हूं कि हमारी श्रम नीति की जड़ कराची कांग्रेस का रिजोल्यूशन है, भारत का संविधान है, इन्डस्ट्रियल ट्रूस के जो रिजोल्यूशन्स हैं, तथा सन् १९४८ से लेकर १९५६ तक जो केन्द्रीय सरकार की इन्डस्ट्रियल पालिसी रिजोल्यूशन है । हमारे प्लान्स में दी गयी। वे सारी बातें हैं, उनके ऊपर हमारी श्रमनीति आधारित है। उन्हें श्रमनीतियों को आधार मान कर हमें कोई बतायें कि हमने कहां कहां गलती की है। अगर इस प्रकार से हमें कोई बताये तो हम उसको मानने के लिये तैयार हैं। लेकिन इस प्रकार से कह देना कि हमारी पूंजीवादी नीति है, श्रमिकों की ओर हम ध्यान नहीं देते, इससे तथ्यों पर पर्दा नहीं पड़ सकता। माननीय उग्रसेन जी ने डालमियां, बिड़ला आदि न जाने कितने पूंजीपतियों के नाम ले दिये। उनके नाम लेने का तरन्नुम तो हमें भी अच्छा लगा। लेकिन उनके नाम लेने से अगर यह मतलब निकलता हो कि हमारी नीति ऐसी है जो पूंजीपति परस्त है तो तथ्य को छिपाया नहीं जा सकता। तथ्य को तो केवल तथ्य से हटाया जा सकता है। यदि हमारी श्रमनीति पूंजीवादी होती तो विभिन्न क्षेत्रों के मजदूरों की जो स्थिति ऊंची हुई है, वह कैसे होती ? आप देखें कि स्वराज्य पाने के पहले उनकी क्या हालत थी और आज क्या है। आज का मजदूर अपने को इंसान समझने लगा है और समझता है कि उसको इंसान के समान ही बरताव पाने का अधिकार है, मालिकों को गलती को बताने का आज उसे पूरा अधिकार है, वह दावा कर सकता है कि मैं भी इस उद्योग का साझीदार हूं। उनकी बातों को सुनने के लिये हमने तरह-तरह के कानून बनाये हैं और उन कानूनों के अन्तर्गत हमने मजदूरों को वे अधिकार दिये हैं और जिस सफाई के साथ हम उन्हें बरतते हैं उसके लिये मिल मालिक लोग अक्सर कहा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में श्रमिकों के कानून बहुत सख्त हैं। इस सदन के माननीय सदस्य जिनको अखिल भारतीय कमेटियों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा उन्होंने मालिकों की ओर से यह अवश्य सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधे इसीलिये पनपते और लगते नहीं हैं कि सरकार की श्रम नीति बहुत सख्त है।

मैं किसी सूबे का नाम नहीं लेता लेकिन यह सत्य है कि हमारा सूबा एक ऐसा सूबा है जहां जो कानून बनता है, जो नियम बनाता है, उनको पालन कराने का, उनकी मर्यादाओं को रखवाने का प्रयत्न किया जाता है और यहां के उद्योगपति भी जानते हैं कि सूबे में कानून की अवहेलना नहीं हो सकती। बार बार जब हम किसी कारण से किसी कारखाने के कानून को तोड़ मरोड़ करने की इजाजत नहीं देते हैं तो कहा जाता है कि और सूबों में आ के यहां की सी सख्ती नहीं है। वहां की छत की ऊंचाई, सीढ़ी, रास्ता यूरीनल आदि कुछ भी नहीं देखा जाता और फैक्टरी ऐक्ट में कारखाने की रजिस्ट्री कर दी जाती है और जहां पर स्त्रियां काफी तादाद में काम करती हैं उनके बच्चों को रखने का प्रबन्ध भी नहीं किया जाता है तो न सही यहां इन्हीं कानूनों की पाबन्दी कराने के लिये जब हम कदम उठाते हैं तो उस समय मिल मालिक कहते हैं कि और दूसरे सूबों में तो कानूनों के बावजूद भी ऐसी बातें नहीं देखी जातीं। इससे स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से उन कानूनों को पालन कराया जाता है। अगर उत्तर प्रदेश में सरकार की निश्चित नीतियों का पालन न होता तो मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं, मेरे जैसे लोग, मन्त्री जी जैसे लोग, इस सरकार में रहने में हिचकते। मैं आपसे कहता हूं कि हमारे काम में कुछ कमियां हैं और उन कमियों के कारण मैं आपको बतलाऊंगा लेकिन नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। हमारे श्रम कानून की मर्यादा के पालन की जो शक्ति व ताकत है उसकी एक बुनियादी सीमा है लेकिन हमारी नीति में कोई चेंज या कोई बुनियादी तब्दीली नहीं हुई है जिससे यह कहा जाय कि हमने मिल मालिकों का मुंह देखना शुरू कर दिया है। एक आम बहस उठाई जाती है, अब रोजमर्रा उसका जवाब क्या दिया जाय ? कहा जाता है कि मिल मालिकों से चुनाव के मौके पर हमें रुपया लेना पड़ता है इसलिये हम उनसे मुलायम पड़ते हैं। मुझे यह सुन कर बड़ी हैरत होती है और कभी कभी अफसोस भी होता है कि इस तरह की बातें क्यों कही जाती हैं। मझे जर्मनी के सोशल डेमोक्रेट और सोशलिस्ट की याद आती है, जिन्होंने इसी तरह एक दूसरे का गला काटा और उससे किसको क्या फायदा पहुंचा यह सब को मालूम है। मैं आपसे कहता हूं कि पूंजीपतियों के ६ दरवाजे होते हैं और किसी न किसी दरवाजे पर कोई न कोई

खड़ा उनको मिलता है। कांग्रेस में तो इतनी शक्ति है और गांधी जी के तप और अपनी मर्यादा व कुरबानियों के कारण कांग्रेस अपने स्तर से नीचे गिरने में हिचकती है। वाकया तो यह है। इसलिये यह कहना कि पूंजीपति लोग हमें दबाये हुये हैं इसलिये सरकार ने अपनी नीति में कोई परिवर्तन किया है, गलत है। जहां तक पूंजीपतियों से पैसा लेने की वजह से उनके साथ मुलायम पड़ने की बात कही गयी है, यदि आप हमारी नीति की सही विवेचना करेंगे तो दिखलायी पड़ेगा कि ऐसी बात नहीं है। कुछ आंकड़े मैंने इकट्ठा किये हैं उनसे आपको मालूम हो जायगा कि वास्तविकता क्या है।

उत्तर प्रदेश में फैक्टरी ऐक्ट की अवहेलना मिल मालिकों ने की है और आंकड़े से मालूम हो जायगा कि कितनों का प्रोसिक्यूशन हुआ है, कितनों पर जुर्माना हुआ है और मुझे खुशी है कि जो तथ्य है वह साबित करता है कि हमें उनके खिलाफ ऐक्शन लेने में कोई हिचक नहीं हुई है। कपड़ा मिल के मालिकों के साथ, चीनी मिल मालिकों के साथ हमने सख्ती से काम लिया है जहां भी हमें उनकी कोई गलती दिखायी दी। उनका प्रोसिक्यूशन तक हुआ है। फैक्टरी ऐक्ट के अन्तर्गत ही ५४२ मुकदमें चले, इसमें से २६२ में तो सजा हो गयी और ३१,१४५ रुपया जुर्माना हुआ। टेक्सटाइल मिलों के ऊपर ३५ और शुगर मिलों पर ६४, इलेक्ट्रिक कम्पनी पर १ तथा दूसरे ४१२ मुकदमें और हुये। तो यह कहना कि कपड़ा मिल मालिकों और चीनी मिल मालिकों से हमें बड़ी मुहब्बत है, और इसलिये हम उनके साथ मुलायम पड़ते हैं सही नहीं है। मैं आपसे कहता हूं कि जुर्माने की बात कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन जिस वक्त कोर्ट से किसी मिल-मालिक पर जुर्माना होता है उस वक्त उनकी शक्ल देखने लायक होती है। जुर्माना तो वह दे ही देता है लेकिन सवाल इज्जत का आ जाता है, क्योंकि इज्जत तो बनते-बनते बनती है और बिगड़ते देर नहीं लगती है। उसे तो परेशानी इस बात से होती है कि लोग कहेंगे कि लालाजी पर जुर्माना हो गया। यह तो उसकी मर्यादा की बात है। यहां जो इस तरह की गड़बड़ी देखने में आती है उसका मुख्य कारण अगर मैं यह कहूं कि भारत में ट्रेड यूनियन की कमजोर हालत है, तो वह गलत न होगा। मेरे दोस्त लांछन लगाते हैं कि सरकार को इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस से महब्बत है और इस मुहब्बत ने देश को और मजदूरों को बर्बाद कर दिया है। मेरे दोस्त उग्रसेन जी जिनका मैं बड़ा ही आदर करता हूं उनकी बात काट कर कुछ कहना मेरे लिये बड़ा मुश्किल है। या तो मैं अपनी बात उनको नहीं समझा पाता या उनकी बात मेरी समझ में नहीं आती। हर हालत में इसे अपनी ही कमजोरी और नालायकी समझता हूं कि मैं अपनी बात उनको नहीं समझा सका और उनकी बात स्वयं नहीं समझ सका। लेकिन आई० एन० टी० यू० सी० से मुहब्बत की जहां तक बात है, मुझे सन् ५० की बात याद आती है और शायद नरसिंह-नारायण जी को भी याद आती है कि सन् ५० में जब रेफरेंडम हुआ था तो ७१ प्रतिशत वोट यूनाइटेड चीनी मिल फेडरेशन को मिला। उनका कहना है कि आई० एन० टी० यू० सी० को बहुत थोड़े से वोट मिले लेकिन फिर भी सरकार ने उसको आज तक जिन्दा रखा है। लोग बीमार होते हैं, फिर अच्छे हो जाते हैं, हार्ट ट्रबुल होता है फिर ठीक हो जाते हैं लेकिन वह क्या शिकायत है कि जो अच्छे खासे थे वह बैठे रह गये और जो हार्ट ट्रबुल वाले थे वे दूसरी जगह चले गये? मैं मानता हूं कि उस वक्त यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन को ज्यादा वोट मिलें लेकिन वह उसके आगे की कथा क्यों नहीं कहते? उस वक्त की यू० पी० की सरकार ने उसी वक्त चिट्ठी लिखकर दी उनको जो विजयी फेडरेशन के लोग थे कि हम आप को मानते हैं। वह चिट्ठी मैं उनको दिखा दूंगा लेकिन मैं चाहता हूं कि उस को देखने के बाद यह बात न कही जाय, मैं उन को दावत देता हूं कि वह उस चिट्ठी को देख लें और उनके बाद यूनाइटेड चीनी मिल फेडरेशन जो चिट्ठियां आई हैं उनको भी वह देख लें, माननीय शिब्बनलाल सक्सेना ने कहा कि हमारा दल ही यूनाइटेड चीनी मिल फेडरेशन हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास ही सब चिठ्ठियां आना चाहिये, हमारे बी० डी० शुक्ला जनरल सेक्रेटरी हैं और उसके बाद एक सज्जन श्री ब्रजकिशोर जी शास्त्री हैं, उन्होंने भी एक खत भेज दिया कि युनाइटेड चीनी मिल फेडरेशन में हूं, उन्होंने कहा कि ऐसा न हो कि श्री शिब्बन लाल सक्सेना को चिट्ठी जायं, वह मेरे पास आनी

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुण]

चाहिये। हम यह तमाशा देख रहे थे और हमारी बड़ी लाचारी थी और आई० एन० टी० यू० सी० का वर्कर होने के नाते मैंने देखा कि उस वक्त के मंत्री जी ने दो बार कोशिश की कि शायद बैठकर बात करने से कोई हल निकल आये लेकिन इन दो दलों के बीच बात तय नहीं हुई और सरकार ने कहा कि यह बेकुअम की स्थिति खराब है, मिलकर चलने की चेष्टा की जाय लेकिन दुर्भाग्य था कि कोई समझौता नहीं हुआ। और अब दोष उसका सरकार को दिया जाता है। यह तो ऐसी बात हुई कि जमुना का ब्रिज बना हुआ है, बहुत अच्छा है काम की चीज है लेकिन कोई उससे कूद कर गिर जाय और कहे कि अगर यह पुल न होता तो कूदने की जगह न होती। उसके बाद सारे देश में फेडरेशनों के बीच हुये उस सेन्सर की बड़ी प्रतिक्रिया हुई और अब उसके बाद फिर कहा जाता है कि अब फिर सेन्सस करा दो। सदन के माननीय सदस्य जानते ही हैं कि हमारी श्रम नीति का मूल स्रोत में इंडियन लेबर कांफ्रेंस के निर्णय भी है। तमाम यह संस्था हैं और यूनियन्स हैं।

(एक आवाज ---इन सब का वोट कराया जाय) मैं भी ट्रेड यूनियन्स में रहा हूं और मैं कभी भी यह पसन्द नहीं करता कि कभी किसी यूनियन में मजदूर ४ आना देकर मेम्बर नहीं बने, लेकिन उनको यूनियन के पदाधिकारियों को चुनने का हक़ दिया जाय। यह तो ऐसा ही होगा कि भारत में कोई चुनाव हो और उसमें अफगानिस्तान के लोग जिनका कोई सम्बन्ध उस चुनाव से नहीं है वह भी वोट देने के लिये आयें। नैनीताल में भारतीय श्रम सम्मेलन हुआ और एक कोड तैयार हुआ, वहां हर तरह के सवाल उठाये गये। कहा गया कि सारे मजदूरों को वोट से रिप्रिजेन्टेटिव केरेक्टर यूनियन का तय किया जायगा। इन्टक ने "नहीं कहा, यह "नहीं" सब पर छा गई, सब की "हां" में वह परिवर्तित हो गई। मैं जो इस निर्णय के विरुद्ध चलना चाहते हैं उनसे कहूंगा कि भले लोगों की ऐसी बात नहीं होती। वह अगर वादा कर देते हैं चाहे तकल्लुफ में ही सही या ईमानदारी से सही फिर वह उससे हटने की कोशिश नहीं करते। जब एक चीज नैनीताल सम्मेलन में तय हो गई कि यूनियनों की स्ट्रेन्थ को देखने का आधार होगा "मेम्बरशिप"। तो हम जब तक त्रिदलीय सम्मेलन से इस नीति का परिवर्तन नहीं होता तो हम लाचार हैं रिफ्रेन्डम कराने में। तब तक हम यूनियनों के रिकार्ड से जांच से काम करेंगे और यह अधिकार सब को है कि वह मेम्बरशिप की संख्या हमारे पास भेजें और यह दावा पेश करें कि उनकी सदस्य संख्या इन्टक से अधिक है तत्पश्चात् उनके संतोष के मुताबिक हम जांच करवायें तब तो कहें और अगर जांच में उनकी मेम्बरशिप कम निकलती है तो हम लाचार हैं ...

श्री नरसिंह नारायण पांडेय--

अभी बहुत सी मिले हैं जो यूनाइटेड फ़ेडरेशन की तरफ़ से रजिस्ट्रेशन के लिये ऐप्लाई किये हैं। उनका रजिस्ट्रेशन कराके रेफ़रेंडम करायेंगे तो मैं आपकी चुनौती को स्वीकार करता हूं। अगर आई० एन० टी० यू० सी० को ३० फ़ी सदी से ज्यादा वोट मिल जायं तो मुझे ताज्जुब होगा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---

जो बात माननीय नरसिंहनारायण जी ने कही उससे बात क्या बनी ? आई० एन० टी० यू० सी० के साथ २०८ यूनियन्स हैं और इनकी मेम्बरशिप १,२९,२०५ है, आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसके प्रदेश के सभापति माननीय यूसुफ़ साहब रहे हैं। उसके साथ ८९ यूनियन्स हैं जिसकी मेम्बरशिप १८,३६२ है, एच० एम० एस० के साथ ५६ यूनियन्स हैं और तादाद २२,३३८ है, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस के साथ २१ यूनियन्स हैं और संख्या १०,९३४ है। बाकी मेम्बरशिप इंडिपेंडेंट यूनियन्स की मैंने नहीं ली जो बहुत है। मैं अपना अनुभव से एक बात कहता हूं। माननीय नरसिंहनारायण जी ने जो चुनौती दी है उसके लिये उन्हें दूसरा रास्ता बतलाऊंगा। १९५१ की बात है, मैं भी ट्रेड यूनियन के फ़ील्ड में काम करता था और स्वर्गीय हरिहरनाथ शास्त्री के आदेशानुसार गवर्नमेन्ट प्रेस की यूनियन को मैंने पकड़ा, सूबे की इन्टक का सक्रेटरी भी पहले ही हो गया था। मुझे लगा कि यह लांछन है अगर मेरे इलाहाबाद

में आई० एन० टी० यू० सी० न चले और बाहर नेतृत्व करता फिरूं। मेरे दोस्तों ने सलाह दी कि दूसरी यूनियन बना लो। मैंने कहा मैं इसको नहीं मानूंगा.....

श्री उग्रसेन---

जब आई० एन० टी० यू० सी० के निर्माण के लिये दिल्ली में बैठक हुई थी तो मजदूर आन्दोलन को बांटने के लिये ही उसका जन्म हुआ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---

उस बांटने में माननीय अशोक मेहता जी का भी हाथ था। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। तो मेरी सलाह माननीय नरसिंह नारायण जी को यही है कि इतना आप कष्ट करें कि यूनियन को बनावें, मजदूर आन्दोलन की चोटी पर बैठ जायं। लेकिन जड़ में पहले बैठें और नीचे की यूनियन को पकड़ना शुरू करें और उसमें कोई कठिनाई आवे तो हम देखने को तैयार हैं। अगर चोटी पर यह आन्दोलन बट गया है और यह बुरी बात है तो कम से कम जड़ में तो उसे समानान्तर ट्रेड यूनियन बनाकर न बांटिये। थोड़ी बात मैं श्रम नीति के बारे में कहना चाहता हूं जो यह कहा गया कि हमारी श्रम नीति के संचालन का आधार क्या है, वह आधार है त्रिदलीय समिति की सिफारिश। हमने कहा गया, नन्दा जी कह रहे हैं यह नहीं मान रहे हैं। हमने कब कहा इस स्टेट के सभी उद्योग उसे मान रहे हैं ? त्रिदलीय समिति नन्दा जी एक और करने को तैयार हैं। बड़ी अच्छी बात है, उसके निर्णय देखेंगे, हम भी अपने यहां त्रिदलीय समिति बुलायेंगे और गलतियों को सही कम कर सक, सही कर सके, करेंगे। त्रिदलीय समिति के सम्बन्ध में एक बात कह दूं, यहां ऐसी स्थिति नहीं है कि किसी मालिक ने किसी बात को न माना हो।एक मसले में चीनी मिल के मालिकों ने अभी हाल में जो वेज बोर्ड शुगर से सम्बन्धित था, उसके सम्बन्ध में फ़िटमेंट के केसेज थे, जो मेरे पास सूचना है उसके सिलसिले में ६० फ सदी म मने तत्काल वहीं के वहीं --व्यक्तिगत मामले जो थे १०,०००, उनमें से कंसीलियेशन अफ़सरों के सामने आपसी बातचीत से फ़ैसल हो गये। मिल मालिक और मजदूरों में फैसला हो गया। और ३० फ़ीसदी मिल मालिकों ने मंजूर किया है कि इनको आर्बिट्रेशन में ले जायेंगे। १० फीसदी लखनऊ ही-रीजन में तो हैं अब बाकी हैं जो देखे जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि चीनी मिलों के फ़िटमेंट के कोई भी मामले अदालत में नहीं जायेंगे, या तो आर्बि-ट्रेशन होगा या आपस में समझौते से तय होंगे। हमारी आशा इसके बाबत यही है। लेकिन हर एक आदमी अपनी छत के नीचे जो उस पर बीतती है उसी की याद करता है। संतसिंह यूसुफ जी का पाला सख्त पड़ा है, कानपुर के मालिकों से। वह उन्हीं को देख कर सारे प्रदेश के मालिकों के बावत अन्दाजा लगा लेते हैं। ७६ फैक्टरीज ठीक चलें और दस कपड़ा मिलों में गड़बड़ी हो तो क्या माना जायगा कि मालिक मान नहीं रहे हैं। चीनी मिलों के अधिकांश क्या ९९ परसेंट मालिकों ने वेज बोर्ड के एवार्ड को मान लिया है ? केवल तीन, चार मिलें, इंक्रीमेंट नहीं दे रही हैं बाकी बात उन्होंने भी मान ली लेकिन उम्मीद है कि वे मान जायंगी। कानपुर की स्थिति जरूर चिन्ताजनक है पर उत्तर प्रदेश की सरकार हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठी है कहा गया कि मालिकों से पैसा वसूल नहीं किया गया। उग्रसेन जी प्रसन्न होंगे जब मैं यह कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के जितने टैक्स और कर पड़े थे केबिनेट के फैसले के बाद निर्णय हुआ कि बोर्ड आफ रेवेन्यू से कहा जाय कि लैंड रेवेन्यू की तरह उसे वसूल करें। आदेश चले गये हैं। जिस तरह से किसान से वसूल होता है मालिक से भी वैसे वसूल होगा।

जहां तक श्रम विभाग के कामों का ताल्लुक था प्राविडेंट फंड के ड्यूज के लिये कानपुर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को हाल में आदेश गये हैं कि सख्ती से वह इस पैसे की वसूली करें और मालिकों के पास पैसा नहीं रहना चाहिये। जो निश्चित कदम उठा रहे हैं उससे स्थिति का स्पष्टीकरण हो जायगा और जो लांछन बार बार लगाया जाता है उस लांछन को लगाने का आधार या समय अब नहीं रहेगा।

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

जहां तक यह कहा गया कि इम्पलिमेंटेशन आफ लेबर लाज ठीक नहीं है, मैं बतलाऊंगा कि शारदा ऐक्ट बहुत पहिले अंग्रेजों ने बनाया। उसमें कहा गया कि शादी इतने से कम उम्र के लड़के लड़कियों की नहीं होगी। लेकिन बारात में, जिनकी कांस्टीट्युएंसी में वह हो, चाहे लड़का ८ साल का ही क्यों न हो, बाराती बनने को सब तैयार हैं। जब सामाजिक मर्यादायें समाज में स्वयं नहीं रहतीं, समाज का मन इतना बलिष्ठ नहीं होता कि समाज अपने नियमों का पालन कराने की यथेष्ट कोशिश करे तो कानूनों का पालन करना सरकारों को मुश्किल हो जाता है। मैंने बहुत बार इस सदन में दोहराया है कि सब से बड़ा इंस्पेक्टर, मजदूरों के हकों की देख भाल का, ट्रेड यूनियन आन्दोलन है। उत्तर प्रदेश की सब फैक्टरीज में ३ लाख से ऊपर काम करने वाले मजदूर हैं लेकिन २ लाख भी ट्रेड यूनियन्स के सदस्य नहीं हैं। बीड़ी के मजदूर, छोटे-छोटे अन्य कारखाने जो फैक्टरीज ऐक्ट में नहीं आते उनके मजदूर और खेतिहर मजदूर हैं उन्हें छोड़ दीजिये। जब स्थिति ऐसी है तो फिर होगा क्या? मनुष्य चाहता तो बहुत कुछ है लेकिन तत्काल उसका चाहना पूरा नहीं हो जाता। उसके लिये काम करना पड़ता है। मैं दावत देता हूं दोनों तरफ के लोगों को। ट्रेड यूनियन का असंगठित क्षेत्र उत्तर प्रदेश में बड़ा विशाल है। खेतिहर मजदूर के पक्ष में सदन में कहना अच्छा लगता है लेकिन मैं यह जानता हूं चुनाव में क्या क्या होता है। पिछले चुनाव में यह हुआ कि बहुत से लोग इधर के इसलिये हार गये कि उन्होंने छोटी जाति वालों का पक्ष लिया था और ऊंची जाति वालों के अत्याचार का विरोध किया। कोई भाई चाहेगा तो व्यक्तिगत तरीके से मैं सबूत पेश करूंगा। बात असल यह है कि हमारे मुंह बड़े हैं लेकिन दिल छोटे हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है "लायन्स माउथ एंड हेयर्स हार्ट।" मैं इलाहाबाद के बाबत और दूसरी जगहों के बाबत कहना चाहता हूं। कई एम० एल० ए० साहबान हैं। जो बड़े बड़े कारखाने बने हुए हैं और वहां आज भी ट्रेड यूनियन नहीं है; क्यों नहीं वहां ट्रेड यूनियन बनाते? हम रजिस्टर न करें तो नरसिंहनारायण पांडेय तब जितनी चाहे लड़ाई करें, लेकिन जहां एक यूनियन काम कर रही है, राजनैतिक कारणों से वहां दूसरी, तीसरी यूनियन बनाकर मजदूर की सेवा के बजाय हानि ही होती है। जो क्षेत्र खाली है वहां जायंगे नहीं। पुरानी कहावत है कि बाप ने एक ही तलाव में मछली मारी, बाप के बाप ने भी उसी तलाव में मछली मारी थी और अब लड़का भी सोचता है कि उसी तालाब में मछली मारेंगे, उसमें कुछ बीज और डालता है नहीं। फिर मछली कहां से मिले? जो विशाल क्षेत्र मजदूरों का है उसमें चलिये, उसका संगठन बनाइये और जब उसका संगठन बन जायगा तो उसके साथ होने वाला अन्याय स्वयं बन्द हो जायगा। कौन नहीं जानता कि हर बरसात के पहले १०७ और ११७ की धार बंध जाती है? कौन नहीं जानता कि किसान क्षेत्र से आने वाला एम० एल० ए० भी डगमग होता रहता है कि मैं किस तरफ़ बोलूं। हम खेतिहर मजदूर के कितने शुभचिन्तक हैं इसको हमें कहने की जरूरत नहीं है। उनको स्वयं मालूम है कि उनका शुभचिन्तक कौन है। मेरे पुराने क्षेत्र में एक एम० एल० ए० शायद इसलिये हारे कि उनको कहा गया कि उन्होंने डोली और पालकी उठवाना बन्द करा दिया। मेरे खिलाफ कहा गया कि यह चर्मकार भाइयों को ऊपर उठाना चाहता है, इसका प्राइवेट सेक्रेटरी भी चर्मकार है। मुझे अफसोस है कि छोटी सी बात के लिये हम बड़े बड़े सिद्धान्तों को ठोकर मार देते हैं। काम तभी बनता है जब हम अपने सिद्धान्तों पर डटे रहें, सदन में, सदन के बाहर।

कहा गया कि हमारे डिपार्टमेन्ट में बड़ी गड़बड़ियां हैं। मैं माननीय दत्तजी का काफी आदर करता हूं लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं। किसी एक अधिकारी की बाबत किसी बात को इस प्रकार से उछाल कर कहना जिससे मर्यादायें स्वयं ठेस खा जायं कुछ बहुत अच्छा नहीं मालूम होता। उन्होंने कह दिया कि लेबर कमिश्नर की बहन का तो श्रमहितकारी अस्पताल के डाक्टर इलाज कर रहे हैं, डाक्टर अपना काम देखते नहीं हैं। मैं उनसे झगड़ा नहीं करना चाहता। पहले मैंने सोचा था कि इसका उत्तर न दूं लेकिन यह अशोभनीय होगा और जब बात कह दी गई तो चुप रहना हमारे उन अधिकारी के प्रति अन्याय होगा। लेबर कमिश्नर की एक बहन है, यह सही है कि वह टी० बी० से पीड़ित हैं। लेकिन वह भुवाली में हों,

वैदिक इलाज चलता हो, उनके पति साथ रहते हों और इस स्थिति में हों कि उनका इलाज स्वयं करा सकें तो क्या उनको सिर्फ इतना ही रह गया कि श्रमिकों के टी० बी० अस्पताल से दो इंजेक्शन ले आयें? और फिर कितनी छोटी बात....

श्री उग्रसेन—

उसकी आप सफाई क्यों देते हैं?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

मैं तो सिर्फ इसलिये कह रहा हूं कि मैं यह प्रोटेस्ट करना चाहता हूं कि ऐसी बातों से सदन की मर्यादा ऊंची नहीं होती।

दूसरे यह कहा गया कि बड़ा गबन हुआ हमारे वेलफ़ेयर सेन्टर में और दस हजार रुपये की दवाइयां आगरे में गायब हैं। मैंने उसकी जांच की। यह सही है कि एक स्टोर कीपर ने जो आगरा वेलफ़ेयर सेन्टर में काम करता था, दवाओं की खरीदारी के सिलसिले में कुछ गड़बड़ी की; उसने डिपार्टमेंट को धोखा देने की कोशिश की। लेकिन जितने हमारे डिपार्टमेंट में लोग रखे जाते हैं उनके सिर पर भगवान के घर से लिख कर नहीं आता कि यह ईमानदार हैं। हम उनका इम्तहान लेते हैं। उन्हें रखते हैं। उन्होंने दवायें चोरी से विभाग के नाम से मंगाई। इसमें दो तरह की बेईमानी की उन्होंने। हमको दवायें स्टोर परचेज के रेट पर मिलती हैं। तो उन्होंने एक तो ५ हजार रुपये की दवायें मगाई। उसकी बिल्टी स्वयं पैसा दे कर छुड़ा लिया और वह दवायें बाजार में ऊंचे दाम पर बेच दीं। बड़ी निन्दनीय बात थी लेकिन गनीमत यही हुई कि सरकार का पैसा नहीं गया। हां, सरकार के विभाग के ईमान को उन्होंने जरूर गड़बड़ कर दिया। दूसरे, कुछ दवायें और मंगाई लेकिन उसका पैसा नहीं दिया। जब पैसा नहीं दिया तो उसका बिल जब हमारे यहां आया तब पता चला कि वह कैसे गड़बड़ी करते हैं। मालूम हुआ ये दवाइयां तो कभी मंगायी नहीं गयीं, बिल कैसा। मामला पुलिस को दे दिया गया और वह जांच कर रही है। कि लेकिन वह स्टोर कीपर मामले के खुलते ही भाग गया था और अभी वह मिल नहीं पाया है। हमारा विभाग क्या करे? आप मोटर में जाते हों और ऐक्सीडेंट में आ जाय तो उसमें आपकी गलती क्या है? हम और आप ब्याह शादी का बन्दोबस्त करते हैं, कुछ पूड़ी खराब हो जाती है, कुछ तरकारी खराब हो जाती है। किस को गाली दें? जहाँ दो करोड़ का खर्चा हो उसमें अगर ऐसी गड़बड़ी हो जाय तो यह नहीं कहना चाहिये कि सब गड़बड़ ही है और फिर उनकी सिक्योरिटी और वेतन वगैरह जो हमारे पास है उससे वसूली का भी बन्दोबस्त हम करेंगे।

श्री उग्रसेन—

ए० जी० साहब ने पहले शिकायत की थी कि उन्होंने इस तरह की बेईमानी की है मगर लेबर डिपार्टमेन्ट ने उस कागज को बहुत दिन तक क्यों दबाये रखा, क्यों नहीं मुकदमा न्यायालय में दे दिया गया?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

मेरे खयाल से यह जो सूचना उनके पास है वह मेरे पास नहीं है। ए० जी० की बात कहीं नहीं आयी। रीजनल असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ने उस बिल्टी को देखा और पता लगाया तो मालूम हुआ कि ये दवाइयां मंगाई नहीं गयी थीं। उसने अलग से इडेंट किया था और वे बेईमानी से इस तरह भेज दिया करते थे। लेकिन वे डाक में कागज पकड़ नहीं पाये। जब वह कागज विभाग में पकड़ा गया, हमारे लेबर कमिश्नर ने उस मामले को पुलिस में दे दिया। हमने उस मामले को दबाया नहीं।

इसी तरह से उन्होंने कहा कि हाउसिंग के बहुत से कागजात गायब हैं और उसका कोई ठीक से हिसाब भी नहीं है। एक बात की मैं उनको मान्यवर, बधाई देना चाहता हूं कि वे विभाग के संबध में बहुत सी बातों का पता रखते हैं और कुछ लोगों से उनको बातें मालूम हो जाती। अच्छा भी है, उनको सचेत रहना चाहिये। वे एम० एल० ए० ह। यह उनका

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

काम है लेकिन इतना कह देना चाहता हूं कि लोग उनको खबरें गलत दे देते हैं। "५५ से ५८ तक का आडिट नहीं हुआ", ऐसी बात नहीं है । उसका आडिट हुआ है और लेटेस्ट आडिट सन् ६२ में भी हुआ है । कुछ लोगों ने कहा कि कागज गायब कर दिये हैं । मुझे ज्यादा नहीं कहना है, सात रोज पहले कागजों का गायब होना मालूम हुआ पर अब जब कि अनुशासन का मामला चल गया हो, मैं इस मामले में अपनी राय देना नहीं चाहता हूं। लेकिन हम सचेत नहीं हैं, यह यथार्थ नहीं है । मैं आशा करता हूं कि इस तरह की बात वे अपने मन से निकाल देंगे।

एक बात माननीय उग्रसेन जी ने कही कि जब कभी किसी काम को सरकार को नहीं करना होता है तो उसके लिये कमेटी बना दी जाती है । आगे उन्होंने कहा कि निम्बकर कमेटी का क्या हुआ, गोविन्द सहाय कमेटी का क्या हुआ । राजाराम शास्त्री की कमेटी का नाम लेना वे भूल गये । .....

श्री उग्रसेन—

राजेन्द्र बाबू कमेटी का क्या हुआ ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

जी हां। राजेन्द्र बाबू कमेटी का क्या हुआ ? १९२६ से लेकर १९३० तक बहुत सी कमेटियां बनी थी। उनकी बात क्यों छोड़ते हैं ? मान्यवर, मैं इतना ही कह देना चाहता हूं कि राजेन्द्र बाबू कमेटी के संबंध में बातचीत करने का यह समय नहीं है। लेकिन उसने भी हमारी नीति का निर्धारण किया था । कानपुर के मजदूरों के साथ जो अन्याय होता था उसका जिक्र उनकी रिपोर्ट में है । जब कांग्रेस ने सरकार छोड़ी तो इस रिपोर्ट को वह कुछ लागू कर भी चुकी थी । अगर माननीय उग्रसेन जी चाहेंगे तो मैं बताऊंगा कि वह इम्पलीमेंट हुई या नहीं और माननीय यूसुफ जी उसके गवाह हैं । मान्यवर, जहां तक निम्बकर कमेटी का ताल्लुक है, उसने बिजली उद्योग के मजदूरों के लिये अपनी सिफारिशें की थीं । ५ मार्च, १९४८ को सरकारी आदेश निकला कि इस तरह के वेतनक्रम होंगे और निम्बकर कमेटी ने टैक्सटाइल के बारे में भी सिफारिश की थी जो बड़े अंश में लागू हो चुकी है । बेअर फूड अलाउन्स के बारे में शिकायत की गई है कि उसका रेट आफ न्यूट्रिलाइजेशन बहुत कम है । मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है जो हमारा रहन सहन है, उसके मूल्य को देखकर हम सिफारिश लागू करते हैं । इस तरह से निम्बकर कमेटी की सिफारिशें लागू हुई । ६ दिसम्बर, १९४८ से महंगाई भत्ते देने का सारा सिलसिला २० नवम्बर, १९४८ के तत्कालीन मंत्रिपरिषद् रिजोल्यूशन के साथ लागू हुआ। अब विन्ध्यवासिनी कमेटी को ले लीजिये हमने एक त्रिदलीय समिति बुलाई उसको लागू करने हेतु । माननीय यूसुफ साहब उसके सदस्य थे और कोई उसके सदस्य यहां नहीं हैं । उनको मालूम है कि केन्द्रीय सरकार ने हमको लिखा कि इस मामले पर विचार न करें क्योंकि वे टैक्सटाइल वेज बोर्ड बिठा रहे हैं । इसलिये वह मामला रह गया पर उसमें भी ऐसा हुआ सबकी राय से । मुझे एक चीज का अफसोस है और माननीय यूसुफ जी को जानकारी है और टैक्सटाइल के माहिर हैं, उन्होंने बम्बई के वकलोड और बम्बई की वेजेज के बारे में कहा कि यही सिफारिश थी बिन्धवासनी प्रसाद समिति की । क्षमा कीजिएगा । बिन्ध्यवासिनी जी की सिफारिश बिलकुल इसके बरअक्स थी । यह बात कही थी गनेशदत्त बाजपेयी जी ने । लेकिन जो भी हो बीच में वेज बोर्ड आ गया हम क्या करते ? बात टल गई। रेशनलाईजेशन की बात कही गयी कि रेशनलाइजेशन तो हुआ लेकिन उसके मुताबिक वेतन नहीं बढ़ाया गया। यूसुफ साहब सुपरवायजरी कमेटी में हैं । उसकी ६ मीटिंगे हो चुकी हैं। सब बातें कानपुर के टैक्सटाइल मिल वालों ने नहीं मानी थीं लेकिन तनख्वाह देने का जहां तक प्रश्न है वह सिलसिला शुरू हो गया है । दो जगह पर यह चालू हो गया है और शायद तीन या चार जगहों पर आज रात में नोटिस लग चुकी होगी या लग रही होगी। जहां तक एरियर्स की बात है, सुपरवाइजरी कमेटी ने स्वयं उसके लिये अप्रैल, १९६३ तक का टाइम दे रखा है। ग्रेचुइटी के आंकड़े बन रहे हैं । डेढ़ दो सौ लोग ग्रैचुइटी ले चुके हैं ।

एक बात कहते हुए मुझे अफसोस है। मैंने एक बार हाल में ही पहले बार भी कहा था कि कानपुर की टेक्सटाइल मिल मालिकों ने सही रूप से हमको सहयोग नहीं दिया इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या एवार्ड्स की मर्यादा बनाये रखने में। और मुझ को अभी जब मैं बोल रहा था तो श्रम मंत्राणी जी ने मुझे से यह कहा कि मैं यह बात कह दूं कि कानून की मर्यादा तोड़ने वाले किसी भी उद्योगपति का हमारी सरकार के पास कोई भी स्थान मिलने वाला नहीं है। लेकिन इसके साथ-साथ कानून की मर्यादा तोड़नें वाले पूंजीपतियों के संबंध में हमारे दोस्तों को भी हमारी सहायता करनी पड़ेगी। ऐसा न हो जाय कि कहीं बाद को फिर दूसरी बात होने लगे क्योंकि इसमें कठिनाई आने वाली है और आती भी हैं।

अभी पब्लिक सेक्टर की बाबत बहुत बातें हुईं और उसकी बहुत बुराई भलाई की गयी। मेरा भी, जब मैं ट्रेड यूनियन में काम करता था, उससे बहुत संबंध रहा है और मेरी भी बहुत सी शिकायतें रही है और आज भी हैं। मैं मानने को तैयार हूं कि पब्लिक सेक्टर में कमी हैं। लेकिन इतना मैं कह देना चाहता हूं कि पब्लिक सेक्टर के मजदूरों को जो नौकरी की सुरक्षा है और वेतन क्रमों तथा दूसरी चीजों की सुविधा है वह प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। हाइडल और इलेक्ट्रिसिटी के संबंध में बड़ी चर्चा थी और नरसिंहनारायण जी ने भी कुछ बातें कहीं। हम भी उनसे बड़े परेशान हैं, मंत्री जी ने पारसाल अपने भाषण में यदि आपको याद हो, यहां तक कह दिया था, मैं तो उतनी हिम्मत नहीं कर सकता, उतनी बात कहने की, उन्होंने कहा था कि मैं पब्लिक सेक्टर से सबसे ज्यादा आजिज हूं। हमने निश्चय किया उसके बाबत भी और आखिर में बातचीत करते करते इस नतीजे पर आये, हमारी जो ४ दिसम्बर, की मीटिंग हुई ट्रिपार्टाइट कांफ्रेंस की, उसमें पब्लिक सेक्टर के लिये कोड आफ डिसिप्लिन को लागू करने की अस्वीकृति माननीय मुख्य मंत्री जी ने दी थी। उसके लिये मुख्य सचिव के आदेश जा चुके हैं। ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज, एग्रिकल्चर, कोआपरेटिव और पावर डिपार्टमेंट तथा इर्रीगेशन विभाग ने उस संबंध में काम शुरू कर दिया है। इनसे तो हमारे पास चिट्ठी भी आ गयी है कि हेड आफ डिपार्टमेंट को आदेश दे दिये गये हैं कि वे अपने यहां यूनियनों में जिसका बहुमत हो उसे रिकगनीशन दें। कोड आफ डिसिप्लिन के लिये, इस प्रकार के आदेश हो गये। दूसरी चीज हमारे सामने थी बिजली के उद्योग की। उसके लिये हमने एक त्रिदलीय समिति बनाई थी। यह बात सही है कि वह ६ साल पहले बनी थी। बातचीत चलती रही। नतीजा कुछ नहीं निकला। फिर भी मजदूर शांत रहे। मजदूरों को मैं बधाई देना चाहता हूं जो बिजली उद्योग में लगे हैं। बहुत लोगों ने उन्हें भड़काने की कोशिश की लेकिन वह अटल रहे अपनी जगह पर और इस सरकार में अपने विश्वास पर। हमारे दोस्त यूसुफ साहब की पार्टी के लोग पहले बिजली के मजदूरों में बहुत काम किया करते थे इसलिये पुरानी मोहब्बत से उन्होंने ऊदल जी से ही कुछ कहलवा दिया, खुद नहीं कहा कुछ। लेकिन इस सरकार में ऐसे लोग हैं जिनका बिजली उद्योग से काफी घनिष्ठ संबंध रहा है और माननीय मंत्री जी के प्रयास से यह आज निश्चय हो गया है और मैं उसके लिये बधाई देना चाहता हूं खास कर अपने साथी शांतिप्रपन्न शर्मा जी को जिनके सहयोग से यह बात संभव हुई। उन्होंने उसमें हमसे कह दिया है कि सरकार की जो नीति है उसके अनुसार ही एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की नीति स्पष्ट कर दी जायेगी। जो त्रिदलीय समिति बनाई गयी उसके फैसले चाहे वेतन के संबंध में हों, चाहे और किसी संबंध में हों, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को उन नीतियों के विरुद्ध नहीं जाना चाहिये। उसे उस समिति में अपना प्रतिनिधि भेजना चाहिये। उनके इस फैसले से यह गांठ भी खुल जायेगी। इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड आटोनामस बाडी है। यह प्रजातंत्र है आटोनामस बाडी का गला सीधा सीधा नहीं बांधना चाहिये। पर विद्युत विभाग का आदेश और सलाह मशविरा उसको दे दिया गया। अब मुझे पूरा भरोसा है कि वह त्रिदलीय समिति शीघ्र ही कार्य शुरू करेगी। यदि नहीं होता है तो हमारे सामने दूसरे रास्ते हैं। अगले आने वाले वर्ष में बजट आने के पहले हम इस मामले में कदम उठा जायेंगे। यह निश्चय किया जा चुका है। मुझे भरोसा है कि सबके सहयोग से, यह कार्य भी पूरा होगा। जो लोग इस क्षेत्र में कार्य करते हैं उनको सबको मिल कर कार्य करना है जिससे कि उन सवालों को सुलझाया जा

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

सके । जो उधर के बैठने वाले लोग हैं और जो श्रमिकों के शुभचिन्तक हैं, वह इसमें सहयोग दें । मेरी यही प्रार्थना है ।

एक बात और कही गई और वह यह कि बनारस में काटन मिल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि वह किसी मालिक के हाथ में बेच दी जाय । उसमें क्वार्टर भी खाली करने की बात है कि वह खाली हो जाय तो वह चला ले जायेंगे । इस संबंध में यह मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि कोई भी अधिकारी वह चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर वह मिल इस शर्त पर चलने वाली है कि वह क्वार्टर उससे खाली करा दिया जाय तो वह अधिकारी उस क्वार्टर को छोड़ देगा, ताकि वह बंद मिल चल सके। तो अगर इसी बात पर वह मिल बंद है, तो हम उसको फिर से चलाने में सहयोग करने की पूरी कोशिश करेंगे और इसे अपनी खुश-किस्मती समझेंगे ।

मान्यवर, खेतिहर मजदूरों के संबंध में बहुत कुछ कहा गया । यह कहा गया कि कमेटियों की सिफारिशें नहीं मानी जाती हैं । मैं यह बता दूं माननीय उग्रसेन जी से कि माननीय गेंदासिंह जी जो कि हमारी प्रदेशीय न्यूनतम वेतन एडवाइजरी कमेटी के मेम्बर हैं, एक सिफारिश उन्होंने की थी, वह ६१ में जनवरी, फरवरी के शुरू में हमने लागू कर दी । उसमें कोई परिवर्तन या अन्तर सिवाय मामूली एजस्टमेंट को छोड़कर और ज्यादा नहीं दिया गया । जो माननीय गेंदासिंह जी की समिति की सिफारिश आई थीं, उसमें जो सिफारिश दी थी, वह यह कि कितना पैसा किसको दिया जाय और किसको न दिया जाय और किन उद्योगों में क्या लेंगे । उसे वैसे का वैसा, आपको बता दूं, सरकार ने लागू कर दिया है । यह मेरी समझ में नहीं आता है कि वह सिफारिश आपके पसन्द क्यों नहीं आती है । अगर शिकायत है तो वह माननीय गेंदासिंह जी से या उस समिति से होनी चाहिये कि उन्होंने क्यों कम देने का सुझाव दिया या ज्यादा क्यों दिया । वह मैं गलत कह गया था कि जनवरी फरवरी में, सही यह है कि मार्च, और अप्रैल में लागू कर दी गई थी । आप देखें कि राइस मिल में ४० रुपये महीना या १।। रुपया पर डे, वेतन लागू है । टी प्लान्टेशन में ३७ रुपया ६१ नया पैसा महीना या १ रुपया ४४ नया पैसा पर डे ; आयल मिलों में ४५ रुपया महीना या एक रुपया ७३ पैसा पर डे है । इसी तरह से आप देखें कि दूसरों में ४५ रुपया प्रतिमास या १ रुपया ७३ पैसा प्रतिदिन टोबैको के सिलसिले में बीड़ी के सिलसिले में उन्होंने १।। रुपया प्रति १ हजार बीड़ी बनाने पर और जो इसमें टाइम रेटेड इम्पलाईज हैं, उनको ३६ रुपये महीना, या १ रुपया ४० नया पैसा प्रति दिन । तंबाकू में ३७ रुपये ६० नये पैसे महीना या १ रुपया ४४ नया पैसा प्रति दिन । जहां तक मजदूरों का संबंध है, मैं यह बता देना चाहता हूं कि हम लोग कभी आंख में पट्टी बांध कर नहीं बैठते हैं ।

श्री उग्रसेन—

यह सही माने में लागू हुआ है या नहीं, इसकी इन्क्वायरी कराइये ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुण —

आप कोई भी उदाहरण बतायें । जैसे, आप मुझे यह बतायें कि टी प्लान्टेशन में नहीं हो रहा है और मैंने जांच न करवायी हो, तो मेरी गलती है । परन्तु किसी तरफ आपने कभी नहीं बताया । इससे यह साफ मालूम होता है कि प्रेम मुंह जवानी है । जब कि यह कर्म में होना चाहिये । यहां पर वेजेज के संबंध में कहा गया है । उसमें हमने जांच कराई । आपको बता दूं कि हर जिले में एक इन्सपेक्टर हमारा है । हमने उससे हिसाब जितना वह कर सका, लगाकर देखा है कि इसमें काफी लाभ हुआ है । मिनिमम वेजेज में जो प्राजिक्यूशन्स कराये गये हैं, उसमें आप देखें कि केवल जांच हुई है या नहीं बल्कि सैकड़ों प्राजिक्यूशन्स कराये गये हैं और उनके नतीजे निकले हैं । परन्तु एक बात मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि अगर हम कुछ नहीं करते, तो आप क्यों नहीं कुछ करते हैं । आप क्यों ज्यादा मुहब्बत वाले बन जाते हैं जब सब काम हमी को करना है ? उधर का तो दावा है कि हम किन्हीं दूसरों के ठेकेदार हैं,

वह तो गरीबों के ठेकेदार हैं। मान लीजिये हमने तो पूंजीपतियों से नाता जोड़ रखा है, पर उधर बैठने वाले तो अच्छे लोग हैं। अगर, मान्यवर, यह लोग अपने दावों के अनुसार काम करना शुरू कर दें तो चार चांद लग जायं हमारे काम को। लेकिन काम कम करना है बात ज्यादा। इसलिये पता भी नहीं चलता कि हो क्या रहा है। खेतिहार मजदूरों के लिये नियम है कि उनको ३१.५० रुपया महीना और १.२५ प्रत्येक दिन और यह वाराणसी, गोरखपुर डिवीजन में है और सुल्तानपुर, आगरा, फैजाबाद, गोंडा इत्यादि जिलों में और पहाड़ी जिलों को छोड़ कर लागू है। शेष जिलों में ३९ रुपया प्रति मास और १.५० रुपया प्रति दिन मजदूरी है।

हरिजनों के लिये कहा गया कि इनके लिये क्या किया। तो समय यदि होता तो कहता कि क्या-क्या हो रहा है। लेकिन कुछ हमारे काम करने का ढंग ऐसा है कि १० हाथ से हम मदद पहुंचाते हैं तो लोगों को दिखाई नहीं देता। एक-एक पूरी खिलाते जाइये तो आदमी ज्यादा खा जाता है और इकट्ठे १० पूरी रख दीजिये तो खाने से घबरा जाता है। उनके लिये कुओं का भी पैसा, मकान का बनाना, और न जाने कितने आइटम्स हैं जो अलग २ विभाग करते हैं। लेकिन हम तो बहुत तकल्लुफ में हैं कुछ ज्यादा बताना भी अच्छा नहीं लगता अपना धर्म पूरा करते हैं, दिखावा नहीं करते। अपना कार्य पूरा किये जाते हैं और इस तरह से करते हैं कि किसी की बदनजर न लग जाय। लेकिन फिर भी शिकायत है उस तरफ से तो मैं क्या करूं ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

आपने शुगर फैक्टरी के बोनस और एरियर्स के बारे में नहीं बतलाया।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

मैं ढूंढने में पड़ गया। एक तो नरसिंहनारायण जी ने कहा कि डेढ़ करोड़ के करीब बोनस घट कर ४० लाख हो गया, वह ३७.५० लाख है, लगभग ४० लाख ही सही। लेकिन हमारे लिये एक कठिनाई है। मांग हुई वेज बोर्ड बनाओ, तो बन गया। उसने एक सिफारिश कर दी। अब उसमें जो मीठा-मीठा है वह खा लें और कड़ुवा-कड़ुवा थूक दें--यह किस मुंह से कहें ? वेज बोर्ड के सामने शिब्बनलाल सक्सेना भी गये ही होंगे। नरसिंहनारायण जी जानते होंगे कि उन्होंने कहां-कहां पैरवी की। अगर वेज बोर्ड हमारी बात न माने और कहें कि प्राफिट बेसिस पर बोनस दिया जाय और वह ३७ लाख रुपये ही आवे, तो हम क्या करें ? वेज बोर्ड के पहले श्रमिकों को जो वेतन वर्ष भर में मिलता था उसका जो हिसाब है और उसके बाद जो वेतन मिलता है उसका स्टेटिटिक्स देना चाहता हूं। वेज बोर्ड का इंसीडेंस जो खर्चे का है वेतन की बढ़ोत्तरी पर अर्थात् पहले जो मिलता था मजदूरों को वेतन और भत्ते के रूप में और बाद में जो मिलने लगा उसमें आप देखिये कि सन् ६०-६१ में १७७ वर्किंग डे थे और ९.५३ रिकवरी। उस साल जो इंसीडेंस टेरिफ कमीशन ने केलकुलेट किया है उसके आधार पर १,६९,६२,६७३ रुपये तो ऐडीशनल मिला वेज बोर्ड की वजह से और ३७.५० लाख रुपया वह जो मैंने अभी बतलाया मिला बोनस के रूप में। तो पहले से ज्यादा मिला या कम मिला। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि ऐक्चुअल वेज और लिविंग वेजेज के बीच में, मुनाफे का जो हिस्सा है बोनस के रूप में मिलता है वह उस गैप को पूरा करेगा। तो कहां कमी हुई ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

आपने ऐमेनिटीज को उसमें से नहीं घटाया।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

मेरी घड़ी पर नजर है, मैं नरसिंहनारायण जी को समझा दूंगा। मान लीजिये कि नरसिंहनारायण जी की सब बातें ठीक हैं और ५० लाख, ६९ लाख भी निकाल दीजिये, तो भी १ करोड़ से ज्यादा तो बोनस का उनको मिल ही जायगा।

श्री उग्रसेन--

माननीय मंत्री जी कृपया यह बता दें कि केन्द्रीय सरकार ने बोनस कमीशन बिठाया है या नहीं, उसका असर हमारे प्रदेश के बोनस पर पड़ने वाला है या नहीं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

जरूर पड़ेगा । लेकिन हमने जो भी सिफारिशें बोनस कमीशन को दी हैं उनको अगर आप देखते हैं कि कैसे हमने अमल किया तो आप दाद देते और मैं समझता हूं कि आप अगर यहां होते तो आप भी यही सिफारिश करते । ईश्वर करे, उग्रसेन जी की इच्छा पूर्ण हो और चीनी मिल के मजदूरों को २ करोड़ रुपया बोनस में मिलने लगे । हमें तो उसमें खुशी होगी । पर उनका फैसला आने के पहले स्थिति कैसे बदल दें ?

इम्प्लायमेंट एक्सचेंज के काम के सिलसिले में कुछ लोगों ने उसकी प्रशंसा की और कुछ ने उसकी भी आलोचना की । मेरे फतेहपुर के एक साथी कह रहे थे, मैं उनको देख रहा हूं कि अब वह यहां पर नहीं हैं कि उन्होंने माननीय मंत्री जी को अपने वहां की शिकायत लिखकर भेजी थी । हमने उसकी जांच करा रखी है और जांच की रिपोर्ट आने के बाद जो भी उचित उत्तर होगा वह हम देंगे । यह भी कहा गया कि वह भ्रष्टाचार का अड्डा है । मेरा दावा नहीं है कि वहां भ्रष्टाचार नहीं होगा । लेकिन, मान्यवर, भ्रष्टाचार शब्द से ही भ्रष्टाचार भरपूर हो गया है । जैसे एक इम्यूनिटी डेवलप होती है क्षय रोग के बीच में रहने वाले स्वस्थ आदमी को उसी प्रकार भ्रष्टाचार की बार-बार चर्चा करने से अधिकारी भी इम्यून हो जाते हैं कि हम तो वैसे कहे ही जाते हैं लेकिन मैं आपको कहता हूं कि अभी माननीय मंत्री जी ने उठते-उठते मुझे बतलाया था कि उन्होंने जब चार्ज लिया था तो हर एक एक्सचेंज के गेट पर सी० आई० डी० की ड्यूटी लगा दी थी । कानपुर की शिकायत आयी । मंत्री जी स्वयं एकाएक वहां पहुंचे और इन्क्वायरी की । जांच अभी जारी है । प्रीलीमिनरी जांच से तो अभी हमें बहुत मसाला नहीं मिला । और यही नहीं हमने कम्प्लेन्ट को बुलाकर जांच की । किसी और विभाग में ऐसा होता है या नहीं मैं नहीं जानता लेकिन हमने उसके सामने जांच की जिसने शिकायत की और जांच अभी भी जारी है । पूरी बात मालूम होने पर हम निश्चय ही कदम उठावेंगे जो आवश्यक होंगे ।

हमसे कहा गया कि मजदूरों के रहने के लिये व्यवस्था नहीं है । यह भी कहा गया कि जो कालोनीज हैं उनमें किराया ज्यादा है । हरीसिंह जी की यह शिकायत है कि खेतिहर मजदूरों के लिये गांवों में मकान नहीं हैं । अब इसके लिये हम यही कह सकते हैं कि हम सीढ़ी-सीढ़ी करके अपनी मंजिल बना रहे हैं । अभी साढ़े १२ से लेकर साढ़े २२ रुपये तक जो किराया दे सकते हैं उनके लिये तो प्रबन्ध कर रहे हैं । आगे ज्यों-ज्यों शक्ति आती जायगी हम आगे बढ़ेंगे । इसके लिये जो रुपया हमें मिलता है वह ५० प्रतिशत केन्द्रीय सरकार से ऋण के रूप में मिलते हैं और बाकी अनुदान है । इसके बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने सवा लाख रुपये को जिस तरह से इस योजना पर लैविशली खर्च किया है उस मद के ऊपर कोई भी स्टेट नहीं कर सकती । इतने पर भी हमारा जो रेंट है वह बड़ा रेंट है, सबसीडाइज्ड रेंट है । हमें भरना पड़ता है कुछ रुपया अपने खजाने से ताकि इकानामिक रेंट पूरा हो जाय ।

पानी की बात कही गयी कि वहां पर पानी कम मिलता है, तुम किराया ज्यादा लेते हो । उसके लिये यही कहा जा सकता है कि सोने के सिंहासन पर तो आज तक रूस भी मजदूरों को नहीं बैठा पा रहा है । तीन सूट का इन्तजाम अभी तक वह कर नहीं पाये हैं । और आप हमसे १५ साल के अन्दर ही चाहते हो, हमारे दोस्त यूसुफ साहब चाहते हैं कि २५ सूट की व्यस्वथा बनवा दो । तो हमारी स्थिति को देखते हुये यह दोनों बातें चलने वाली नहीं हैं ।

श्रीमन्, अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार की यह मजदूर नीति रहने वाली है और मैं मजदूरों को इस प्रदेश के धन्यवाद देता हूं कि वे किसी जजबे में आते नहीं हैं और उग्रसेन जी उनको जिधर जाने के लिये आवाहन दे रहे थे उसको मजदूर यहां का सुनता नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश का मजदूर राष्ट्रप्रेमी है, यहां अपने प्रदेश का मजदूर कर्तव्यपरायण है । वह वैसे ही रहने वाला है । वह अपनी कठिनाइयों को झेलेंगे, हमारा सहयोग उनके साथ होगा जो मिल मालिक गड़बड़ी करेगा, उसके साथ हम सख्ती करेंगे, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं । जो कोई

भी उनमें असंतोष पैदा करने की कोशिश करेगा वह इस सदन की मर्यादा के खिलाफ काम करेगा। काम उनकी उलझन का मजाक बनाने से काम नहीं चलेगा ।

श्रम कानून का पालन कराने की भी हम पूरी कोशिश करेंगे । जो कमियां हैं उनको दूर करेंगे, लेकिन यह सब तभी होगा जबकि एक सशक्त ट्रेड यूनियन मूवमेंट हमारी बातों के पीछे रहे। आप जो चाहते हैं कि एक यूनियन कर दो, तो यह रूस की सरकार नहीं है, यूगोसिलेविया की सरकार नहीं है, यहां तो नाना प्रकार के फूल खिले हैं, सभी खिलते रहेंगे, यह नहीं होगा कि जैसे चीन ने सभी फूलों को मिटा दिया यह कहकर कि वह सब को खिलने देगा। जो अच्छे होंगे, आगे बढ़ेंगे, खराब होंगे पीछे रहेंगे । जो सहयोग का रास्ता छोड़ कर असहयोग का रास्ता लेने वाले हैं, वह गलत काम करते हैं । मेरे तो सौभाग्य से उधर बैठने वाले लोग सभी मित्र हैं, इसलिये मैं सब से निवेदन करता हूं कि अगर कोई बात हो तो वे आपस में बैठकर बातचीत करें। इन शब्दों के साथ मैं आपके द्वारा माननीय यूसुफ जी से निवेदन करूंगा कि अपने वे इस कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २६---श्रम और सेवायोजन–के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी।)

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)---

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय १५ मिनट और बढ़ा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

सदन का समय १० मिनट और बढ़ाया जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २६---श्रम और सेवायोजन के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :---

पक्ष में---२४,
विपक्ष में---९३ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदान संख्या २६---श्रम और सेवायोजन के अन्तर्गत २,७१,००,४०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५---अन्य कर और शुल्क

विद्युत् उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)---

माननीय राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदान संख्या ५---अन्य कर और शुल्क के अन्तर्गत १८,४५,१०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के लिये अनुदान संख्या ५--अन्य कर और शुल्क के अन्तर्गत १८,४५,१०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और सोमवार को १० १/२ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर सोमवार, १८ मार्च, १९६३ के १० १/२ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
१६ मार्च, १९६३ ।

पी० एस० यू० पी०--ए० पी०-३५० एस० ए०--१९६३ (प्रो०)--८५० ।